



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2021-2022

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

दिसम्बर, DECEMBER, 2021

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदान की अनुपूरक मांगों का द्वितीय बैच, 2021-2022

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2021-2022.

वर्ष 2021-22 की पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 69 अनुदान और 2 विनियोग हैं। ₹3,73,761 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद की स्वीकृति मांगी गई है। इसमें से नवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल व्यय ₹2,99,243.04 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ती हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹74517.01 करोड़ है। इसके अतिरिक्त नई सेवा और नई सेवा लिखत वाले मामले में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख के साथ ₹95 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Second batch of Supplementary Demands for Grants for 2021-22 includes 69 Grants and 2 Appropriation. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹3,73,761 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹2,99,243.04 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹74517.01 crore. Besides, token provision of ₹95 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers			
(क) निम्नलिखितों के भुगतान हेतु (i) स्वदेशी पीएंडके सब्सिडी (₹26,602.66 करोड़) और (ii) आयातित पीएंडके सब्सिडी (₹16,827.34 करोड़)।	(a) For Payment towards (i) Indigenous P&K Subsidy (₹26,602.66 crore) and (ii) Imported P & K Subsidy (₹16,827.34 crore).	43,430.00	-	43,430.00
(ख) यूरिया सब्सिडी योजना के भुगतान के लिए।	(b) For payment towards Urea Subsidy Scheme.	15,000.00	-	15,000.00
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
निम्नलिखितों के अतिरिक्त व्यय हेतु (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआईआर) (₹100 करोड़) (ii) सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹33.10 करोड़) और (iii) भेषज उद्योग के विकास की विभिन्न उप योजनाओं के तहत व्यावसायिक सेवाएं (₹6.96 करोड़)।	For additional expenditure towards (i) National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research (NIPERs) (₹ 100 crore) (ii) Grants-in-aid General under Assistance to Medical Device Industry for Common Facilitation Center (₹ 33.10 crore) and (iii) Professional Services under the various sub schemes of Development of Pharmaceuticals Industry (₹ 6.96 crore).	100.00	-	100.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
(क) व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के तहत सब्सिडी प्रदान करने के लिए (i) एयरलाइन संचालन चुनने के लिए (₹5.25 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में डोर्नियर संचालन के लिए एलायंस एयर (₹13.75 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एएलजी के लिए अवसंरचना विकास (₹5 करोड़)।	(a) For providing subsidy under Viability Gap Funding (VGF) to (i) Select Airline Operations (₹5.25 crore) (ii) Alliance Air for Dornier operations in NER (₹13.75 crore) and (iii) Infrastructure Development for ALGs in NER (₹5 crore).	24.00	-	24.00
(ख) 1. एसई बॉक्स और अन्य उपकरण (₹32.52 करोड़) की खरीद के लिए एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एसईएसएफ) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹32.52 करोड़)	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under Air India Engineering Services Ltd (SESF) for procurement of SE Box and other equipment			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
2. निम्नलिखितों के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना (i) एयर इंडिया के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ (₹165 करोड़) 3. व्यवहार्यता अंतर निधियन के अंतर्गत निम्नलिखितों को अतिरिक्त निधि प्रदान करना (i) एयरलाइन संचालन का चयन करना (₹0.01 करोड़) (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में डोर्नियर संचालन के लिए एलायंस एयर (₹0.01 करोड़) और (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एएलजी के लिए अवसंरचना विकास (₹0.01 करोड़) 4. भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम के प्रतिपूर्ति हेतु नकद हानियों के लिए एयर इंडिया को सहायता अनुदान (₹1,944 करोड़)	(₹32.52 crore) 2. providing additional funds for (i) Medical benefits to Air India Retired Employees (₹165 crore) 3. providing additional funds under Viability Gap Funding (VGF) to (i) select Airline Operators (₹0.01 crore) (ii) Alliance Air for Dornier operations in NER (₹0.01 crore) and (iii) Infrastructure Development for ALGs in NER (₹0.01 crore) 4. Grants-in-Aid to Air India for cash losses for recoupment of Advance from Contingency Fund of India (₹1,944 crore).	2,111.05	-	2,111.05
(ग) पिछले सरकारी गारंटीयुक्त उधार, पिछले सरकारी गारंटीयुक्त एसएलबी पट्टा किराया और एयर इंडिया लिमिटेड के पिछले बकाया/ देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एआईएचएल में इक्विटी निक्षेप।	(c) For equity infusion in AIAHL for repayment of past Government Guaranteed borrowing, past Government Guaranteed SLB lease rental & past dues/liabilities of AI Ltd.	-	62,057.00	62,057.00
(घ) भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया लिमिटेड को ऋण और अग्रिम हेतु।	(d) For Loans & Advances to Air India Ltd. for recoupment of advance from Contingency Fund of India.	-	2,628.00	2,628.00

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

10 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

10 Department of Commerce

(क) 1. 'ब्याज समानीकरण योजना' योजना के तहत सब्सिडी (₹1,600 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए, 2. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता' (₹744 करोड़) (ii) 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' (₹10.20 करोड़) और (iii) 'अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनुसंधान केंद्र' (₹22 करोड़) 3. 'रत्न और आभूषण क्षेत्र' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों (₹3.67 करोड़) के निर्माण के लिए अनुदान।	(a) For meeting expenditure towards 1. Subsidies (₹1,600 crore) under the Scheme 'Interest Equalisation Scheme', 2. Grants-in-aid General under the Schemes (i) 'National Export Insurance Account' (₹744 crore) (ii) 'International Cooperation' (₹10.20 crore) and (iii) 'Centre For Research on International Trade' (₹22 crore) 3. Grants for creation of Capital Assets (₹3.67 crore) under the scheme 'Gems and Jewellery Sector'.	1,854.92	-	1,854.92
(ख) 'ईसीजीसी में निवेश (निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम)' योजना के तहत निवेश के लिए खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Investment under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)'.	-	500.00	500.00
(ग) 'मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एमएमटीसी)' योजना के तहत ऋण और अग्रिम के खर्च को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Loans and Advances under the scheme 'Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC)'.	-	80.00	80.00

11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग

11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade

(क) 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में औद्योगिक इकाइयों को केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की वापसी' योजना के तहत (i) सब्सिडी (₹900 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए, और (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को समर्थन'	(a) For meeting expenditure towards (i) Subsidies (₹900 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan			
--	---	--	--	--

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
योजना के तहत अनुदान सहायता वेतन (₹0.25 करोड़)।	States', and (ii) Grants-in-aid Salaries (₹0.25 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.	125.74	-	125.74
(ख) 'फंड ऑफ फंड' योजना के तहत निवेश के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Investment under the Scheme 'Fund of Funds'.	-	474.00	474.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
खाद्य भंडारण एवं वेयरहाउसिंग की विभिन्न योजनाओं के व्यय की पूर्ति हेतु (₹50,188.90 करोड़)।	For meeting expenditure towards various schemes of Food Storage and Warehousing (₹50,188.90 crore).	49,805.25	-	49,805.25
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा सेवाएं (राजस्व)	19 Defence Services (Revenue)			
(क) 'परिवहन' (₹300 करोड़), 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (₹1,150 करोड़) और स्टोर (₹1,500 करोड़) के लिए सेना के अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure of Army towards 'transportation' (₹300 crore), 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' (₹1,150 crore) and stores (₹1,500 crore).	2,950.00	-	2,950.00
(ख) 'भंडार' (₹200 करोड़) और संयुक्त कर्मचारियों (₹50 करोड़) के लिए नौसेना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure of Navy towards 'stores' (₹200 crore) and Joint Staff (₹50 crore).	250.00	-	250.00
(ग) भंडार के लिए वायु सेना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure of Air Force towards stores.	1,800.00	-	1,800.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
(क) ओशनसैट -3 (₹521.01 करोड़) के लिए पट्टे पर किराये की लागत साझा करने के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान करने के लिए किराए, दरों और करों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes for making payment to Department of Space towards cost sharing of lease rental for OCEANSAT-3 (₹521.01 crore).	404.40	-	404.40
(ख) डीप ओशन मिशन (डीओएम) योजना के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under the scheme Deep Ocean Mission (DOM).	-	30.00	30.00
(ग) वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान योजना के तहत उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली की खरीद के लिए - मॉडलिंग अवलोकन प्रणाली और सेवाएं (एक्रॉस) (₹36 करोड़)।	(c) For procurement of High Performance Computing System under scheme Atmospheric and Climate Research - Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) (₹36 crore).	-	31.00	31.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 व्यय विभाग	30 Department of Expenditure			
एनआईएफएम में सुविधाओं के उन्नयन के लिए।	For upgradation of facilities in NIFM.	4.27	-	4.27
35 अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
विभिन्न निर्यात संवर्धन और छूट योजनाओं के तहत लंबित निर्यात प्रोत्साहनों/छूट के भुगतान हेतु और आरओएससीटीएल के लिए मौजूदा वर्ष की आवश्यकताओं हेतु (₹53668.63 करोड़ रुपये)।	For payment of pending export incentives/remissions under various Export Promotion and remission schemes and current year's requirements for RoSCTL (₹ 53668.63 crore).	53,122.63	-	53,122.63

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
46 भारी उद्योग विभाग	46 Department of Heavy Industry			
(i) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता (₹168.22 करोड़) (ii) भारत में (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) फेम इंडिया को तेजी से अपनाने और निर्माण के लिए (₹43.34 करोड़) (iii) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (₹3.50 करोड़) और (iv) एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत अनुदान सहायता हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹0.50 करोड़)।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the schemes (i) Support to Central Public Sector Enterprises (₹168.22 crore) (ii) Scheme for Faster Adoption and manufacturing of (Hybrid and Electric Vehicle in India) FAME India (₹43.34 crore) (iii) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobiles and Auto Components (₹3.50 crore) and (iv) Production Linked Incentive (PLI) Scheme for National programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage (₹0.50 crore).	185.70	-	185.70
47 सार्वजनिक उद्यम विभाग	47 Department of Public Enterprises			
₹5.19 करोड़ के अतिरिक्त स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए (एसपीवी के स्टाम्प शुल्क के लिए ₹3 करोड़ सहित)	For meeting additional establishment related expenditure of ₹5.19 crore (including ₹3 crore for stamp duty of SPV),	5.19	-	5.19
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
50 पुलिस	50 Police			
(क) वेतन (₹ 4,761.90 करोड़), मजदूरी (₹10.85 करोड़), पुरस्कार (₹0.23 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹142.27 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹651.95 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹0.01 करोड़), कार्यालय व्यय (₹663.83 करोड़), किराया, दर और कर (₹17.94 करोड़), प्रकाशन (₹2.02 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹15.42 करोड़), आपूर्ति और सामग्री (₹6 करोड़), हथियार और गोला-बारूद (₹253 करोड़), राशन की लागत (₹226.02 करोड़), पीओएल (₹55.75 करोड़), वस्त्र और तम्बू (₹36.78 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.27 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹174.64 करोड़), व्यावसायिक सेवाएँ (₹2,740.64 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹47.09 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹432.54 करोड़), गुप्त सेवा व्यय (₹2.50 करोड़) और अन्य शुल्क (₹520.57 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹4,761.90 crore), Wages (₹10.85 crore), Rewards (₹0.23 crore), Medical Treatment (₹142.27 crore), Domestic Travel Expenses (₹651.95 crore), Foreign Travel Expenses (₹0.01 crore), Office Expenses (₹663.83 crore), Rent, Rate and Taxes (₹17.94 crore), Publications (₹2.02 crore), Other Administrative Expenses ₹15.42 crore), Supplies and Material (₹6 crore), Arms and Ammunition (₹253 crore), Cost of Ration (₹226.02 crore), POL (₹55.75 crore), Clothing and Tentage (₹36.78 crore), Advertising and Publicity (₹0.27 crore), Minor Works (₹174.64 crore), Professional Services (₹2,740.64 crore), Grants-in-aid-General (₹47.09 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹432.54 crore), Secret Service Expenditure (₹2.50 crore) and Other charges (₹520.57 crore).	4,900.00	-	4900.00
(ख) कारागारों के आधुनिकीकरण के लिए (₹50 करोड़), तटीय सुरक्षा (₹13.05 करोड़) और राज्य पुलिस की तैनाती के लिए प्रतिपूर्ति (₹38.40 करोड़) और विदेशियों पर निगरानी (₹6.30 करोड़)।	(b) For modernisation of Prisons (₹50 crore), Coastal Security (₹13.05 crore) and Reimbursement for deployment of State Police (₹38.40 crore) and Surveillance Foreigners (₹6.30 crore).	50.00	-	50.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
51 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	51 Andaman and Nicobar Islands			
(क) एचएसडी तेल की खरीद के लिए अतिरिक्त व्यय, डीजी सेटों के रखरखाव के लिए एचएसडी, पुर्जों और सेवा शुल्क आदि की लंबित देयता (₹335.37 करोड़) को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards purchase of HSD oil, pending liability of HSD, Spares & service charges for maintenance of DG Sets, etc (₹335.37 crore).	288.23	-	288.23
(ख) उपग्रह ट्रांसपोंडर के लिए किराया शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹475.41 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards reimbursement of hiring charges for satellite transponders (₹475.41 crore).	300.00	-	300.00
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के लिए लक्षित ऋण आधारित सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) (₹7,556.30 करोड़), (ii) किराए, दरों और करों के तहत एनडीएमसी, एसडीएमसी और दिल्ली जल बोर्ड को जल शुल्क के लिए सेवा शुल्क, संपत्ति कर के भुगतान के लिए (₹336.99 करोड़), (iii) लघु निर्माण कार्य के अंतर्गत न्यू मोती बाग, सामान्य पूल आवासीय आवास (जीपीआरए) परिसर के रखरखाव के लिए (₹3.76 करोड़) और (iv) वेतन (₹2 करोड़)।	(a) For (i) meeting targeted Credit Linked Subsidy Scheme(CLSS) houses for Economically Weaker Section(EWS)/ Lower Income Group(LIG) category under Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban(PMAY-U)(₹7,556.30 crore), (ii) for payment of service charges, property tax to NDMC, SDMC & water charges to Delhi Jal Board under Rent, Rates & Taxes (₹336.99 crore), (iii) maintenance of New Moti Bagh , General Pool Residential Accommodation (GPRA) Complex under Minor Work (₹3.76 crore) and (iv) Salaries (₹2 crore).	7,000.00	-	7000.00
(ख) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Pradhan Mantri Awas Yojna Urban (PMAY-U).	9.00	-	9.00
(ग) 'अंशदान' के तहत प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मानिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत गैर-निष्पादित आस्ति (एनपीए) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹80 करोड़)।	(c) For meeting the requirement for Non Performing Asset(NPA) under Prime Minister's Street Vendors' Atmanirbhar Nidhi (PMSVANidhi) under 'Contribution' ((₹80 crore).	50.00	-	50.00
(घ) सामान्य घटक, अनुसूचित जाति घटक और अनुसूचित जनजाति घटक के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना के तहत राज्यों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए।	(d) For release of central assistance to States under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban (PMAY-U) under Grants for Creation of Capital Assets under General Component, Scheduled Castes Component and Scheduled Tribes Component.	7,000.00	-	7000.00
(ङ) सामान्य घटक (₹37.50 करोड़), अनुसूचित जाति घटक (₹4 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹1.50 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) योजना के तहत विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए।	(e) For release of central assistance to Union Territory Governments with legislature under the scheme Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban(PMAY-U) under Grants for Creation of Capital Assets under General Component (₹37.50 crore), Scheduled Castes Component (₹4 crore) and Scheduled Tribes Component (₹1.50 crore).	43.00	-	43.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई - एआईबीपी) और सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹35.61 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जल और भूमि प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.30 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm (PMKSY - AIBP) and Command Area Development & Water Management' (₹35.61 crore) and (ii) Grants-in-Aid General (₹0.50 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹3.30 crore) for North Eastern Regional Institute of Water and Land Management.	35.61	-	35.61
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान योजना के तहत (i) नदियों को जोड़ने (₹4,300 करोड़) (ii) पीएमकेएसवाई के तहत नाबार्ड से ऋण शोधन (₹157 करोड़) 2. राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹56 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹56 करोड़) 3. 'राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान' के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5.70 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹1.80 करोड़) 4. राष्ट्रीय जल अकादमी के तहत चिकित्सा उपचार (₹0.02 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹0.38 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.90 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय (₹3.25 करोड़), लघु निर्माण कार्य (₹3.40 करोड़) और व्यावसायिक सेवाएं (₹0.01 करोड़) 5. 'अटल भुजल योजना' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹20 करोड़) और 6. सामान्य सहायता अनुदान (₹0.69 करोड़) और अनुदान के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के अनुसंधान और विकास एवं कार्यान्वयन योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General under the scheme (i) Interlinking of Rivers (₹4,300 crore) (ii) Servicing of Loans from NABARD under PMKSY (₹157 crore) 2. Grants-in-Aid General (₹56 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹56 crore) under the scheme National Hydrology Programme 3. Grants-in-Aid General (₹5.70 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹1.80 crores) for 'National Institute of Hydrology' 4. Medical Treatment (₹0.02 crore), Domestic Travel Expenses (₹0.38 crore), Office Expenses (₹0.90 Crore), Other Administrative Expenses (₹3.25 crore), Minor Works (₹3.40 crore) and Professional Services (₹0.01 crore) under National Water Academy 5. Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Atal Bhujal Yojana' (₹20 crore) and 6. Grants-in-Aid General (₹0.69 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹2 crore) under the scheme Research and Development and Implementation of National Water Mission.	4,300.00	-	4300.00
(ग) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) 'राष्ट्रीय गंगा योजना' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹800 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना- अन्य बेसिन' ' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹14 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'National Ganga Plan' (₹800 crore) and (ii) Grants-in-Aid General under the scheme 'National River Conservation Plan - Other Basins' (₹14 crore).	786.13	-	786.13
(घ) सिंचाई क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के तहत और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम योजना के	(d) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Pradhan Mantri			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान हेतु व्यय की पूर्ति हेतु (₹3661.93 करोड़), जिसमें से ₹1,359.11 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए है।	Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm and under Command Area Development & Water Management (₹3661.93 crore), of which ₹ 1,359.11 crore for recoupment of advance from Contingency Fund of India.	3,661.93	-	3661.93
(ड) 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और सिंचाई क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ।	(e) For Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm and Command Area Development & Water Management	2.46	-	2.46
श्रम और रोजगार मंत्रालय				
63 श्रम और रोजगार मंत्रालय				
(क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1,693.13 करोड़) (ii) राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹17.13 करोड़) और अन्य प्रभार (₹97.87 करोड़) और (iii) केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹25 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1,693.13 crore) under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ii) Grants-in-aid General (₹17.13 crore) and Other Charges (₹97.87 crore) under the scheme National Database for Unorganized Workers and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹25 crore) under the Scheme Central Board for Workers Education.	847.69	-	847.69
(ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹186 करोड़) और (ii) 'राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस' योजना के तहत अन्य प्रभार (₹15 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹186 crore) under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana' and (ii) Other Charges (₹15 crore) under the scheme 'National Database for Unorganized Workers'.	94.53	-	94.53
विधि एवं न्याय मंत्रालय				
64 विधि एवं न्याय				
(क) निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) लंबित बिलों को मंजूरी देने के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹2 करोड़) (ii) राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (₹45 करोड़) और (iii) भारतीय विधि संस्थान को बकाया संपत्ति कर के भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹6.50 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Professional Services to clear pending bills (₹2 crore) (ii) Grants-in-Aid-General to National Legal Service Authority (₹45 crore) and (iii) Grants-in-Aid-General (₹6.50 crore) and Grants-in-Aid-Salary (₹0.50 crore) for payment of outstanding property tax to Indian Law Institute.	54.00	-	54.00
(ख) लंबित देनदारियों और चुनाव संबंधी अन्य व्यय को मंजूरी देने के लिए व्यावसायिक सेवाओं के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Professional Services for clearing pending liabilities and other election related expenditure.	1,458.00	-	1458.00
(ग) आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए कार्यालय स्थान की खरीद के लिए एनबीसीसी को किश्त के भुगतान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure on payment of installment to NBCC for purchase of office space for Income Tax Appellate Tribunal.	-	22.00	22.00

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

63 Ministry of Labour and Employment

- (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1,693.13 crore) under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ii) Grants-in-aid General (₹17.13 crore) and Other Charges (₹97.87 crore) under the scheme National Database for Unorganized Workers and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹25 crore) under the Scheme Central Board for Workers Education.
- (b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹186 crore) under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana' and (ii) Other Charges (₹15 crore) under the scheme 'National Database for Unorganized Workers'.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

64 Law and Justice

- (a) For meeting additional expenditure towards (i) Professional Services to clear pending bills (₹2 crore) (ii) Grants-in-Aid-General to National Legal Service Authority (₹45 crore) and (iii) Grants-in-Aid-General (₹6.50 crore) and Grants-in-Aid-Salary (₹0.50 crore) for payment of outstanding property tax to Indian Law Institute.
- (b) For meeting additional expenditure towards Professional Services for clearing pending liabilities and other election related expenditure.
- (c) For meeting expenditure on payment of installment to NBCC for purchase of office space for Income Tax Appellate Tribunal.

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
65 निर्वाचन आयोग स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय (₹9.84 करोड़) और मतदाता जागरूकता (₹1 करोड़) से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए।	65 Election Commission For meeting additional establishment related expenditure (₹9.84 crore) and for Voter's Awareness (₹1 crore).	9.84	-	9.84
66 भारत का उच्चतम न्यायालय वेतन (₹10 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹5.90 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	66 Supreme Court of India For meeting additional expenditure on Salaries (₹10 crore) and Office Expenses (₹5.90 crore).	15.90	-	15.90
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
68 खान मंत्रालय राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास योजनान्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹43.45 करोड़) के व्यय की पूर्ति हेतु।	68 Ministry of Mines For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹43.45 crore) under the scheme National Mineral Exploration Trust.	25.00	-	25.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
76 योजना मंत्रालय (i) सचिवालय के तहत स्थापना संबंधी व्यय (₹3.01 करोड़) और (ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत परामर्शदाता/युवा पेशेवरों और परामर्श सेवाओं के पारिश्रमिक के भुगतान के लिए व्यावसायिक सेवाएं (₹5 करोड़) की अतिरिक्त निधियों के लिए।	76 Ministry of Planning For meeting additional funds towards (i) Establishment related expenditure under Secretariat (₹3.01 crore) and (ii) Professional Services for payments of remuneration of Consultants/Young Professionals and Consultancy Services under Professional Services. (₹5 crore).	8.01	-	8.01
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
83 संघ लोक सेवा आयोग वेतन एवं भत्तों सहित प्रशासनिक व्यय पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	83 Union Public Service Commission For meeting additional expenditure on administrative expenses including salaries and allowances.	9.00	-	9.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष को 'अंतर लेखा अंतरण' (₹53.18 करोड़) (ii) रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज के लिए सीआरआईएफ से राज्यों को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹53.18 करोड़)।	85 Ministry of Road Transport and Highways (a) For meeting expenditure towards (i) 'Inter Account Transfer' to Central Road Infrastructure Fund (₹53.18 crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets to States from CRIF for Rail Over Bridge/Rail Under Bridge (₹53.18 crore).	50.00	-	50.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास विभाग (i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष (₹25,000 करोड़) में धनराशि के हस्तांतरण और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹23,000 करोड़) के खर्च को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष से वहन किया जाने के व्यय को पूरा करने के लिए।	86 Department of Rural Development For meeting expenditure towards (i) transfer of funds to National Rural Employment Guarantee Fund (₹25,000 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹23,000 crore) to be met from National Rural Employment Guarantee Fund.	22,038.99	-	22,038.99

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
90 वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध विभाग	90 Department of Scientific and Industrial Research			
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए 'सामान्य सहायता अनुदान' के व्यय को पूरा करने के लिए (₹150.45 करोड़)	For meeting expenditure towards 'Grants-in-aid General' - National Laboratories under Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) (₹150.45 crore)	73.45	-	73.45
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
95 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	95 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) एमपीलैड्स (₹1580 करोड़) योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए और एमपीलैड्स के मूल्यांकन के लिए ₹3.50 करोड़ को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme MPLADS (₹1580 crore) and ₹3.50 crore for evaluation of the MPLADS.	1,152.58	-	1152.58
(ख) क्षमता विकास योजना के तहत 'प्रमुख निर्माण कार्यों' के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 'Major Works' under Capacity Development Scheme.	-	2.79	2.79
इस्पात मंत्रालय	MINISTRY OF STEEL			
96 इस्पात मंत्रालय	96 Ministry of Steel			
सचिवालय के अंतर्गत स्थापना व्यय के लिए	For establishment expenditure under 'Secretariat'.	3.75	-	3.75
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97 कपड़ा मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
(क) व्यय को पूरा करने के लिए 1. 'मूल्य समर्थन योजना के तहत कपास निगम द्वारा कपास की खरीद' के तहत सब्सिडी (₹8,303.88 करोड़) 2. योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' (निफ्ट) (₹5 करोड़) (ii) 'मेगा इंटीग्रेटेड टेक्स्टाइल पार्क की स्थापना' (₹0.50 करोड़) 3. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स (पीएलआई) स्कीम फॉर टेक्स्टाइल्स' (₹0.50 करोड़) और (ii) 'सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता' (₹ 35.27 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Subsidies (₹8,303.88 crore) under the scheme 'Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support Scheme' 2. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) 'National Institute of Fashion Technology (NIFT)' (₹5 crore) (ii) 'Setting up of Mega Integrated Textiles Park' (₹0.50 crore) 3. Grants-in-aid General under the schemes (i) 'Production Linked Incentives (PLI) Scheme for Textiles' (₹0.50 crore) and (ii) 'Support to PSU's' (₹35.27 crore).	7,807.16	-	7807.16
(ख) व्यय को पूरा करने के लिए: योजनाओं के तहत प्रमुख कार्य (i) 'पॉवरटेक्स इंडिया' (₹0.48 करोड़) और (ii) 'इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम' (₹10 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards: Major Works under the schemes (i) 'Powertex India' (₹0.48 crore) and (ii) 'Infrastructure & Technology Development Project Scheme' (₹10 crore).	-	10.48	10.48

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) 1. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹27.50 करोड़) (ii) युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹2.59 करोड़) (iii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹54.71 करोड़) (iv) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹59.85 करोड़) (v) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹0.50 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹6.20 करोड़) 2. (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹11 करोड़) (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹2 करोड़) (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹17 करोड़) (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹ 3 करोड़) (v) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹0.50 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹0.30 करोड़) योजनाओं के तहत सहायता वेतन अनुदान 3. योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (i) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹6 करोड़) और (ii) खेलो इंडिया (सामान्य घटक (₹142.28 करोड़), अनुसूचित जाति घटक (₹30 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक (₹17 करोड़) 4. (i) युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹0.41 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹ 3 करोड़) (iii) राष्ट्रमंडल खेल (₹70 करोड़) और (iv) पुरस्कार (₹4 करोड़) योजनाओं के तहत अन्य शुल्क 5. राष्ट्रीय सेवा योजनान्तर्गत वेतन (₹0.15 करोड़) 6. राष्ट्रीय सेवा योजना योजनान्तर्गत कार्यालय व्यय (₹ 2.14 करोड़) एवं 7. युवा छात्रावास योजनान्तर्गत लघु कार्य (₹0.75 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. Grant in Aid General under the schemes (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹27.50 crore) (ii) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹2.59 crore) (iii) National Service Scheme (₹54.71 crore) (iv) Sports Authority of India (₹59.85 crore) (v) National Dope Test Laboratory (₹0.50 crore) and (vi) National Anti-Doping Agency (₹6.20 crore) 2. Grant in Aid Salary under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹11 crore) (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹2 crore) (iii) Sports Authority of India (₹17 crore) (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹3 crore) (v) National Dope Test Laboratory (₹0.50 crore) and (vi) National Anti-Doping Agency (₹0.30 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) National Dope Test Laboratory (₹6 crore) and (ii) Khelo India (General Component (₹142.28 crore), SC Component (₹30 crore) and ST Component (₹17 crore) 4. Other Charges under the scheme (i) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹0.41 crore)(ii) National Service Scheme (₹3 crore) (iii) Commonwealth Games (₹70 crore) and (iv) Award (₹4 crore) 5. Salary under the scheme National Service Scheme (₹0.15 crore) 6. Office Expenses under the scheme National Service Scheme (₹2.14 crore) and 7. Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹0.75 crore).	130.17	-	130.17
(ख) 1. राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 2. भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (₹6.8 करोड़) और 3. अनुदान (i) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹3 करोड़) (ii) खेलो इंडिया (₹21.70 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (₹16.28 करोड़) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grant in Aid General under the schemes National Service Scheme (₹6 crore) 2. Grant in Aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹6.8 crore) and 3. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Sports Authority of India (₹3 crore) (ii) Khelo India (₹21.70 crore) and (iii) National Sports University (₹16.28 crore).	30.19	-	30.19
कुल नकद परिव्यय	Total Cash Outgo	2,33,407.77	65,835.27	2,99,243.04

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3. अनुदान की अनुपूरक मांगों के इस बैच में ₹74517.01 करोड़ के तकनीकी अनुपूरक अनुदान/विनियोग के प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूली या संबंधित बचतों से मेल खाते हैं। मद इस प्रकार हैं:	3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹74517.01 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
अनुदान के लिए तकनीकी अनुपूरक मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) (₹7,787 करोड़) को सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रक की पुस्तकों में बकाया की निकासी के लिए ऋण प्रदान करने के लिए।	For providing loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (₹7,787 crore) towards clearance of outstanding in the books of Controller of Aid. Accounts & Audit.	-	3,357.57	3,357.57
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
सचिवालय के अंतर्गत अन्य शुल्क के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure towards Other Charges under Secretariat.	0.75	-	0.75
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
18 रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	18 Ministry of Defence (Civil)			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सामरिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards construction of strategic and border roads in Northern Eastern Areas.	-	100.00	100.00
(ख) सामरिक और सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। भारत की आकस्मिक निधि से संस्वीकृत ₹300 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	(b) For meeting additional expenditure towards construction of strategic and border Roads. An advance of ₹300 crore sanctioned from Contingency Fund of India will be recouped.	-	900.00	900.00
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	20 Capital Outlay on Defence Services			
निवेश/परिचालन आवश्यकताओं (₹1,000 करोड़), रक्षा आयुध कारखानों (₹1,665 करोड़) और नौसेना बेड़े (₹1,125.18 करोड़) के निगमीकरण के बाद नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए व्यय को पूरा करने के लिए। नव निर्मित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए भारत की आकस्मिक निधि से संस्वीकृत ₹1000 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।	For meeting expenditure towards investment /operational requirements (₹1,000 crore), modernisation of the newly created Defence Public Sector Undertakings after corporatisation of Defence Ordnance Factories (₹1,665 crore) and Naval Fleet (₹1,125.18 crore). An advance of ₹ 1000 crore sanctioned from Contingency Fund of India for operational requirements of newly created Defence Public Sector Undertakings will be recouped.	-	3,790.18	3,790.18
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region			
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) के लिए ब्याज मुक्त ऋण के प्रावधान के लिए।	For provision of interest free loans for North East Development Finance Corporation (NEDFi).	-	10.00	10.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
(क) 1. भूमि की खरीद के लिए (i) लुधियाना में सभी सीबीआईसी संरचनाओं के लिए कार्यालय-सह आवास (₹161.22 करोड़) (ii) डीआरआई (जैडयू), अहमदाबाद (₹40 करोड़) (iii) वाराणसी में कार्यालय भवन का निर्माण (₹74.38 करोड़) 2. (i) पलासमुद्रम, हिंदूपुर, एपी में नया एनएसीआईएन परिसर में भवन का निर्माण (₹20 करोड़) (ii) अट्टापुर, हैदराबाद में आरटीआई, एनएसीआईएन (₹0.36 करोड़) (iii) बोईसर में डिवीजन और रेंज कार्यालय (₹3 करोड़) (iv) सीजीएसटी गाजियाबाद के लिए कार्यालय भवन, चारदीवारी (₹11.04 करोड़) (v) भीलवाड़ा में सीजीएसटी डिवीजन कार्यालय (₹1.70 करोड़) (vi) उदयपुर में सीजीएसटी के लिए नया कार्यालय भवन (₹12 करोड़) (vii) वसंत कुंज, नई दिल्ली में डीआरआई (मुख्यालय) के लिए कार्यालय भवन (₹1.40 करोड़) (viii) चेन्नई में डीआरआई क्षेत्रीय इकाई के लिए कार्यालय भवन (₹1.90 करोड़) (ix) जाम नगर में कार्यालय भवन (₹1 करोड़) (x) कोलकाता में डीआरआई कार्यालय भवन (₹5 करोड़) और (xi) अगरतला में कार्यालय भवन (₹4 करोड़)।	(a) For 1. purchase of land for (i) Office-cum Residence for all CBIC formations at Ludhiana (₹161.22 crore) (ii) DRI (ZU), Ahmedabad (₹40 crore) (iii) construction of office building at Varanasi (₹74.38 crore) 2. construction of (i) building at New NACIN Complex at Palasamudram, Hindupur, AP (₹20 crore) (ii) RTI, NACIN at Attapur, Hyderabad (₹0.36 crore) (iii) Division & Range Office at Boisar (₹3 crore) (iv) office building, boundary wall for CGST Ghaziabad (₹11.04 crore) (v) CGST Division Office at Bhilwara (₹1.70 crore) (vi) New Office building for CGST at Udaipur (₹12 crore) (vii) office building for DRI (HQ.) at Vasant Kunj, New Delhi (₹1.40 crore) (viii) office building for DRI Zonal Unit at Chennai (₹1.90 crore) (ix) Office Building at Jam Nagar (₹1 crore) (x) DRI Office Building at Kolkata (₹5 crore) and (xi) Office Building at Agartala (₹4 crore).	-	327.00	327.00
(ख) (i) द्वारका (₹40.26 करोड़) और अन्ना नगर, चेन्नई (₹55 करोड़) में आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए (ii) खारघर, नवी मुंबई में विभागीय क्वार्टरों का निर्माण (₹28 करोड़) और (iii) एलसीएस, जोगबनी में आवासीय परिसर का निर्माण (₹2.74 करोड़)।	(b) For (i) construction of residential quarters at Dwarka (₹40.26 crore) and at Anna Nagar, Chennai (₹55 crore) (ii) construction of Departmental Quarters at Kharghar, Navi Mumbai (₹28 crore) and (iii) construction of residential complex at LCS, Jogbani (₹2.74 crore).	-	99.00	99.00
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
47 लोक उद्यम विभाग	47 Department of Public Enterprises			
सीपीएसई के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए स्थापित स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) में निवेश के लिए, जिन्हें बंद करने पर विचार किया जा रहा है।	For investment in Special Purpose Vehicle (SPV), set up for asset monetisation of CPSEs which are being considered for closure.	-	150.00	150.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48 गृह मंत्रालय	48 MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
(क) प्रमुख कार्य के तहत कार्यालय भवन (₹26 करोड़), आवासीय भवन (₹29.96 करोड़) के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और मोटर वाहन (₹22.73 करोड़) के प्रति व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards National Disaster Response Force (NDRF) for Office Building (₹26 crore), Residential Building (₹29.96 crore) under Major Work and Motor Vehicle (₹22.73 crore).	-	70.66	70.66
50 पुलिस	50 Police			
(क) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹2 करोड़), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी)	(a) For meeting additional expenditure towards Border Security Force (BSF)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹0.19 करोड़) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) (₹0.91 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(₹2 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹0.19 crore) and Special Protection Group (SPG) (₹0.91 crore).	3.10	-	3.10
(ख) वेतन (₹4761.90 करोड़), मजदूरी (₹10.85 करोड़), पुरस्कार (₹0.23 करोड़), चिकित्सा उपचार (₹142.27 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹651.95 करोड़), विदेश यात्रा व्यय (₹0.01 करोड़), कार्यालय व्यय (₹663.83 करोड़), किराया, दर और कर (₹17.94 करोड़), प्रकाशन (₹2.02 करोड़), अन्य प्रशासनिक व्यय ₹15.42 करोड़, आपूर्ति और सामग्री (₹6 करोड़), हथियार और गोला बारूद (₹253 करोड़), राशन की लागत (₹226.02 करोड़), पीओएल (₹55.75 करोड़), कपड़े और टेंटेंज (₹36.78 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹0.27 करोड़), मामूली काम (₹174.64 करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹2,740.64 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (₹47.09 करोड़), पूंजीगत आस्तियों सृजन हेतु अनुदान (₹432.54 करोड़), गुप्त सेवा व्यय (₹2.50 करोड़) और अन्य प्रभार (₹520.57 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Salaries (₹4761.90 crore), Wages (₹10.85 crore), Rewards (₹0.23 crore), Medical Treatment (₹142.27 crore), Domestic Travel Expenses (₹651.95 crore), Foreign Travel Expenses (₹0.01 crore), Office Expenses (₹663.83 crore), Rent, Rate and Taxes (₹17.94 crore), Publications (₹2.02 crore), Other Administrative Expenses ₹15.42 crore, Supplies and Material (₹6 crore), Arms and Ammunition (₹253 crore), Cost of Ration (₹226.02 crore), POL (₹55.75 crore), Clothing and Tentage (₹36.78 crore), Advertising and Publicity (₹0.27 crore), Minor Works (₹174.64 crore), Professional Services (₹2,740.64 crore), Grants-in-aid-General (₹47.09 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹432.54 crore), Secret Service Expenditure (₹2.50 crore) and Other charges (₹520.57 crore).	495.30	-	495.30
(ग) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के लिए प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Major Works for National Security Guard (NSG).	-	1.60	1.60
53 दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	53 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
विभिन्न एमडीआर और ओडीआर सड़कों को चौड़ा करने और रिंग रोड, डीएनएच आदि पर फ्लाई ओवर पुलों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पंचाटों के भुगतान के लिए प्रमुख कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹350 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards Major Works for payment of Land Acquisition Awards for acquiring land for widening of various MDR and ODR roads and construction of fly over bridges on Ring Road, DNH, etc (₹350 crore).	-	108.21	108.21
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs			
(क) निम्नलिखित मुख्य निर्माण कार्य के लिए (i) सेंट्रल विस्टा के काम और अन्य भवनों से जुड़े परियोजना (₹65 करोड़) और (ii) साल्ट लेक, कोलकाता में भूमि उपयोग और निर्माण के परिवर्तन के लिए शुल्क निक्षेप करने के लिए (₹35 करोड़)।	(a) For towards Major Work for (i) work of Central Vista and other buildings connected to the project (₹65 crore) and (ii) deposition of charges for change of land use and construction at Salt Lake, Kolkata (₹35 crore).	-	65.00	65.00
(ख) (i) पूरे भारत में सामान्य पूल आवासीय (जीपीआरए) भवनों के चल रहे कार्यों, वाराणसी में हॉलिडे होम (₹100 करोड़) और (ii) सेंट्रल विस्टा से संबंधित अन्य परियोजनाओं के लिए (₹50 करोड़)।	(b) For (i) ongoing works of General Pool Residential Accommodation (GPRA) buildings all over India, Holiday Home at Varanasi (₹100 crore) and (ii) other Central Vista related projects (₹50 crore).	-	50.00	50.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60 सूचना और प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting			
अत्याधुनिक, डेवलपमेंट कम्यूनिकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मिक कंटेंट (डीसीडीएफसी) स्कीम के तापमान नियंत्रित भंडारण वाल्टों के निर्माण के लिए प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards Major Works for construction of state of art, temperature controlled storage vaults of Development Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC) Scheme.	-	8.48	8.48
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
63 श्रम और रोजगार मंत्रालय	63 Ministry of Labour and Employment			
(i) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹1,693.13 करोड़) (ii) असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹17.13 करोड़) और अन्य प्रभार (₹97.87 करोड़) और (iii) केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹25 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने हेतु	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹1,693.13 crore) under the scheme Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ii) Grants-in-aid General (₹17.13 crore) and Other Charges (₹97.87 crore) under the scheme National Database for Unorganized Workers and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹25 crore) under the Scheme Central Board for Workers Education.	9.13	-	9.13
नवीन और नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
70 नवीन और नविकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	70 Ministry of New and Renewable Energy			
“अटल अक्षय ऊर्जा भवन” के निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure for construction of “Atal Akshay Urja Bhawan”.	-	100.00	100.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
75 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
1. (i) एलपीजी (डीबीटीएल) के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर परियोजना प्रबंधन की लागत के प्रति प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए (₹208 करोड़) (ii) राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीपीआईटी), असम को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹68 करोड़) और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी, बंगलोर (₹50 करोड़) (iii) ‘इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड’ (आईजीजीएल) को सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (₹350 करोड़) से पूरा किया जाएगा और (iv) सरकारी कार्गो के आयात के लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को सब्सिडी प्रदान करने के लिए ‘शिपिंग सब्सिडी’ योजना (₹35 करोड़) और 2. मिट्टी के तेल के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर दावों का निपटान करने के लिए (₹17 करोड़)।	1. For (i) clearing committed liabilities towards cost of project management on Direct Benefits Transfer for LPG(DBTL) (₹208 crore) (ii) Grants for creation of Capital Assets to Rajiv Gandhi Institute of Petroleum and Technology (RGPIIT), Assam (₹68 crore) and Centre of Excellence for Energy, Bangalore (₹50 crore) (iii) 'Indradhanush Gas Grid Limited' (IGGL) to be met from Central Road & Infrastructure Fund (₹ 350 crore) and (iv) the scheme 'Shipping Subsidy' to provide subsidy to Indian shipping companies for import of government cargo (₹35 crore) and 2. to settle claims on Direct Benefits Transfer for Kerosene (₹17 crore).	350.00	-	350.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
78 विद्युत मंत्रालय	78 Ministry of Power			
1. “सुधार लिंकड वितरण योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹999.99 करोड़) (ii) जम्मू-कश्मीर पीएमडीपी 2015 योजना के तहत पाकुल दुल परियोजना (₹161.46 करोड़) और (iii) केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) (₹70 करोड़) 2. राष्ट्रीय विद्युत कोष के तहत सब्सिडी (₹800 करोड़) और 3. बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण योजना के तहत किराया दरें और कर के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए (₹0.42 करोड़)।	For providing funds for 1. Grants for creation of Capital Assets under “Reforms Linked Distribution Scheme (₹999.99 crore) (ii) Pakul Dul Project under the J&K PMDP 2015 scheme (₹161.46 crore) and (iii) Central Electricity Regulatory Commission (CERC) (₹70 crore) 2. subsidies under National Electricity Fund (₹800 crore) and 3. Rent Rates and Taxes (₹0.42 crore) under the scheme Appellate Tribunal for Electricity.	70.00	-	70.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
84 रेल मंत्रालय	84 Ministry of Railways			
1. सकल बजटीय सहायता से राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष को अतिरिक्त अंतरण (₹10000 करोड़) 2. यातायात सुविधाएं-यार्ड रीमॉडेलिंग और अन्य (₹500 करोड़), ट्रैक नवीनीकरण (₹7,500 करोड़), पुल निर्माण (₹1,200 करोड़), सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य (₹250 करोड़), अन्य विद्युत कार्य जिनमें टीआरडी कार्य शामिल हैं (₹150 करोड़), ग्राहक सुविधाएं (₹200 करोड़), अन्य निर्दिष्ट कार्य (₹100 करोड़) और प्रशिक्षण/एचआरडी (₹100 करोड़)। 3. (i) पश्चिम मध्य रेलवे के 7 मार्गों पर (₹548.96 करोड़) (ii) पूर्व मध्य रेलवे (₹726.62 करोड़) (iii) उत्तर रेलवे (₹287.64 करोड़) (iv) पश्चिम मध्य रेलवे पर 2 मार्ग (₹714.40 करोड़) (v) मध्य और पूर्व तट रेलवे (₹794.30 करोड़) (vi) उत्तर पश्चिम रेलवे (₹670.22 करोड़) (vii) दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (₹575.28 करोड़) (ix) दक्षिण पूर्व रेलवे (₹836.60 करोड़) (x) पूर्व तट रेलवे (₹940 करोड़) और (xi) पश्चिम रेलवे (₹900.52 करोड़) 4. भारतीय रेलवे पर स्टेशनों का प्रमुख उन्नयन (₹12,000 करोड़) 5. एलपीजी गैस आधारित पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन गैर-एसी पेंट्री कारों (10 नंबर) को ज्वलनशील (विद्युत संचालित) पेंट्री कारों (₹5.74 करोड़) में बदलना। 6. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सोननगर-गोमोह सेक्शन पर यूटिलिटी शिफ्टिंग (₹410.18 करोड़) 7. मोशन वेटब्रिज में इलेक्ट्रॉनिक केलिब्रेशन के लिए 93 परीक्षण वैगन सेट (₹110.67 करोड़) 8. रेल भवन में अन्य संबद्ध कार्यों के साथ मौजूदा केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग संयंत्र का प्रतिस्थापन/संवर्धन (₹31.49 करोड़) 9. 100 ट्रेन सेटों की लागत (₹11,000 करोड़) 10. पूर्व तट रेलवे पर वाल्टेयर डिजीजन की	For meeting expenditure towards 1. additional transfers to Rashtriya Rail Sanraksha Kosh from Gross Budgetary Support (₹10000 crore) 2. Traffic Facilities-Yard remodelling and others (₹500 crore), Track Renewals (₹7,500 crore), Bridge Works (₹1,200 crore), Signalling and Telecommunication works (₹250 crore), Other electrical works including TRD works (₹150 crore), Customer amenities (₹200 crore), Other Specified Works (₹100 crore) and Training/HRD (₹100 crore) 3. automatic block signalling on freight dense high utilisation network on (i) 7 routes on West Central Railway (₹548.96 crore) (ii) East Central Railway (₹726.62 crore) (iii) Northern Railway (₹287.64 crore) (iv) 2 routes on West Central Railway (₹714.40 crore) (v) Central & East Coast Railways (₹794.30 crore) (vi) North Western Railway (₹670.22 crore) (vii) South East Central Railway (₹575.28 crore) (ix) South Eastern Railway (₹836.60 crore) (x) East Coast Railway (₹940 crore) and (xi) Western Railway (₹900.52 crore) 4. major upgradation of stations on Indian Railways (₹12,000 crore) 5. conversion of LPG Gas based conventional ICF design non-AC pantry cars (10 Nos.) into flameless (electrical operated) pantry cars (₹5.74 crore) 6. utility shifting on Sonnagar-Gomoh section of Eastern Dedicated Freight Corridor (₹410.18 crore) 7. 93 test wagon			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
तटीय बेल्ट के ऊपर भूमिगत केबल के साथ ओवरहेड लाइनों का प्रतिस्थापन (₹23.31 करोड़)।	sets for calibration of electronic in motion weighbridges (₹110.67 crore) 8. replacement/augmentation of existing centralised air conditioning plant with other allied works at Rail Bhawan (₹31.49 crore) 9. cost of 100 Nos of Train Sets (₹11,000 crore) 10. Replacement of overhead lines with underground cable over coastal belt of Waltair Division on East Coast Railway (₹23.31 crore).	-	20,000.00	20000.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के लिए (i) 'इंटर अकाउंट ट्रांसफर' (₹53.18 करोड़) (ii) रेल ओवर ब्रिज/रेल अंडर ब्रिज के लिए सीआरआईएफ से राज्यों को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के खर्च को पूरा करने के लिए (₹53.18 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) 'Inter Account Transfer' to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) (₹53.18 crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets to States from CRIF for Rail Over Bridge/Rail Under Bridge (₹53.18 crore).	50.00	-	50.00
(ख) प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) एनईआर के लिए रोड विंग के तहत सड़क विकास कार्यों को राष्ट्रीय निवेश कोष (एनआईएफ) से पूरा किया जाएगा (₹895 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम एनआईएफ (₹35 करोड़) से पूरा किया जाना है।	(b) For meeting additional expenditure towards Major Works for (i) Road Development Works under Road Wing for NER to be met from National Investment Fund (NIF) (₹895 crore) and (ii) Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas to be met from NIF (₹35 crore).	-	930.00	930.00
(ग) 1. सीआरआईएफ को 'इंटर अकाउंट ट्रांसफर' (₹9,288.45 करोड़) 2. भारतमाला परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में 'निवेश' (₹4,710.00 करोड़) 3. प्रमुख कार्यों के तहत (i) एशियाई विकास बैंक के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) (₹170 करोड़) (ii) ईएपी - जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (₹800 करोड़) और विश्व बैंक (₹50 करोड़) (iii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य - सीआरआईएफ से सामान्य वित्तपोषण (₹3,427 करोड़) (iv) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं - एशियाई विकास बैंक-काउंटर पार्ट फंड (₹38 करोड़) (v) विदेशी सहायता प्राप्त योजनाएं - विश्व बैंक-काउंटर पार्ट फंड (₹50 करोड़) (vi) अंडमान और निकोबार में सीआरआईएफ द्वारा सड़कें (₹0.05 करोड़) (vii) सीआरआईएफ द्वारा लद्दाख (₹4.61 करोड़) और (viii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्य द्वि सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (₹400 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards 1. 'Inter Account Transfer' to CRIF (₹9,288.45 crore) 2. 'Investment' in National Highways Authority of India (NHAI) for Bharatmala Pariyojana (₹4,710.00 crore) 3. Major Works' under (i) Externally Aided Projects (EAP) for Asian Development Bank (₹170 crore) (ii) EAP - Japan International Cooperation Agency (₹800 crore) and World Bank (₹50 crore) (iii) National Highways Original Works - General financed from CRIF (₹3,427 crore) (iv) Externally Aided Schemes - Asian Development Bank-Counter part fund (₹38 crore) (v) Externally Aided Schemes - World Bank-Counter part fund (₹50 crore) (vi) Roads in Andaman and Nicobar financed from CRIF (₹0.05 crore) (vii) Ladakh from CRIF (₹4.61 crore) and (viii) National Highways Original Works - Tribal Area Sub-Plan financed from CRIF (₹400 crore).	-	18,343.90	18,343.90

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास मंत्रालय	86 Department of Rural Development			
(क) (i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष को निधियों के अंतरण के लिए (₹25,000 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कोष से मिलने वाली पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹23,000 करोड़) के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards (i) transfer of funds to National Rural Employment Guarantee Fund (₹25,000 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹23,000 crore) to be met from National Rural Employment Guarantee Fund.	23,000.00	-	23,000.00
(ख) मनरेगा के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के खर्च को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under MGNREGS.	2,000.00	-	2,000.00
87 भूमि संसाधन विभाग	87 Department of Land Resources			
उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशों से उत्पन्न भुगतानों के लिए।	For payments arising out of orders of High Court, Delhi.	27.14	-	27.14
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	92 Department of Social Justice And Empowerment			
(i) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास (₹5 करोड़) और (ii) अटल वायु अभ्युदय योजना (₹99.48 करोड़) के तहत सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants in Aid General under the scheme (i) Comprehensive Rehabilitation for Welfare of Transgender Persons (₹5 crore) and (ii) Atal Vayo Abhyuday Yojana (₹99.48 crore).	99.48	-	99.48
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा मामले और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(क) 1. योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹27.50 करोड़) (ii) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (₹2.59 करोड़) (iii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹54.71 करोड़) (iv) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹59.85 करोड़) (v) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹0.50 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹6.20 करोड़) 2. योजना के तहत सहायता वेतन में अनुदान (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹11 करोड़) (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹2 करोड़) (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹17 करोड़) (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान (₹3 करोड़) (v) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹0.50 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹0.30 करोड़) 3. योजनाओं के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (i) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹6 करोड़) और (ii) खेलो इंडिया (सामान्य घटक (₹142.28 करोड़), एससी घटक (₹30 करोड़) और एसटी घटक (₹17 करोड़) 4. अन्य व्यय योजना के तहत (i) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (₹0.41 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹3 करोड़) (iii) राष्ट्रमंडल खेल (₹70 करोड़) और (iv)	(a) For meeting expenditure towards 1. Grant in Aid General under the schemes (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹27.50 crore) (ii) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹2.59 crore) (iii) National Service Scheme (₹54.71 crore) (iv) Sports Authority of India (₹59.85 crore) (v) National Dope Test Laboratory (₹0.50 crore) and (vi) National Anti-Doping Agency (₹6.20 crore) 2. Grant in Aid Salary under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹11 crore) (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹2 crore) (iii) Sports Authority of India (₹17 crore) (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹3 crore) (v) National Dope Test Laboratory (₹0.50 crore) and (vi) National Anti-Doping Agency (₹0.30 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) National Dope Test Laboratory (₹6 crore) and (ii) Khelo India (General Component (₹142.28 crore), SC Component (₹30 crore) and ST Component (₹17 crore) 4. Other Charges under the scheme (i)			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पुरस्कार (₹ 4 करोड़) 5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वेतन (₹0.15 करोड़) 6. राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यालय व्यय (₹2.14 करोड़) एवं 7. युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत लघु कार्य (₹0.75 करोड़)।	National Programme for Youth and Adolescent Development (₹0.41 crore)(ii) National Service Scheme (₹3 crore)(iii) Commonwealth Games (₹70 crore) and (iv) Award (₹4 crore) 5. Salary under the scheme National Service Scheme (₹0.15 crore) 6. Office Expenses under the scheme National Service Scheme (₹2.14 crore) and 7. Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹0.75 crore).	0.01	-	0.01
(ख) 1. राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹6 करोड़) 2. भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के तहत वेतन में सहायता अनुदान (₹6.8 करोड़) और 3. पूंजीगत आस्ति निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹3 करोड़) (ii) खेलो इंडिया (₹ 21.70 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (₹ 16.28 करोड़) के लिए व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grant in Aid General under the schemes National Service Scheme (₹6 crore) 2. Grant in Aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹6.8 crore) and 3. Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Sports Authority of India (₹3 crore) (ii) Khelo India (₹21.70 crore) and (iii) National Sports University (₹16.28 crore).	0.50	-	0.50
कुल तकनीकी	Total Technical	26,105.41	48,411.60	74,517.01

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹ 1 लाख का पूरक अनुदान भी लिए जाने का प्रस्ताव है, वह व्यय जिसे संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजी भाग, जैसा भी मामला हो, के भीतर बचतों के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा। उन योजनाओं/परियोजनाओं का विवरण, जहां बचत के पुनर्विनियोजन के माध्यम से वृद्धि किया जाना है संबंधित पूरक विवरण में दी गई है:

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant. The details of the schemes/projects, where augmentation through re-appropriation of savings, are brought out in the respective supplementary statement:

अनुदान के लिए सांकेतिक पूरक मांग

Token Supplementary Demands for grants

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE			
1 कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
2401- फसल हस्बैण्डरी	2401- Crop Husbandry	1,981.03	-	1,981.03
2552 - उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	241.00	-	241.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	0.70	-	0.70
आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
4 आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	97.01	-	97.01
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	5.89	-	5.89

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
2407-वृक्षारोपण	2407-Plantations	199.51	-	199.51
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	15.05	-	15.05
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
2852-उद्योग	2852-Industries	48.47	-	48.47
2885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	452.94	-	452.94
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	16.89	-	16.89
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.20	-	0.20
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
17 संस्कृति मंत्रालय	17 Ministry of Culture			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	306.58	-	306.58
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	7.00	7.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
22 पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय	22 Ministry of Development of North Eastern Region			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	11.33	-	11.33
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	-	3.57	3.57
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
23 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	23 Ministry of Earth Sciences			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	120.00	-	120.00
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 उच्च शिक्षा विभाग	25 Department of Higher Education			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	820.74	-	820.74
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	1,364.20	-	1364.20
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	114.00	-	114.00
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	193.80	-	193.80
2852-उद्योग	2852-Industries	531.36	-	531.36
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	284.97	-	284.97
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	-	25.00	25.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	12.00	-	12.00
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	3.10	-	3.10
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
28 विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	11.86	-	11.86
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	-	109.11	109.11
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	6.35	-	6.35
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	62.30	-	62.30
31 वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	-	5,000.00	5,000.00
33 राजस्व विभाग	33 Department of Revenue			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	15.09	-	15.09
2047-अन्य वित्तीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	1.56	-	1.56
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	-	1.65	1.65
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes			
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	-	4.02	4.02
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	-	3.44	3.44
40 राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	2,478.15	-	2,478.15
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
44 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	44 Department of Health and Family Welfare			
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	1,694.57	-	1,694.57
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	7.84	-	7.84
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	336.32	-	336.32
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	4,042.43	-	4,042.43
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	131.23	-	131.23
3606-सहायता सामग्री और उपकरण	3606-Aid Materials and Equipment	609.84	-	609.84
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	-	521.93	521.93
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	-	10.09	10.09
45 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	45 Department of Health Research			
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	140.01	-	140.01

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
46 भारी उद्योग विभाग	46 Department of Heavy Industry			
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4860-Capital Outlay on Consumer Industries	-	18.59	18.59
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	-	31.63	31.63
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48 गृह मंत्रालय	48 Ministry of Home Affairs			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.25	-	0.25
2056-जेल	2056-Jails	0.25	-	0.25
49 मंत्रिमंडल	49 Cabinet			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	300.89	-	300.89
50 पुलिस	50 Police			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	1,448.00	-	1448.00
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	-	1,261.63	1261.63
53 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	53 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	8.40	-	8.40
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	23.00	-	23.00
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	100.00	-	100.00
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	0.06	-	0.06
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	-	7.79	7.79
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	-	16.00	16.00
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5452-Capital Outlay on Tourism	-	30.00	30.00
54 लद्दाख	54 Ladakh			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	2.00	-	2.00
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	3.09	-	3.09
3452-पर्यटन	3452-Tourism	1.66	-	1.66
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	-	7.00	7.00
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	-	6.78	6.78
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
59 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs			
2059-सार्वजनिक कार्य	2059-Public Works	130.00	-	130.00
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	-	874.78	874.78
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
61 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	4.63	-	4.63
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation	3.00	-	3.00
4701-प्रमुख और मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	-	0.04	0.04
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	-	12.00	12.00

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
62 पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	62 Department of Drinking Water and Sanitation			
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	19,131.88	-	19,131.88
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01	-	0.01
2851-ग्राम और लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	172.83	-	172.83
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
69 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	69 Ministry of Minority Affairs			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	72.00	-	72.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
73 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
2055-पुलिस	2055-Police	1.20	-	1.20
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	12.90	-	12.90
पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
77 पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय	77 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
3052-नौवहन	3052-Shipping	30.65	-	30.65
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
78 विद्युत मंत्रालय	78 Ministry of Power			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	1,090.00	-	1,090.00
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति के सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
81 राज्य सभा	81 Rajya Sabha			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	0.09	-	0.09
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways			
3054-सड़कें और पुल	3054-Roads and Bridges	184.86	-	184.86
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	2.40	-	2.40
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
86 ग्रामीण विकास विभाग	86 Department of Rural Development			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	18.00	-	18.00
87 भूमि संसाधन विभाग	87 Department of Land Resources			
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms	90.00	-	90.00
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	10.00	-	10.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
88 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Science and Technology			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	75.00	-	75.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice and Empowerment			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	1,722.02	-	1722.02
93 दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग	93 Department of Empowerment of Persons With Disabilities			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	10.00	-	10.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	64.00	-	64.00
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	-	574.50	574.50
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
97 वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles			
2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	3.30	-	3.30
2851-ग्राम और लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	55.00	-	55.00
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
98 पर्यटन मंत्रालय	98 Ministry of Tourism			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	0.50	-	0.50
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
99 जनजातीय कार्य मंत्रालय	99 Ministry of Tribal Affairs			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	4.15	-	4.15
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	597.99	-	597.99
युवा कार्य और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
101 युवा कार्य और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	0.01	0.01
कुल सांकेतिक	Total Token	0.72	0.23	0.95

5. अनुदानों की पूरक मांगों में कुल ₹ 7231,11,00,000 शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति भारत की आकस्मिकता निधि में की जानी है, जिसमें से अग्रिम 3 विभागों/मंत्रालयों द्वारा आहरित की गई थी।

5. The Supplementary Demands for Grants includes a total of ₹7231,11,00,000 to be recouped to Contingency Fund of India advance from which were drawn by 3 Departments/Ministries.

कुल जोड़	GRAND TOTAL	2,59,513.90	1,14,247.10	3,73,761.00
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	2,33,407.77	65,835.27	2,99,243.04
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	26,105.41	48,411.60	74,517.01
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.72	0.23	0.95

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS' WELFARE					
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare	Voted	0.02	...	0.02	1
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	3. Atomic Energy	Voted	0.01	3357.57	3357.58	2
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय		MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)					
4. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.02	...	0.02	3
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS					
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilizers	Voted	58430.00	...	58430.00	4
7. भेषज विभाग	स्वीकृत	7. Department of Pharmaceuticals	Voted	100.00	...	100.00	5
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	2135.05	64685.00	66820.05	6-7
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	10. Department of Commerce	Charged	0.75	...	0.75	8-9
			Voted	1854.94	580.00	2434.94	
11. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	11. Department for Promotion of Industry and Internal Trade	Voted	125.76	474.00	599.76	10
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12. डाक विभाग	स्वीकृत	12. Department of Posts	Voted	0.01	...	0.01	11
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	15. Department of Food and Public Distribution	Voted	49805.26	...	49805.26	12-13
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
17. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	17. Ministry of Culture	Voted	0.01	0.01	0.02	14
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
18. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	18. Ministry of Defence (Civil)	Voted	...	1000.00	1000.00	15
19. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	19. Defence Services (Revenue)	Voted	5000.00	...	5000.00	16
20. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परियोजना	स्वीकृत	20. Capital Outlay on Defence Services	Voted	...	3790.18	3790.18	17
MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
22. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	22. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	0.01	10.01	10.02	18

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
23. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Earth Sciences	Voted	404.41	61.00	465.41	19
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION					
25. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	25. Department of Higher Education	Voted	0.03	...	0.03	20-21
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
26. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	26. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.03	0.01	0.04	22-23
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.02	...	0.02	24
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
28. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of External Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	25
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	0.02	...	0.02	26
30. व्यय विभाग	स्वीकृत	30. Department of Expenditure	Voted	4.27	...	4.27	27
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Voted	...	0.01	0.01	28
33. राजस्व विभाग	स्वीकृत	33. Department of Revenue	Voted	0.02	0.01	0.03	29
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02	30
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	53122.63	426.00	53548.63	31-32
40. राज्यों को अंतरण	स्वीकृत	40. Transfers to States	Voted	0.01	...	0.01	33
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
44. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	44. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.06	0.02	0.08	34-40
45. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	45. Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01	41
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
46. भारी उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	46. Department of Heavy Industry	Voted	185.70	0.02	185.72	42
47. लोक उद्यम विभाग	स्वीकृत	47. Department of Public Enterprises	Voted	5.19	150.00	155.19	43
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
48. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	48. Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	70.66	70.68	44
49. मंत्रिमंडल	स्वीकृत	49. Cabinet	Voted	0.01	...	0.01	45
50. पुलिस	भारित	50. Police	Charged	3.10	1.60	4.70	46-47
	स्वीकृत		Voted	5445.31	0.01	5445.32	
51. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	51. Andaman and Nicobar Islands	Voted	588.23	...	588.23	48
53. दादरा और नगर हवेली और दमन और द्वीप	स्वीकृत	53. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	Voted	0.04	108.24	108.28	49-50
54. लद्दाख	स्वीकृत	54. Ladakh	Voted	0.03	0.02	0.05	51
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS					
59. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	59. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	14102.01	115.01	14217.02	52-53
सूचना और प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
60. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	...	8.48	8.48	54

				(₹ करोड़ in ₹ crore)				
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
जल शक्ति मंत्रालय		MINISTRY OF JAL SHAKTI						
61.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	स्वीकृत	61. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	8786.15	0.02	8786.17	55-56
62.	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग		62. Department of Drinking Water and Sanitation	Voted	0.01	...	0.01	57
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
63.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	63. Ministry of Labour and Employment	Voted	951.35	...	951.35	58
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64.	विधि और न्याय	स्वीकृत	64. Law and Justice	Voted	1512.00	22.00	1534.00	59
65.	निर्वाचन आयोग	स्वीकृत	65. Election Commission	Voted	9.84	...	9.84	60
66.	भारत का उच्चतम न्यायालय	भारित	66. Supreme Court of India	Charged	15.90	...	15.90	61
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
67.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.02	...	0.02	62
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES						
68.	खान मंत्रालय	स्वीकृत	68. Ministry of Mines	Voted	25.00	...	25.00	63
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
69.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	64
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
70.	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	70. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	...	100.00	100.00	65
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
73.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.02	...	0.02	66
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
75.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	350.00	...	350.00	67
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING						
76.	योजना मंत्रालय	स्वीकृत	76. Ministry of Planning	Voted	8.01	...	8.01	68
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS						
77.	पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	77. Ministry of Ports,Shipping and Waterways	Voted	0.01	...	0.01	69
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER						
78.	विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	78. Ministry of Power	Voted	70.01	...	70.01	70-71
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT						
81.	राज्य सभा	स्वीकृत	81. Rajya Sabha	Voted	0.01	...	0.01	72

				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
83. संघ लोक सेवा आयोग रेल मंत्रालय	भारित	83. Union Public Service Commission MINISTRY OF RAILWAYS	Charged	9.00	...	9.00	73
84. रेल मंत्रालय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	84. Ministry of Railways MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	Voted	...	20000.00	20000.00	74-45
85. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	85. Ministry of Road Transport and Highways MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT	Voted	100.02	19273.90	19373.92	76-77
86. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	86. Department of Rural Development	Voted	47039.00	...	47039.00	78
87. भूमि संसाधन विभाग	भारित	87. Department of Land Resources	Charged	27.14	...	27.14	79
	स्वीकृत		Voted	0.02	...	0.02	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
88. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	88. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	80
90. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	90. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	73.45	...	73.45	81
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
92. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	92. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	99.49	...	99.49	82
93. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	93. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.01	...	0.01	83
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
94. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	94. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	84
सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
95. सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	1152.58	2.79	1155.37	85
इस्पात मंत्रालय		MINISTRY OF STEEL					
96. इस्पात मंत्रालय	स्वीकृत	96. Ministry of Steel	Voted	3.75	...	3.75	86
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
97. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Textiles	Voted	7807.18	10.48	7817.66	87-88
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
98. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	89
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
99. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.02	...	0.02	90
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
101. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	101. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	160.87	0.01	160.88	91-92
कुल जोड़		GRAND TOTAL		259513.90	114247.10	373761.00	
	भारित		Charged	55.89	1.60	57.49	
	स्वीकृत		Voted	259458.01	114245.50	373703.51	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(` करोड़) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	122961.57	122961.57
पूँजी	Capital	...	56.00	56.00
जोड़	Total	...	123017.57	123017.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	123017.59	123017.59
राजस्व	Revenue	...	122961.59	122961.59
पूँजी	Capital	...	56.00	56.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) महलानोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केन्द्र के अधीन आरआईएसएटी-1ए (381.03 करोड़ रुपये) हेतु लागत हिस्सेदारी के लिए अन्य प्रभार।
- (ii) प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत सामान्य घटक (1300 करोड़ रुपये) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक (300 करोड़ रुपये) के लिए सहायता अनुदान सामान्य प्रदान करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना घटक के तहत सहायता अनुदान सामान्य (241 करोड़ रुपये) प्रदान करने के लिए। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Other Charges for cost share for RISAT-1A (` 381.03 crore) under Mahalanobis National Crop Forecasting Centre.
- (ii) Grants-in-Aid General for General Component (` 1300 crore) and for Tribal Area Sub-Plan component (` 300 crore) under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-Aid General for Tribal Area Sub-Plan Component (` 241 crore) under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)
(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(` करोड़) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	16391.20	16392.20
पूँजी	Capital	...	11403.20	11403.20
जोड़	Total	1.00	27794.40	27795.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	600.00	600.00
जोड़	Total	...	600.00	600.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	3357.57	3357.57
जोड़	Total	...	3357.58	3357.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	31751.98	31752.98
राजस्व	Revenue	1.00	16391.21	16392.21
पूँजी	Capital	...	15360.77	15360.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	3357.57 (खब)	3357.57
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3357.58	3357.58

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) क्रय एवं भंडार निदेशालय में शामिल प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका और पुस्तक भत्ता के भुगतान के लिए छात्रवृत्ति/वृत्तिका के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (0.70 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) कंट्रोलर ऑफ ऐड एकाउंट्स एंड आडिट (सीएएए) की पुस्तिका में रशियन उधार के बकाया भुगतान के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के ऋण को पूरा करने के लिए (रु.7787.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान की मांग में उपलब्ध समतुल्य राशि से 3357.57 करोड़ रुपए के व्यय का मिलान किया जाएगा, इसलिए उसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under Scholarships/ Stipends towards payment of stipend and book allowance to Trainees inducted in Directorate of Purchase and Stores (` 0.70 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing loans to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) (` 7787 crore) towards outstanding payment of Russian Credit in the books of Controller of Aid. Accounts & Audit (CAAA).
Taking into account the savings available within the same section of the grant and the expenditure of ` 3357.57 crore will be matched by equivalent savings available in the Demand for Grants of the Department of Economic Affairs and hence will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(करोड़) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2970.30	2970.30
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2970.30	2970.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2970.34	2970.34
राजस्व	Revenue	...	2970.34	2970.34
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 1. निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (10.50 करोड़ रुपये), (ii) भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषज आयोग (0.90 करोड़ रुपये), (iii) आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) (4.00 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान (0.07 करोड़ रुपये), (v) आयुर्ज्ञान (0.51 करोड़ रुपये), (vi) आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (16.00 करोड़ रुपये), (vii) भारतीय औषधि प्रणाली राष्ट्रीय मिशन (0.71 करोड़ रुपये) और (viii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (2.58 करोड़ रुपये), 2. निम्नलिखित योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (1.79 करोड़ रुपये), (ii) भारतीय औषधि प्रणाली राष्ट्रीय आयोग (4.63 करोड़ रुपये), (iii) राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान (0.35 करोड़ रुपये), (iv) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (3.76 करोड़ रुपये), (v) आयुर्वेद प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (1.13 करोड़ रुपये), (vi) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (2.72 करोड़ रुपये), (vii) मोरारजी देशाई राष्ट्रीय योग संस्थान (1.13 करोड़ रुपये), (viii) राष्ट्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् (4.95 करोड़ रुपये), और (ix) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (0.28 करोड़ रुपये) और 3. निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) आयुर्वेद प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (8 करोड़ रुपये), (ii) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (12 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

- (ख) (1) पूर्वोत्तर आयुषलोक औषधि संस्थान योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (5.50 करोड़ रुपये), (2) पूर्वोत्तर आयुषलोक औषधि संस्थान योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (0.30 करोड़ रुपये) और (3) राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.90 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) 1. Grant in Aid General under the scheme- (i) International Cooperation (` 10.50 crore), (ii) Pharmacopoeial Commission of Indian Medicine & Homoeopathy ( ` 0.90 crore) (iii) Ayush Oushadhi Gunvatta Evam Utpadan Samvardhan Yojana (AOGUSY) (` 4 crore), (iv) National Institute of Sowa Rigpa ( ` 0.07 crore), (v) AYURGYAN (` 0.51 crore), (vi) AYURSWASTHAYA Yojana ( ` 21 crore), (vii) National Commission for Indian System of Medicine (` 0.71 crore) and (viii) National Commission of Homoeopathy ( ` 2.58 crore) , 2. Grants-in-Aid-Salaries under the scheme (i) National Commission of Homoeopathy (` 1.79 crore), (ii) National Commission for Indian System of Medicine ( ` 4.63 crore), (iii) National Institute of Sowa Rigpa (` 0.35 crore), (iv) National Institute of Ayurveda, Jaipur ( ` 3.76 crore), (v) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (` 16 crore), (vi) Institute Teaching & Research in Ayurveda ( ` 1.13 crore), (vii) National Institute of Siddha (` 2.72 crore), (viii) Morarji Desai National Institute of Yoga ( ` 1.13 crore), (ix) Central Councils for Research in Siddha (` 4.95 crore), and (x) National Institute of Naturopathy , Pune ( ` 0.28 crore) and 3. Grant for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Institute of Teaching & Research in Ayurveda (` 8 crore) and (ii) National Institute of Naturopathy, Pune ( ` 12 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (1) Grants for creation of Capital Assets under the scheme North Eastern Institute of AYUSH/Folk Medicine (` 5.50 crore), (2) Grants in Aid Salaries under the scheme North Eastern Institute of AYUSH/Folk Medicine ( ` 0.30 crore) and (3) Grant in Aid General under the scheme National Institute of Sowa Rigpa (` 0.09 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)
(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(` करोड़ ) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	83596.77	83596.77
पूँजी	Capital	...	444.62	444.62
जोड़	Total	...	84041.39	84041.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	58430.00	58430.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	58430.00	58430.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	142471.40	142471.40
राजस्व	Revenue	...	142026.78	142026.78
पूँजी	Capital	...	444.62	444.62
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	43430.00 (क)	43430.00
2852-उद्योग	2852-Industries	...	15000.00 (ख)	15000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	58430.00	58430.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्वदेशी पीएंडके सब्सिडी के लिए (26602.66 करोड़ रुपये) और आयातित पीएंडके सब्सिडी के लिए भुगतान (16827.34 करोड़ रुपये) है।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।
- (ख) यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (15000 करोड़ रुपये)।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Payment for Indigenous P&K Subsidy (` 26602.66 crore) and (ii) Payment for Imported P&K Subsidy ( ` 16827.34 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.
- (b) payment for Urea Subsidy Scheme (` 15000 crore)
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)
(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(` करोड़ ) ( In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	461.29	461.29
पूँजी	Capital	...	9.12	9.12
जोड़	Total	...	470.41	470.41
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1083.21	1083.21
पूँजी	Capital	...	139.00	139.00
जोड़	Total	...	1222.21	1222.21
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100.00	100.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	100.00	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1792.62	1792.62
राजस्व	Revenue	...	1644.50	1644.50
पूँजी	Capital	...	148.12	148.12
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	100.00	100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) (100 करोड़ रुपये), (ii) जीआईए जनरल हेड के तहत कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के लिए मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को सहायता (33.10 करोड़ रुपये) और (iii) फार्मास्युटिकल उद्योग के विकास की निम्नलिखित उप योजना में " व्यावसायिक सेवाएं" (क) फार्मास्युटिकल्स प्रमोशन डेवलपमेंट स्कीम (पीपीडीएस), (ख) क्लस्टर डेवलपमेंट (रु 1 करोड़), (ग) फार्मास्युटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम (पीटीयूएस), (घ) सामान्य सुविधा केंद्र के लिए थोक दवा उद्योग को सहायता (2.25 करोड़ रुपये), (ड.) सामान्य सुविधा केंद्र के लिए चिकित्सा उपकरण उद्योग को सहायता (0.90 करोड़ रुपये), (च) क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स (केएसएम)/ड्रग्स इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंश्रीडिएंट्स (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (2.57 करोड़ रुपये), (छ) मेडिकल डिवाइसेज के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना (रु. 0.24 करोड़) और (ज) भेषज के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए रु. 100 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) National Institutes of Pharmaceuticals Education and Research(NIPERs) (` 100 crore), (ii) Assistance to Medical Device Industry for Common Facilitation Center under GIA General Head ( ` 33.10 crore) and (iii) "Professional Services" in the following sub-schemes of Development of Pharmaceuticals Industry' (a) Pharmaceuticals Promotion Development Scheme (PPDS), (b) Cluster Development(` 1 crore), (c) Pharmaceuticals Technology Upgradation Assistance Scheme(PTUAS), (d) Assistance to Bulk Drug Industry for Common Facilitation Centre( ` 2.25 crore), (e) Assistance to Medical Device Industry for Common Facilitation Centre(` 0.90 crore), (f) Production Linked Incentive(PLI) Scheme for Promotion of domestic manufacturing of Critical Key Starting Materials(KSM)/Drugs Intermediates and Active Pharmaceutical Ingredients(APIs)( ` 2.57 crore), (g) Production Linked Incentive(PLI) Scheme for Promotion of domestic manufacturing of Medical Devices(` 0.24 crore) and (h) Production Linked Incentive(PLI) Scheme for Pharmaceuticals.

Taking into account the savings available within the same section, this will entail a net cash outgo of ` 100 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)
(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(` करोड़ ) (In ` crores)		
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3184.15	3184.15
पूंजी	Capital	...	40.52	40.52
जोड़	Total	...	3224.67	3224.67
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	178.24	178.24
पूंजी	Capital	...	1872.00	1872.00
जोड़	Total	...	2050.24	2050.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2135.05	2135.05
पूंजी	Capital	...	64685.00	64685.00
जोड़	Total	...	66820.05	66820.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	72094.96	72094.96
राजस्व	Revenue	...	5497.44	5497.44
पूंजी	Capital	...	66597.52	66597.52
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	24.00 (का)	24.00
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	2111.05 (खb)	2111.05
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2135.05	2135.05
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5053-नागर विमानन पर पूंजी परिव्यय	5053-Capital Outlay on Civil Aviation	...	62057.00 (गc)	62057.00
7053-नागर विमानन के लिए ऋण	7053-Loans for Civil Aviation	...	2628.00 (घd)	2628.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	64685.00	64685.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	66820.05	66820.05

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) चुनिंदा एयरलाइन प्रचालनों के व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के तहत सब्सिडी प्रदान करना (5.25 करोड़ रु.)
- (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में डोर्नियर संचालन के लिए एलायंस एयर को वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) के तहत सब्सिडी प्रदान करना (13.75 करोड़ रुपये)
- (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एएलजी के लिए अवसंरचना विकास को व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के तहत सब्सिडी प्रदान करना (5.00 करोड़ रुपये)
- उक्त व्यय में नकद व्यय होगा;
- (ख) i) एसई बॉक्स और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एसईएसएफ) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (32.52 करोड़ रु.)
- (ii) एयर इंडिया के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सालाभ के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (165.00 करोड़ रु.)
- (iii) निम्नलिखित व्यवहार्यता अंतर निधियन (वीजीएफ) के तहत अतिरिक्त निधि प्रदान करने के लिए (क) एयरलाइन प्रचालनों को चयन करना (0.01 करोड़ रु.), (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में डोर्नियर संचालन के लिए एलायंस एयर (0.01 करोड़ रु.) और (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में एएलजी के लिए अवसंरचना विकास (0.01 करोड़ रु.)।
- भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया को सहायता अनुदान (1944 करोड़ रु.)

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) providing subsidy under Viability Gap Funding (VGF) to Select Airline Operations (` 5.25 crore).
- (ii) providing subsidy under Viability Gap Funding (VGF) to Alliance Air for Dornier operations in NER (` 13.75 crore).
- (iii) providing subsidy under Viability Gap Funding (VGF) to Infrastructure Development for ALGs in NER (` 5 crore).
- The above expenditure will entail a cash outgo.
- (i) Grants-in-aid for Creation of Capital Assets under Air India Engineering Services Ltd (SESF) for procurement of SE Box and other equipment (` 32.52 crore).
- (ii) providing additional funds for Medical benefits to Air India Retired Employees (` 165.00 crore).
- (iii) providing additional funds under Viability Gap Funding (VGF) to (a) select Airline Operators (` 0.01 crore), (b) Alliance Air for Dornier operations in NER ( ` 0.01 crore) and (c) Infrastructure Development for ALGs in NER (` 0.01 crore).
- (iv) Grants-in-Aid to Air India for cash losses for recoupment of Advance from Contingency Fund of India (` 1944 crore)

	अनुदान (30.50 करोड़ रु.) के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 2111.05 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा।		
(ग)	एआई लिमिटेड को भूतपूर्व सरकारी गारंटी एसएलबी लीज रेंटल और बकाया भुगतान/दायित्व, भूतपूर्व सरकारी गारंटी उधार के पुनर्भुगतान के लिए एआईएचएल में इक्विटी संचार (62057 करोड़ रु.)	(c)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant (` 30.50 crore), this will entail a cash outgo of ` 2111.05 crore. Equity infusion in AIAHL for re-payment of past Government Guaranteed borrowing, past Government Guaranteed SLB lease rental & past dues/liabilities of AI Ltd. (` 62057 crore)</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo.</p> <p>Loans & Advances to Air India Ltd. for recoupment of advance from Contingency Fund of India (` 2628 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	उक्त व्यय में नकद व्यय होगा; भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए एयर इंडिया को ऋण और अग्रिम (2628 करोड़ रु.) उक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(d)	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)
(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(` करोड़) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4699.01	4699.01
पूँजी	Capital	...	287.00	287.00
जोड़	Total	...	4986.01	4986.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	0.04	0.54
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.50	0.05	0.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.75	1854.94	1855.69
पूँजी	Capital	...	580.00	580.00
जोड़	Total	0.75	2434.94	2435.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.25	7421.00	7422.25
राजस्व	Revenue	1.25	6553.99	6555.24
पूँजी	Capital	...	867.01	867.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	0.75 (का)	...	0.75
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	1854.92 (घd)	1854.92
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.75	1854.94	1855.69
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	500.00 (ङe)	500.00
7465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	7465-Loans to General Financial and Trading Institutions	...	80.00 (चf)	80.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	580.00	580.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.75	2434.94	2435.69

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants/Appropriations are required for:	
(क)	सचिवालय के अंतर्गत अन्य शुल्क (0.75 करोड़ रु.) मध्यस्थता पुरस्कार के व्यय को पूरा करने हेतु अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा	(a)	Other Charges (` 0.75 crore) under Secretariat for payment of Arbitration Award. Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	i) 'टी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी (119.61 करोड़ रु.) और सामान्य सहायता अनुदान (0.05 करोड़ रु.) (ii) सामान्य सहायता अनुदान (16.50 करोड़ रु.), सब्सिडी (25.60 करोड़ रु.) और 'कॉफी बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (1.50 करोड़ रु.) (iii) सामान्य सहायता अनुदान (10.69 करोड़ रुपए) पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (2.40 करोड़ रुपए) और 'रबर बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए (16.50 करोड़ रु.) और 'स्पाईसेज बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत वित्त सहायता अनुदान (6.21 करोड़ रु.) के व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) Subsidies (` 119.61 crore) and Grants-in-aid General (` 0.50 crore) under the scheme 'Tea Board', (ii) Grants-in-aid General (` 16.50 crore), Subsidies (` 25.60 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (` 1.50 crore) under the scheme 'Coffee Board', (iii) Grants-in-aid General (` 10.69 crore), Grants for creation of Capital Assets (` 2.40 crore) and Grants-in-aid Salaries (` 16.50 crore) under the scheme 'Rubber Board', and (iv) Grants-in-aid Salaries (` 6.21 crore) under the scheme 'Spices Board'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) सब्सिडी (0.61 करोड़ रु.) और कॉफी बोर्ड योजनाओं के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए (0.49 करोड़ रु.) और (ii) 'रबर बोर्ड' स्कीम के अंतर्गत (13.95 करोड़ रु.) की सब्सिडी के व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	(i) Subsidies (` 0.61 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (` 0.49 crore) under the scheme 'Coffee Board' and (ii) Subsidies (` 13.95 crore) under the scheme 'Rubber Board'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(घ)	(i) ब्याज सहकारी योजना के अंतर्गत सब्सिडी (1600.00 करोड़ रुपए) (ii) नेशनल 'एक्सपोर्ट इन्श्योरेंस एकाउन्ट' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (744.00 करोड़ रु.) और (iii) जेम्स और आभूषण क्षेत्र योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (3.67 करोड़ रु.) (iv) 'इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (10.20 करोड़ रुपए) (v) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र (सीआरआईटी) योजना के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (22.00 करोड़ रुपए) के व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें (1854.92 करोड़ रु.) का नकद व्यय होगा।	(d)	(i) Subsidies (` 1600.00 crore) under the Scheme 'Interest Equalisation Scheme', (ii) Grants-in-aid General (` 744.00 crore) under the Scheme 'National Export Insurance Account' and (iii) Grants for creation of Capital Assets (` 3.67 crore) under the scheme 'Gems and Jewellery Sector', (iv) Grants-in-aid General (` 10.20 crore) under the scheme 'International Cooperation' and (v) Grants-in-aid General (` 22.00 crore) under the scheme 'Centre For Research on International Trade-CRIT'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo (` 1854.92 crore).
(ङ)	'ईसीजीसी (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी को ऑपरेशन) में निवेश' योजना के अंतर्गत व्यय को पूरा करने हेतु (500.00 करोड़ रु.)। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;	(e)	Investment (` 500.00 crore) under the scheme 'Investment in ECGC (Export Credit Guarantee Corporation)'. The above expenditure will entail a cash outgo;
(च)	'भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड (एमएमटीसी)' योजना के अंतर्गत ऋणों और अग्रिमों (80.00 करोड़ रु.) के व्यय को पूरा करने हेतु। उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा;	(f)	Loans and Advances (` 80.00 crore) under the scheme 'Metals and Minerals Trading Corporation of India Ltd. (MMTC)'. The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 11
औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग**

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(` करोड़) (In ` crores)		
	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6570.66	6570.66
पूंजी	Capital	...	1211.58	1211.58
जोड़	Total	...	7782.24	7782.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	125.76	125.76
पूंजी	Capital	...	474.00	474.00
जोड़	Total	...	599.76	599.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8382.00	8382.00
राजस्व	Revenue	...	6696.42	6696.42
पूंजी	Capital	...	1685.58	1685.58

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	125.74 (क) 125.74	
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (ख) 0.01	
2885-उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	2885-Other Outlays on Industries and Minerals	...	0.01 (ग) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	125.76	125.76
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	474.00 (घ) 474.00	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	599.76	599.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा हिमाचल राज्य में औद्योगिक इकाइयों के केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की धन वापसी' योजना के तहत सहायता (900.00 करोड़ रुपये) (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.25 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा (125.74 करोड़ रुपये)।
- (ख) (i) 'भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी)' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों (40.50 करोड़ रुपये) के सृजन के लिए अनुदान तथा सामान्य सहायता अनुदान (4.52 करोड़ रुपये) (ii) 'स्वायत्त संस्थानों को सहायता' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (2.75 करोड़ रुपये) तथा (iii) 'स्वायत्त निकायों को सहायता' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.70 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) (i) 'परिवहन/भाड़ा सहायता योजना' के तहत सब्सिडी (32.94 करोड़ रुपये), (ii) 'जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज' योजना के तहत सब्सिडी (10.00 करोड़ रुपये), (iii) 'हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017' स्कीम के तहत सब्सिडी (10.00 करोड़ रुपये) और (iv) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा हिमाचल राज्य में औद्योगिक इकाइयों के केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी की धन वापसी' योजना के तहत सब्सिडी (400.00 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) 'निधियों की निधि' योजना के तहत निवेश (500.00 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय पर नकद व्यय होगा (474.00 करोड़ रुपये)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Subsidies (` 900.00 crore) under the scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States', and (ii) Grants-in-aid Salaries (` 0.25 crore) under the scheme 'Support to Autonomous Institutions'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (` 125.74 crore).
- (b) (i) Grants-in-aid General (` 4.52 crore) and Grant for Creation of Capital Assets (` 40.50 crore) under the Scheme 'Indian Leather Development Programme (ILDPP)', (ii) Grants-in-aid Salaries (` 2.75 crore) under the Scheme 'Support to Autonomous Institutions' and (iii) Grants-in-aid Salaries (` 0.70 crore) under the Scheme 'Assistance to Autonomous Bodies'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Subsidies (` 32.94 crore) under the Scheme 'Transport/Freight Subsidy Scheme', (ii) Subsidies (` 10.00 crore) under the Scheme 'Package for Special Category States for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand', (iii) Subsidies (` 10.00 crore) under the Scheme 'Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh & Uttarakhand, 2017' and (iv) Subsidies (` 400.00 crore) under the Scheme 'Refund of Central and Integrated GST to Industrial Units in North Eastern Region and Himalayan States'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Investment (` 500.00 crore) under the Scheme 'Fund of Funds'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (` 474.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(करोड़) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	34262.38	34263.18
पूँजी	Capital	...	910.09	910.09
जोड़	Total	0.80	35172.47	35173.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.80	35172.48	35173.28
राजस्व	Revenue	0.80	34262.39	34263.19
पूँजी	Capital	...	910.09	910.09
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 3114 शाखा कार्यालयों (बीओएस) के खोलने के लिए 16.89 करोड़ रुपए की व्यय को पूरा करने के लिए। क्योंकि अनुदान के राजस्व खंड में समतुल्य बचत उपलब्ध होता है, इसके लिए 0.01 करोड़ रुपए के सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 16.89 crore for opening of 3,114 Branch Offices (BOs) in Left Wing Extremism (LWE) affected districts. As equivalent savings are available in the revenue section of the Grant, a token supplementary of ₹ 0.01 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)
(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(` करोड़) (In ` crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	251248.34	251248.34
पूँजी	Capital	...	52725.96	52725.96
जोड़	Total	...	303974.30	303974.30
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1100.00	1100.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1100.00	1100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	49805.26	49805.26
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	49805.26	49805.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	354879.56	354879.56
राजस्व	Revenue	...	302153.60	302153.60
पूँजी	Capital	...	52725.96	52725.96
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	49805.25 (क)	49805.25
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	49805.26	49805.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) तथा खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के तहत भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को खाद्य सब्सिडी (` 6313 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत खाद्यान्नों के अतिरिक्त आवंटन के लिए एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद हेतु सामान्य घटक के लिए सब्सिडी (35732.02 करोड़ रुपये), 'अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी)' के लिए (2923.21 करोड़ रुपये) और 'जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (टीएसपी)' (1514.43 करोड़ रुपये) (iii) एनएफएसए के तहत 'एफपीएस-डीलर' मार्जिन योजना के तहत सामान्य घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1811 करोड़ रुपये), 'एससीएसपी' के लिए (124.50 करोड़ रुपये) और 'टीएसपी' (64.50 करोड़ रुपये) (iv) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)' योजना के तहत एवाई परिवारों को सामान्य घटक (26.22 करोड़ रुपये), 'एससीएसपी' (2.49 करोड़ रुपये) और 'टीएसपी' (1.29 करोड़ रुपये) के लिए सब्सिडी। (v) आंतरिक परिवहन, माल ढुलाई, हैंडलिंग और निर्यात पर अन्य शुल्क के खर्च को चुकाने के लिए योजना के तहत सब्सिडी (3.20 करोड़ रुपये)। (vi) चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव के लिए सब्सिडी (15 करोड़ रुपये)। (vii) 40 एलएमटी चीनी के बफर स्टॉक के निर्माण और रखरखाव के लिए सब्सिडी (100 करोड़ रुपये)। (viii) 2019-20 के लिए चीनी मिलों को सहायता के लिए सब्सिडी (50 करोड़ रुपये)। (ix) चीनी मिलों का प्रबंधन, उन्नयन और अन्य प्रसंस्करण लागत और अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक परिवहन की लागत और चीनी के निर्यात पर भाड़ा शुल्क सहित विपणन लागत पर खर्च के लिए सब्सिडी (1500 करोड़ रुपये)। (x) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के तहत 'व्यावसायिक सेवाएं' (0.94 करोड़ रुपये) सामान्य सहायता अनुदान (3.15 करोड़ रुपये) 'घरेलू यात्रा व्यय' (0.06 करोड़ रुपये)। (xi) 'टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करना' योजना के तहत 'पीडीएस-प्रशिक्षण' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.0225 करोड़ रुपये), पीडीएस-मूल्यांकन, निगरानी और अनुसंधान के तहत 'व्यावसायिक सेवाएं' (0.81 करोड़ रुपये), विज्ञापन और प्रचार (0.85 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (1 करोड़ रुपये), एससीएसपी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.35 करोड़ रुपये), टीएसपी

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Food subsidy to Food Corporation of India (FCI) under National Food Security Act (NFSA) and for additional allocation of foodgrains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKY) (` 6313 crore). (ii) Subsidies for General Component (` 35732.02 crore), for 'Scheduled Caste Sub-Plan (SCSP)' (` 2923.21 crore) and for 'Tribal Area Sub-Plan (TASP)' (` 1514.43 crore) for 'Decentralized Procurement of foodgrains under NFSA' for additional allocation of foodgrains under Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKY). (iii) Grants-in-Aid General for General Component (` 1811 crore), for 'SCSP' (` 124.50 crore) and for 'TASP' (` 64.50 crore) under the scheme 'FPS-dealers' margin' under NFSA. (iv) Subsidies for General Component (` 26.22 crore), for 'SCSP' (` 2.49 crore) and for 'TASP' (` 1.29 crore) to AAY families under the scheme 'Public Distribution System (PDS)'. (v) Subsidies under the scheme for defraying expenditure towards internal transport, freight, handling and other charges on export (` 3.20 crore). (vi) Subsidies for creation and maintenance of buffer stock of sugar (` 15 crore). (vii) Subsidies for creation and maintenance of buffer stock of 40 LMT sugar (` 100 crore). (viii) Subsidies for assistance to sugar mills for 2019-20 (` 50 crore). (ix) Subsidies to sugar mills for expenses on marketing costs including handling, upgrading and other processing costs and costs of international and internal transport and freight charges on export of sugar (` 1500 crore). (x) 'Professional Services' (` 0.94 crore), Grants-in-Aid General (` 3.15 crore) 'Domestic Travel Expenses' (` 0.06 crore) under Integrated Management of Public Distribution System. (xi) Grants-in-Aid General under 'PDS-Training' (` 0.0225 crore), 'Professional Services' under PDS-Evaluation, Monitoring & Research (` 0.81 crore), Advertising and Publicity (` 0.85 crore),

के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपये) (xii) 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण' के तहत 'व्यावसायिक सेवाएं' (0.05 करोड़ रुपये)। (xiii) वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को सामान्य सहायता अनुदान (रु.0.10 करोड़) और वेतन सहायता अनुदान (रु.0.51 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में 49805.25 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

- (ख) 'टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करना' योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को 'सामान्य सहायता अनुदान (0.20 करोड़ रुपये) (b)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Grants-in-Aid General for General Component (` 1 crore), Grants-in-Aid General for SCSP (` 0.35 crore), Grants-in-Aid General for TASP (` 0.20 crore) under the scheme 'Generating Awareness amongst TPDS beneficiaries'. (xii) 'Professional Services' under 'Fortification of Rice and its Distribution under Public Distribution System' (` 0.05 crore). (xiii) Grants-in-Aid General (` 0.10 crore) and Grants-in-Aid Salaries (` 0.51 crore) to Warehousing Development and Regulatory Authority.

Taking into account savings available under the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo of ` 49805.25 crore.

'Grants-in-Aid General' to NER States under the Project 'Generating Awareness amongst TPDS beneficiaries' (` 0.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)
(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2609.23	2609.23
पूँजी	Capital	...	78.76	78.76
जोड़	Total	...	2687.99	2687.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2688.03	2688.03
राजस्व	Revenue	...	2609.25	2609.25
पूँजी	Capital	...	78.78	78.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सहायता अनुदान सामान्य निम्न के लिए आवश्यक है (i) कला संस्कृति विकास योजना - (₹. 28 करोड़), (ii) संग्रहालयों का विकास - (₹. 2.60 करोड़) (iii) पुस्तकालयों का विकास - (₹. 1.03 करोड़) (iv) वैश्विक भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग- (4.50 करोड़ रुपये) (v) अकादमियों को सहायता- (97.34 करोड़ रुपये), (vi) पुस्तकालयों और अभिलेखागार को सहायता (₹. 0.25 करोड़) (vii) संग्रहालयों को सहायता (23.34 करोड़ रुपये) (viii) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारकों को सहायता - रुपये (6.42 करोड़) और (ix) अनुदान प्राप्तकर्ता निकायों (18.09 करोड़ रुपये) पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान की आवश्यकता है: (i) संग्रहालय का विकास - (₹. 50.77 करोड़) (ii) अकादमियों को सहायता- (₹. 12.40 करोड़), (iii) पुस्तकालयों को सहायता (₹. 1.15 करोड़) (iv) संग्रहालयों को सहायता (2.50 करोड़ रुपये) और (v) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारकों को सहायता - (46.56 करोड़ रुपये) निम्न स्कीमों के तहत सहायता वेतन अनुदान की आवश्यकता है: (i) संग्रहालयों को सहायता (3.60 करोड़ रुपये) (ii) बौद्ध तिब्बती संस्थान और स्मारकों को सहायता- (3.14 करोड़ रुपये) (iii) अकादमी को सहायता - 4.29 (iv) पुस्तकालय और अभिलेखागार के लिए सहायता - (0.60 करोड़ रुपये) I) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) संग्रहालयों (नेशनल गैलरी फॉर मॉडर्न आर्ट - ₹. 5 करोड़ और राष्ट्रीय संग्रहालय - ₹. 2 करोड़) के लिए मुख्य निर्माण कार्यों की आवश्यकता है। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (1) Grants-in-Aid General under the scheme (i) Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹ 28 crore), (ii) Development of Museums (₹ 2.60 crore) (iii) Development of Libraries & Archives (₹ 1.03 crore) (iv) Global Engagement and International Cooperation (₹ 4.50 crore) (v) Support to Akademies (₹ 97.34 crore), (vi) Support to Libraries (₹ 0.25 crore), (vii) Support to Museums (₹ 23.34 crore), (viii) Support to BTI & Memorials (₹ 6.42 crore) and (ix) Grantee Bodies (₹ 18.09 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme (i) Development of Museum (₹ 50.77 crore) (ii) Support to Akademies (₹ 12.40 crore), (iii) Support to Libraries (₹ 1.15 crore) (iv) Support to Museums (₹ 2.50 crore) and (v) Support to BTI & Memorials (₹ 46.56 crore) (3) Grants in aid Salaries under the scheme (i) Support to Museums (₹ 3.60 crore) (ii) Support to BTI & Memorials (₹ 3.14 crore) (iii) Support to Akademi (₹ 4.29 crore) (iv) Support to Libraries & Archives (₹ 0.60 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works under the scheme (i) National Gallery for Modern Art (₹ 5 crore) and (ii) National Museum (₹ 2 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)
(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 11 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.70	30088.23	30088.93
पूँजी	Capital	50.00	7698.41	7748.41
जोड़	Total	50.70	37786.64	37837.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.52	...	1.52
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.52	...	1.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	1000.00	1000.00
जोड़	Total	...	1000.00	1000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	52.22	38786.64	38838.86
राजस्व	Revenue	2.22	30088.23	30090.45
पूँजी	Capital	50.00	8698.41	8748.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	100.00 (का)	100.00
5054-सड़क और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	900.00 (खब)	900.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1000.00	1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य प्रणाली और सीमा सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 100 करोड़ रुपये।

(ख) कार्य प्रणाली और सीमा सड़क निर्माण हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 900 करोड़ रुपये। इस प्रयोजन के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में ₹300 करोड़ वसूल किया जाएगा।

उक्त व्यय को आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान मांग में उपलब्ध समकक्ष बचत के साथ मिलान किया जाएगा अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure of ₹ 100 crore towards construction of strategic and border roads in Northern Eastern Areas.

(b) meeting additional expenditure of ₹ 900 crore towards construction of strategic and border Roads. An amount of ₹ 300 crore sanctioned for this purpose as an advance from the Contingency Fund of India will be recouped.

The above expenditure will be matched by equivalent savings available in the Demand for Grants of Department of Economic Affairs and hence will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	101.44	231945.49	232046.93
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	101.44	231945.49	232046.93
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5000.00	5000.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	5000.00	5000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	101.44	236945.49	237046.93
राजस्व	Revenue	101.44	236945.49	237046.93
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	2950.00	(का)	2950.00
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	250.00	(खb)	250.00
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	1800.00	(गc)	1800.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	5000.00		5000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'परिवहन' के लिए 300 करोड़ रुपये, 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' के लिए 1150 करोड़ रुपये और 'स्टोर' के लिए 1500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
इसमें सेना के लिए 2,950 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ख) 'स्टोर' के लिए 200 करोड़ रुपये और संयुक्त स्टाफ के लिए 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
इसमें नौ सेना के लिए 250 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ग) स्टोर के लिए 1800 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
इसमें वायु सेना के लिए 1800 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 300 crore for 'transportation', Rs 1,150 crore for 'Ex-Servicemen Contributory Health Scheme' and ₹ 1,500 crore for 'stores';
This will entail cash outgo of ₹ 2,950 crore for Army.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 200 crore for 'stores' and ₹ 50 crore for Joint Staff;
This will entail cash outgo of ₹ 250 crore for Navy.
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 1,800 crore for Stores.
This will entail cash outgo of ₹ 1,800 crore for Air Force.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	81.87	134978.85	135060.72
जोड़	Total	81.87	134978.85	135060.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	3790.18	3790.18
जोड़	Total	...	3790.18	3790.18
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	81.87	138769.04	138850.91
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	81.87	138769.04	138850.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	...	3790.18	3790.18

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निवेश/संचालन आवश्यकताओं हेतु 1000 करोड़ रुपये, डिफेंस ओरडनैस फैक्ट्रियों के निगमीकरण के पश्चात नई सृजित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आधुनिकीकरण के लिए 1665 करोड़ रुपये और नौसेना बेड़ा के लिए 1,125.18 करोड़ रुपये के व्यय को पूरा करने के लिए नई सृजित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संचालन आवश्यकताओं के लिए भारत की आकस्मिता निधि से संस्वीकृत 1,000 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

आर्थिक कार्य विभाग के अनुदानों की मांगों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure of ₹ 1,000 crore towards investment /operational requirements, ₹ 1,665 crore for modernisation of the newly created Defence Public Sector Undertakings after corporatisation of Defence Ordnance Factories and ₹ 1,125.18 crore for Naval Fleet. An advance of ₹ 1,000 crore sanctioned from Contingency Fund of India for operational requirements of newly created Defence Public Sector Undertakings will be recouped. Taking into the savings available in Demands for Grants of Department of Economic Affairs, this supplementary will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	2031.51	2031.51
पूँजी	...	652.49	652.49
जोड़	...	2684.00	2684.00
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	2031.51	2031.51
Capital	...	652.49	652.49
Total	...	2684.00	2684.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	...	...
पूँजी	...	...	...
जोड़	...	...	...
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	...	...
Capital	...	...	...
Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.01	0.01
पूँजी	...	10.01	10.01
जोड़	...	10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	...	2694.02	2694.02
राजस्व	...	2031.52	2031.52
पूँजी	...	662.50	662.50
Total (Original plus Supplementary)	...	2694.02	2694.02
Revenue	...	2031.52	2031.52
Capital	...	662.50	662.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	...	0.01 (खब)	0.01
6885-उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	10.00 (गक)	10.00
जोड़ (पूँजी भाग)	...	10.01	10.01
जोड़ (पूरक)	...	10.02	10.02
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01	0.01
6885-Other Loans to Industries and Minerals	...	10.00	10.00
Total (Capital Section)	...	10.01	10.01
Total (Supplementary)	...	10.02	10.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (11.33 करोड़ रुपये) में वृद्धि करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) augmenting Grants-in-Aid General (₹ 11.33 crore) for North East Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) "उत्तर-पूर्व परिषद् की योजनाएं" के तहत सीमा सड़क संगठन के लिए चल रहे कार्यों की लागत हेतु 3.57 करोड़ रुपये। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(b) ₹ 3.57 crore towards cost of on-going works for Border Road Organisation under "Schemes of North East Council". Taking into account savings available in the same section of the Grant, Token supplementary is sought.

(ग) उत्तर-पूर्वी विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई) के लिए 10 करोड़ रुपये तक वृद्धि करते हुए ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, कोई अतिरिक्त नकद परिव्यय नहीं होगा।

(c) Provision of interest free loans amounting to ₹ 10 crore for North East Development Finance Corporation (NEDFi). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of Grant, this will not entail additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

Total

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं

3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान

जोड़ (राजस्व भाग)

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3451-Secretariat-Economic Services

3403-Oceanographic Research

Total (Revenue Section)

पूँजी भाग

मुख्य शीर्ष

5403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय

5455-मौसम विज्ञान पर पूँजीगत परिव्यय

जोड़ (पूँजी भाग)

जोड़ (पूरक)

CAPITAL SECTION

MAJOR HEAD

5403-Capital Outlay on Oceanographic Research

5455-Capital Outlay on Meteorology

Total (Capital Section)

Total (Supplementary)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ओसियन सैट-3 के लिए लीज रेंटल की लागत साझा के लिए अंतरिक्ष विभाग को भुगतान करने के लिए किराए, दरों और करों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (521.01 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 404.40 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ख) डीप ओशियन मिशन (डीओएम) योजना के विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत अतिरिक्त अनुदान को पूरा करने के लिए (120 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) डीप ओशियन मिशन (डीओएम) योजना के विभिन्न वस्तु शीर्षों के तहत अतिरिक्त अनुदान को पूरा करने के लिए (30 करोड़ रु.)

उपरोक्त व्यय के लिए (30 करोड़ रुपए) नकद निर्गम होगा;

(घ) 'एटमोस्टफेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग अब्सर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज' (एक्रॉस) योजना के तहत उच्च प्रदर्शन कम्प्यूटिंग सिस्टम की खरीद (36 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद निर्गम होगा

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes for making payment to Department of Space towards cost sharing of lease rental for OCEANSAT-3 (₹ 521.01 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 404.40 crore.

(b) meeting additional expenditure under various object heads for the scheme Deep Ocean Mission (DOM) (₹ 120 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) meeting additional expenditure under various object heads for the scheme Deep Ocean Mission (DOM) (₹ 30 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 30 crore;

(d) procurement of High Performance Computing System under scheme Atmospheric and Climate Research - Modelling Observing Systems & Services (ACROSS) (₹ 36 crore).

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 31 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	65325.15
पूँजी	Capital	...	25.50
जोड़	Total	...	65350.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	0.03
पूँजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	0.03
पूँजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	65350.71
राजस्व	Revenue	...	65325.21
पूँजी	Capital	...	25.50

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (का)
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01 (खब)
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) (1) अकादमिक और अनुसंधान सहयोग (एसपीएआरसी) को बढ़ावा देने के लिए (35.01 करोड़ रु.) (2) उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए ग्लू अनुदान (10 करोड़ रु.) (3) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान (375 करोड़ रु.) (4) आईएमएस बीएचयू के लिए अनुदान (70 करोड़ रु.) (5) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना ट्राइबल विश्वविद्यालयों के लिए (0.20 करोड़ रु.) (6) भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन (0.50 करोड़ रु.) और (7) ओरोविले प्रबंधन (2.32 करोड़ रु.) योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत सम्पत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (1) केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुदान (66 करोड़ रु.) (ii) आईएमएस बीएचयू को अनुदान (22 करोड़ रु.) (iii) ओरोविले प्रबंधन (11 करोड़ रुपए) (3) निम्नलिखित योजनाओं के लिए वेतन सहायता अनुदान (1) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (125 करोड़ रु.) (ii) आईएमएस बीएचयू को अनुदान (32 करोड़ रु.) (3) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना ट्राइबल विश्वविद्यालय (0.13 करोड़ रु.) और डीमड विश्वविद्यालयों को अनुदान (67 करोड़ रु.) और (4) उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस) को (4.58 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहयोग (350 करोड़ रु.) (2) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहयोग (76.06 करोड़ रु.) (3) एचईएफए प्रिंसिपल भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहयोग (30.41 करोड़ रु.) (4) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटीएस) और आईआईटीएसटी को (99 करोड़ रु.) (5) विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान भारतीय संस्थानों (आईआईएसईआर) को सहयोग (85 करोड़ रु.) (6) सूचना प्रौद्योगिकी के भारतीय संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) को (8.50 करोड़ रुपए) (ii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहयोग (420 करोड़ रु.) (2) आईआईटी हैदराबाद (ईएपी) (80 करोड़ रु.) (3) भारतीय प्रबंधन संस्थान को सहयोग (52.80 करोड़ रु.) और (4) भारतीय विज्ञान शिक्षा और

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grants-in-Aid General under the scheme (i) Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC) [₹ 35.01 crore], (ii) Glue Grant for Higher Education Institutions [₹ 10 crore], (iii) Grants to Central Universities [₹ 375 crore], (iv) Grants to IMS BHU [₹ 70 crore], (v) Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities [₹ 0.20 crore], (vi) Association of Indian Universities [₹ 0.50 crore] and (vii) Auroville Management [₹ 2.32 crore] (2) Grants for Creation of Capital Assets under the following schemes (i) Grants to Central Universities [₹ 66 crore] (ii) Grants to IMS BHU [₹ 22 crore] and (iii) Auroville Management [₹ 11 crore] (3) Grants-in-Aid Salaries under the following schemes (i) Grants to Central Universities [₹ 125 crore], (ii) Grants to IMS BHU [₹ 32 crore], (iii) Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities [₹ 0.13 crore] and (iv) Grants to Deemed University [₹ 67 crore] and (4) 'Other Administrative Expenses' under Higher Education Statistics And Public Information System (HESPIIS) [₹ 4.58 crore] Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-Aid General under the following schemes (1) Support to Indian Institutes of Technology [₹ 350 crore], (2) Support to Indian Institutes of Management [₹ 76.06 crore], (3) Support to Indian Institutes of Management-Payment of HEFA Principal [₹ 30.41 crore], (4) Support to National Institutes of Technology (NITs) and IIST [₹ 99 crore], (5) Support to Indian Institute of Science Education & Research (IISER) [₹ 85 crore], (6) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 8.50 crore] (ii) Grants for creation of Capital Assets under the following schemes (1) Support to Indian Institutes of Technology [₹ 420 crore], (2) IIT, Hyderabad (EAP)

अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) (110 करोड़ रु.) और (iii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत वेतन सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रबंधन संस्थान (38.43 करोड़ रु.) और (2) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचिपुरम को सहायता (14 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ग) (i) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (40 करोड़ रु.) (ii) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को पूंजीगत सम्पत्ति निर्माण हेतु अनुदान (44 करोड़ रु.) और (iii) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को वेतन सहायता अनुदान हेतु (30 करोड़ रु.)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

[₹ 80 crore], (3) Support to Indian Institutes of Management [₹ 52.80 crore] and (4) Support to Indian Institute of Science Education & Research (IISER) [₹ 110 crore] and (iii) Grants-in-Aid Salaries under the following schemes (1) Support to Indian Institutes of Management [₹ 38.43 crore] and (2) Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 14 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(i) Grants-in-Aid General under Grants to Central Universities [₹ 40 crore] (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Support to Indian Institutes of Management [₹ 44 crore] and (iii) Grants-in-Aid Salaries under Grants to Central Universities [₹ 30 crore]

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9274.66	9274.66
पूँजी	Capital	...	446.00	446.00
जोड़	Total	...	9720.66	9720.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9720.70	9720.70
राजस्व	Revenue	...	9274.69	9274.69
पूँजी	Capital	...	446.01	446.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(ख) 0.01
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.01	(घ) 0.01
जोड़ (पूँजी)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु (1) इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस (10 करोड़ ₹.) नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोग्राम (20 करोड़ ₹.) साइबर सिक्योरिटी परियोजनाएं (10 करोड़ ₹.) और (ii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए (153.80 करोड़ ₹.) व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) (ख) इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम - प्रोग्राम घटक के तहत (59 करोड़ ₹.) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना घटक (10 करोड़ ₹.), इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण (एमएसआईपीएस, ईडीएफ और विनिर्माण क्लस्टर) (12.16 करोड़ ₹.) साइबर सिक्योरिटी परियोजना (121 करोड़ ₹.) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा (7 करोड़ ₹.) एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक) केन्द्र के विकास हेतु (17 करोड़ ₹.), इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोग्राम (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लिए 15 करोड़ ₹. और आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के लिए 15 करोड़ ₹.) नेशनल नॉलेज नेटवर्क प्रोग्राम (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु 25 करोड़ ₹.) और आदिवासी क्षेत्र उप योजना के लिए (20 करोड़ ₹.), साइबर सिक्योरिटी परियोजना (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना के लिए 8 करोड़ ₹.) और (ii) डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के अंतर्गत अन्य शुल्क (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु 133.70 करोड़ ₹. और आदिवासी उपक्षेत्र के लिए 88.50 करोड़ रूपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत से ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Electronics Governance (₹ 10 crore), National Knowledge Network Programme (₹ 20 crore), Cyber Security Projects (₹ 10 crore) and (ii) Other Charges for Promotion of Digital Payments (₹ 153.80 crore) for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under Electronic Governance Programme - Programme Component (₹ 59 crore), Externally Aided Project Component (₹ 10 crore), Promotion of Electronics and IT Hardware Manufacturing (MSIPS, EDF and Manufacturing Clusters) (₹ 12.16 crore), Cyber Security Projects (₹ 121 crore), Promotion of Digital payments (7 crore), Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) (₹ 17 crore), Electronic Governance Programme (₹ 15 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 15 crore for Tribal Area Sub-Plan), National Knowledge Network Programme (₹ 25 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 20 crore for Tribal Area Sub-Plan), Cyber Security Projects (₹ 8 crore for Tribal Area Sub-Plan) and (ii) Other Charges under Promotion of Digital Payments (₹ 133.70 crore for Special Component Plan for Scheduled Castes and ₹ 88.50 crore for Tribal Area Sub-Plan).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	(ग) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (271.97 करोड़ रु.) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (10 करोड़ रु.) और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए वेतन सहायता अनुदान हेतु (3 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(c)	meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 271.97 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 3 crore) for Unique Identification Authority of India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	नेशनल इन्फोरमेटिक्स प्रोग्राम एनआईसीएनईटी और न्यू डिस्ट्रीक्ट केन्द्र के नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर के अन्तर्गत मशीनरी और उपकरण में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (13 करोड़ रु.) और डाटा केन्द्रों और क्लाउड सेवाओं के लिए (12 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(d)	meeting additional expenditure towards Machinery and Equipment under National Informatics Centre for National Informatics Programme NICNET and New District Centre (₹ 13 crore) and Data Centres and Cloud Services (₹ 12 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3014.10	3014.10
पूँजी	Capital	...	122.48	122.48
जोड़	Total	...	3136.58	3136.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3136.61	3136.61
राजस्व	Revenue	...	3014.13	3014.13
पूँजी	Capital	...	122.48	122.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01 (क)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(क) (i) इण्डियन काउन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (आईसीएफआरई) हेतु (10 करोड़ ₹.) और (ii) वाइल्ड लाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के लिए (2 करोड़ रुपये) वेतन सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने हेतु	(a)	meeting expenditure towards Grants-in-aid-Salaries for (i) Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) (₹ 10 crore) and (ii) Wildlife Institute of India (₹ 2 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत से ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	हानिकारक पदार्थ प्रबंधन (3.10 करोड़ ₹.) के व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।	(b)	meeting expenditure towards Grants-in-aid-General for Hazardous Substance Management (₹ 3.10 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांग जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)
(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	16663.95	16663.98
पूँजी	Capital	...	1490.75	1490.75
जोड़	Total	0.03	18154.70	18154.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	370.00	370.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	370.00	370.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	18524.72	18524.75
राजस्व	Revenue	0.03	17033.96	17033.99
पूँजी	Capital	...	1490.76	1490.76
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	0.01	(का) 0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के लिए सहायता वेतन अनुदान (0.24 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (10.22 करोड़ रुपये) (ii) प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र के लिए सहायता अनुदान (1.40 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) नार्वे में उपग्रह एंटीना की स्थापना के और जेनेवा संपत्ति के चल रहे निर्माण कार्य समाधान बिल के लिए 'प्रमुख कार्य' व्यय को पूरा करने के लिए (109.11 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.24 crore) and Grants-in-aid General (₹ 10.22 crore) for Research and Information System for Developing counties and (ii) Grants-in-aid General for Pravasi Bhartiya Sahayata Kendra (₹ 1.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 'major works' for installation of Satellite Antenna in Norway and ongoing construction work settlement bills of Geneva property (₹ 109.11 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4649.12	4649.12
पूँजी	Capital	...	94900.41	94900.41
जोड़	Total	...	99549.53	99549.53
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	2641.67	2641.67
जोड़	Total	...	2641.68	2641.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	102191.23	102191.23
राजस्व	Revenue	...	4649.15	4649.15
पूँजी	Capital	...	97542.08	97542.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) किराए, दरों और करों के भुगतान के लिए व्यय को पूरा करना (6.35 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) फिनटेक इंसेंटिव स्कीम और सुपरवाइजरी प्रौद्योगिकी (सुप-टेक) परियोजना और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ (आईईजी) हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) (5.58 करोड़ रुपये); भवन निर्माण परियोजनाओं के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता के अंतर्गत (52.00 करोड़ रुपये); और आईएफएससीए और आर्थिक विकास संस्थान (आईईजी) के लिए वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत (4.72 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards payment of Rent, Rates & Taxes (₹ 6.35 crores).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) International Financial Services Centres Authority (IFSCA) under GiA-General (₹ 5.58 Crores) towards Fintech Incentive Scheme and Supervisory Technology (Sup Tech) Project and for Institute of Economic Growth (IEG); under GiA - Creation of Capital Assets (₹ 52.00 crores) for building project; and under GiA-Salaries (₹ 4.72 Crores) for IFSCA and Institute of Economic Growth (IEG).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	454.74	454.74
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	454.74	454.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	4.27	4.27
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	4.27	4.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	459.01	459.01
राजस्व	Revenue	...	459.01	459.01
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	4.27	4.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

एनआईएफएम में उन्नयन सुविधा प्रदान करने के लिए (4.27 करोड़ रुपये)
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

upgradation of facilities in NIFM (₹ 4.27 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)
(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3710.78	3710.78
पूँजी	Capital	...	47800.03	47800.03
जोड़	Total	...	51510.81	51510.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1750.00	1750.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1750.00	1750.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	53260.82	53260.82
राजस्व	Revenue	...	5460.78	5460.78
पूँजी	Capital	...	47800.04	47800.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) अवसंरचना और विकास वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक (एनबीएफआईडी) के लिए नकद में 5000 करोड़ रुपये के रूप में सहायता अनुदान की अतिरिक्त राशि ताकि कर मुक्त बांड के जारी होने से अपेक्षित संभावित लागत बचतों के बदले में निधियों की लागत को कम किया जा सके।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (I) additional amount of ₹ 5000 Crore as Grant-in Aid to National Bank for Financing Infrastructure and Development (NaBFID) in cash to reduce cost of funds in lieu of potential cost savings expected from issue of tax free bonds.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	201499.60	201499.62
पूँजी	Capital	...	13.02	13.02
जोड़	Total	0.02	201512.62	201512.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	201512.65	201512.67
राजस्व	Revenue	0.02	201499.62	201499.64
पूँजी	Capital	...	13.03	13.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01 (का)	0.01
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	2047-Other Fiscal Services	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थता मामलों के लिए विधिक फर्मों को व्यावसायिक फीस/शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त व्यय (15.09 करोड़ रुपए) को पूरा करने के लिए।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को वेतन सहायता अनुदान (1.56 करोड़ रुपए) जारी करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) राजस्व भवन के निर्माण के संबंध में बकाया बिलों के भुगतान करने के लिए (1.65 करोड़ रुपए)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure (₹ 15.09 crore) towards professional fee/charges to be paid to the legal firms for International arbitration cases.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) release of Grants-in-aid-Salaries (₹ 1.56 crore) to National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) making payments of outstanding bills (₹ 1.65 crore) in connection with construction of Rajswa Bhawan.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8180.34	8180.34
पूँजी	Capital	...	352.00	352.00
जोड़	Total	...	8532.34	8532.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8532.37	8532.37
राजस्व	Revenue	...	8180.34	8180.34
पूँजी	Capital	...	352.03	352.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (क)	0.01
4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) रायपुर में तैयार कार्यालय भवन की खरीद (4.02 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) आयकर कार्यालय, इरोड के कर्मचारियों/अधिराकियों के लिए रिहायशी आवास का निर्माण (3.44 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) purchase of ready built office building at Raipur (₹ 4.02 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.
- (b) construction of Residential Quarters for employees/officers of Income Tax Office, Erode (₹ 3.44 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)
(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	20906.77	20907.27
पूंजी	Capital	...	452.00	452.00
जोड़	Total	0.50	21358.77	21359.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	53122.63	53122.63
पूंजी	Capital	...	426.00	426.00
जोड़	Total	...	53548.63	53548.63
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	74907.42	74907.92
राजस्व	Revenue	0.50	74029.42	74029.92
पूंजी	Capital	...	878.00	878.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	53122.63 (का)	53122.63
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	327.00 (खब)	327.00
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	99.00 (गक)	99.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	426.00	426.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	53548.63	53548.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आरओएससीटीएल (अतिरिक्त 1% तदर्थ प्रोत्साहन सहित) स्कीम के चलते (चालू वर्ष हेतु 6,946 करोड़ रु. और एरियरों के भुगतान हेतु 5,286 करोड़ रु.) 12,232 करोड़ रु., स्कीमों के तहत एकत्रित एरियरों का एकमुश्त भुगतान, आरओडीटीईपी (ए/ईओयू/एसईजैड को छोड़कर) (2,568 करोड़), एमईआईएस (29,599.20 करोड़ रु.), एसईआईएस (6,001.20 करोड़ रु.), आरओएसएल (264 करोड़ रु.), 2% अतिरिक्त/ मोबाइल फोन के लिए तदर्थ प्रोत्साहन (109.80 करोड़ रु.), टारगेट प्लस स्कीम (1,549.02 करोड़ रु.), फोकस प्रोडक्ट स्कीम और बाजार से जुड़ा फोकस उत्पाद स्कीम (565.68 करोड़ रु.), फोकस मार्केट स्कीम (175.27 करोड़ रु.), विशेष कृषि और ग्रामोद्योग योजना (136.15 करोड़ रु.), स्टेटस होल्डर्स इनसेन्सिव स्कीम (एसएचआईएस) (378.90 करोड़ रु.), एनवल इन्क्रिमेंटल एक्सपोर्ट इनसेन्सिटिविजेशन स्कीम (82.75 करोड़ रु.), सुप्रीम कोर्ट में एसएफआईएस हेतु निर्णयाधीन मामले (6.66 करोड़ रु.)।

अनुदान के समान खण्ड में उपलब्ध 546 करोड़ रु. के बचतों को ध्यान में रखते हुए (आरओडीटीईपी स्कीम के तहत), उपरोक्त अनुपूरक में 53,122.63 करोड़ रु. का अतिरिक्त निवल नकद व्यय शामिल होगा।

(ख) लुधियाना में सभी सीबीआईसी संरचनाओं के लिए कार्यालय-सह आवास के लिए भूमि की खरीद (161.22 करोड़ रुपये); डीआरआई (जेडयू), अहमदाबाद के लिए भूमि की खरीद के लिए (40.00 करोड़ रुपये); वाराणसी में कार्यालय भवन निर्माण हेतु भूमि क्रय हेतु (74.38 करोड़ रु.); पलासमुद्रम, हिंदुपुर, एपी में नए एनएसीआईएन कॉम्प्लेक्स में भवन के निर्माण के लिए (20.00 करोड़ रुपये); अट्टापुर, हैदराबाद में आरटीआई, एनएसीआईएन के निर्माण के लिए (0.36 करोड़ रुपये); बोईसर में मंडल और रेंज कार्यालय के निर्माण के लिए (3.00 करोड़ रुपये); कार्यालय भवन के निर्माण के लिए, सीजीएसटी गाजियाबाद के

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure on account of RoSCTL (including 1% additional ad hoc incentive) scheme { ₹ 12,232 crore (₹ 6,946 crore for current year & ₹ 5,286 crore for payment of arrears)}, onetime payment of accumulated arrears under the schemes, RoDTEP (excluding AA/EOU/SEZ) (₹ 2,568 crore), MEIS (₹ 29,599.20 crore), SEIS (₹ 6,001.20 crore), RoSL (₹ 264 crore), 2% Addl. Ad hoc Incentive for mobile phones (₹ 109.80 crore), Target Plus Scheme (₹ 1,549.02 crore), Focus Product Scheme and Market Linked Focus Product Scheme (₹ 565.68 crore), Focus Market Scheme (₹ 175.27 crore), Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (₹ 136.15 crore), Status Holders Incentive Scheme (SHIS) (₹ 378.90 crore), Annual Incremental Export Incentivisation Scheme (₹ 82.75 crore), Cases under litigation for SFIS at Supreme Court (₹ 6.66 crore).

Taking into account savings of ₹ 546 crore available under the same section of Grant (under RoDTEP scheme), the above supplementary will entail additional net cash outgo of ₹ 53,122.63 crore.

(b) purchase of land for Office-cum Residence for all CBIC formations at Ludhiana (₹ 161.22 crore); for purchase of land for DRI (ZU), Ahmedabad (₹ 40.00 crore); for Purchase of land for construction of office building at Varanasi (₹ 74.38 crore); for construction of building at New NACIN Complex at Palasamudram, Hindupur, AP (₹ 20.00 crore); for construction of RTI, NACIN at Attapur, Hyderabad (₹ 0.36 crore); for construction of Division & Range Office at Boisar (₹ 3.00 crore); for construction of office building,

लिए चारदीवारी (11.04 करोड़ रुपये); भीलवाड़ा में सीजीएसटी मंडल कार्यालय के निर्माण के लिए (1.70 करोड़ रुपये); उदयपुर में सीजीएसटी के लिए नए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (12.00 करोड़ रुपये); वसंत कुंज, नई दिल्ली में डीआरआई (मुख्यालय) के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (1.40 करोड़ रुपये); चेन्नई में डीआरआई ज़ोनल यूनिट के लिए कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (1.90 करोड़ रुपये); जाम नगर में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (1.00 करोड़ रुपये); कोलकाता में डीआरआई कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (5.00 करोड़ रुपये), अगरतला में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए (4.00 करोड़ रुपये)।

आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) द्वारका में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (40.26 करोड़ रुपये); अन्ना नगर, चेन्नई में आवासीय क्वार्टरों का निर्माण (55.00 करोड़ रु); खारघर, नवी मुंबई में विभागीय क्वार्टरों का निर्माण (28.00 करोड़ रुपये); एलसीएस, जोगबनी में आवासीय परिसर का निर्माण (2.74 करोड़ रुपये)।

आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

boundary wall for CGST Ghaziabad (₹ 11.04 crore); for construction of CGST Division Office at Bhilwara (₹ 1.70 crore); for construction of New Office building for CGST at Udaipur (₹ 12.00 crore); for construction of office building for DRI (HQ.) at Vasant Kunj, New Delhi (₹ 1.40 crore); for construction of office building for DRI Zonal Unit at Chennai (₹ 1.90 crore); for construction of Office Building at Jam Nagar (₹ 1.00 crore); for construction of DRI Office Building at Kolkata (₹ 5.00 crore);for construction of Office Building at Agartala (₹ 4.00 crore).

Taking into account, the Savings available in the Demands for Grants of Department of Economic Affairs, this will not entail Cash Outgo.

(c) construction of residential quarters at Dwarka (₹ 40.26 crore); construction of residential quarters at Anna Nagar, Chennai (₹ 55.00 crore); construction of Departmental Quarters at Kharghar, Navi Mumbai (₹ 28.00 crore); construction of residential complex at LCS, Jogbani.(₹ 2.74 crore).

Taking into account, the Savings available in the Demands for Grants of Department of Economic Affairs, this will not entail Cash Outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 40

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)
(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	220843.00	71490.77	292333.77
पूँजी	Capital	46850.00	10000.01	56850.01
जोड़	Total	267693.00	81490.78	349183.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	...	0.01
पूँजी	Capital	...	158999.99	158999.99
जोड़	Total	0.01	158999.99	159000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	267693.01	240490.78	508183.79
राजस्व	Revenue	220843.01	71490.78	292333.79
पूँजी	Capital	46850.00	169000.00	215850.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत अतिरिक्त निधि 2478.15 करोड़ रुपये को जारी करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

additional funds of ₹ 2478.15 crore for releasing Grants-in-aid General under National Disaster Mitigation Fund (NDMF).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)
(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	(₹ करोड़) (In ₹ crores) जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	114771.54	114771.54
पूँजी	Capital	...	4355.61	4355.61
जोड़	Total	...	119127.15	119127.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15917.89	15917.89
पूँजी	Capital	...	545.66	545.66
जोड़	Total	...	16463.55	16463.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.08	0.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	135590.78	135590.78
राजस्व	Revenue	...	130689.49	130689.49
पूँजी	Capital	...	4901.29	4901.29
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (घd)	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (ङe)	0.01
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	0.01 (चf)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.06	0.06
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (छg)	0.01
4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (जh)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.08	0.08

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

3606-सहायता सामग्री और उपस्कर

3606-Aid Materials and Equipment

...

(-)609.84

(-)609.84

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (439.07 करोड़ रुपये) (2) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत पूँजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grants in Aid General under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 439.07 crore) (2) Grants for Creation of Capital Assets under various Schemes/Institutions as per Annexure

	(215.33 करोड़ रुपये) (3) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत वेतन सहायता अनुदान (900.79 करोड़ रुपये) (4) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थाओं/संगठनों के संबंध में व्यय की अन्य मदों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए: क. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) (i) विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना (36 करोड़ रुपये) (ii) प्रवेश के स्थलों की निगरानी क्षमता को मजबूत करना (41.18 करोड़ रुपये), (iii) स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों की स्थापना आपदा और महामारी की तैयारी को मजबूत करना (2 करोड़ रुपये) और (iv) संक्रामक रोग और प्रकोप प्रतिक्रिया की निगरानी को मजबूत करना (54 करोड़ रुपये) (ख) भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (जीबीएस) के भाग के रूप में स्वास्थ्य क्षेत्र आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया के तहत आपूर्ति और सामग्री (0.05 करोड़ रुपये) (ग) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुदान के तहत व्यावसायिक सेवा (1.25 करोड़ रुपये) (घ) भारत की कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी) - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत अन्य शुल्क (1.06 करोड़ रुपये) 5. केंद्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो - एनएचपी के लिए केंद्रीय डैशबोर्ड के तहत व्यावसायिक सेवाएं (3.84 करोड़ रुपये)	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ख)	(1) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (0.15 करोड़ रुपये) और (2) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत सहायता अनुदान (7.69 करोड़ रुपये)	(b)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(घ)	(i) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन के तहत (पीएम-एबीएचआईएम) राज्यों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने (1044 करोड़ रुपये) (ii) मानव संसाधन स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा - नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और सरकारी मेडिकल कॉलेज की मौजूदा सीटों में वृद्धि (1002.37 करोड़ रुपये) और (2) सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (जीबीएस) (1071.12 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी) (315.10 करोड़ रुपये) (iii) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन - (ईएपी) (609.84 करोड़ रुपये)।	(d)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(ङ)	(1) प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य अवसररचना को मजबूत करने के लिए (120 करोड़ रुपये) और (2) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान - भारत कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (ईएपी) (11.23 करोड़ रुपये)।	(e)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(च)	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम एवं पोलियो उन्मूलन के सुदृढीकरण हेतु सामग्री सहायता योजना के अंतर्गत अन्य संविदात्मक सेवाओं के मद में अतिरिक्त व्यय (609.84 करोड़ रुपये) की पूर्ति करना।	(f)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	
(छ)	(1)(i) प्रवेश के बिंदुओं की निगरानी क्षमता को मजबूत करने के लिए प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत प्रमुख कार्यों के लिए (40 करोड़ रुपये) (ii) आपदा और महामारी की तैयारी को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्रों की स्थापना हेतु मशीनरी और उपकरण (5 करोड़ रुपये) (iii) संक्रामक रोग एवं प्रकोप प्रतिक्रिया की निगरानी को मजबूत करने के तहत प्रमुख कार्य (20 करोड़ रुपये) (2) औषधालयों और अस्पतालों (सीजीएचएस) की स्थापना के लिए मशीनरी और उपकरण (2 करोड़ रुपये) (3) सफरदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए मशीनरी और उपकरण (168.70 करोड़ रुपये) (4) केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची के लिए विभिन्न मदों के तहत (6.40 करोड़ रुपये) (5) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एसके अस्पताल, नई दिल्ली के लिए विभिन्न मदों के तहत (56.49 करोड़ रुपये) (6) डॉ. आर.एम.एल पीजीआईएमईआर नई दिल्ली के लिए प्रमुख कार्य (1.50 करोड़ रुपये) (7) प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत मशीनरी और उपकरण (200 करोड़ रुपये) (8) राज कुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग,	(g)
	(₹ 215.33 crore) (3) Grants in Aid Salaries under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 900.79 crore) (4) For meeting additional expenditure on (a) Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) (i) Strengthening of Health Infrastructure in the Union Territories without legislature (₹ 36 crore) (ii) Strengthening surveillance capacity of Points of Entry (₹ 41.18 crore), (iii) Setting up of Health Emergency Operation Centres under Strengthening Disaster and Epidemic Preparedness (₹ 2 crore) and (iv) Strengthening Surveillance of Infectious Disease and Outbreak Response (₹ 54 crore) (b) Supplies & Materials (₹ 0.05 crore) under Health Sector Disaster Preparedness and Response as part of India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (GBS) (c) Professional Service (₹ 1.25 crore) under Grants for International Conferences on Medical and Public Health (d) Other Charges (₹ 1.06 crore) under National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package (EAP) 5. Professional Services (₹ 3.84 crore) under Central Bureau of Health Intelligence - Central Dashboard for NHP Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (1) Grants for Creation of Capital Assets under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 0.15 crore) and (2) Grants in aid Salaries under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 7.69 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (1) Grants for Creation of Capital Assets for (i) Strengthening of Health Infrastructure in the States (₹ 1044 crore) under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM), (ii) Human Resources for Health and Medical Education - Establishment of New Medical Colleges and Increase in Seats in existing Government Medical Colleges (₹ 1002.37 crore) and (2) Grants in Aid General for (i) National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package (GBS) (₹ 1071.12 crore) (ii) National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package (EAP) (₹ 315.10 crore) and (iii) National Rural Health Mission - (EAP) (₹ 609.84 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (1) Grants for creation of Capital Assets for (i) Strengthening of Health Infrastructure in the Union Territories with legislature under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) (₹ 120 crore) and (2) Grants in Aid General for National Rural Health Mission - India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness Package (EAP) (₹ 11.23 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. Other Contractual Services (₹ 609.84 crore) under the Scheme Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (1) (i) Major Works (₹ 40 crore) under Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) for strengthening surveillance capacity of Points of Entry (ii) Machinery & Equipment (₹ 5 crore) under Setting up of Health Emergency Operation Centres for Strengthening Disaster and Epidemic Preparedness (iii) Major Works (₹ 20 crore) under Strengthening Surveillance of Infectious Disease and Outbreak Response (2) Machinery & Equipment (₹ 2 crore) for setting up of Dispensaries and Hospitals (CGHS)(3) Machinery & Equipment (₹ 168.70 crore) for Safdarjung Hospital, New Delhi (4) Under various heads (₹ 6.40 crore) for Central Institute of Psychiatry, Ranchi (5) Under various heads (₹ 56.49 crore) for Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi (6)Major Works (₹ 1.50 crore) for Dr. RMLPGIMER, New Delhi (7) Machinery & Equipment (₹ 200 crore) under Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY)(8)	

नई दिल्ली के लिए प्रमुख कार्य (6.26 करोड़ रुपये) (9) क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर के लिए प्रमुख कार्य (0.26 करोड़ रुपये) और (10) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के लिए मशीनरी और उपकरण (15.32 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ज) विभिन्न संस्थानों के लिए प्रमुख कार्यों के तहत (1) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (4 करोड़ रु.) (2) केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची (5.10 करोड़ रुपये) और (3) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस. के. अस्पताल, नई दिल्ली (0.99 करोड़ रु.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) (1) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान (54.48 करोड़ रुपये), (2) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (250.91 करोड़ रुपये) (3) अनुबंध के अनुसार विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के तहत सहायता वेतन अनुदान (30.93 करोड़ रुपये)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Major Works (₹ 6.26 crore) for Raj Kumari Amrit Kaur College of Nursing, New Delhi (9) Major Works (₹ 0.26 crore) for Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur and (10) Machinery & Equipment (₹ 15.32 crore) for Central Drugs Standards Control Organisation.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

Major Works for various institutions (1) Safdarjung Hospital, New Delhi (₹ 4 crore) (2) Central Institute of Psychiatry, Ranchi (₹ 5.10 crore) and (3) Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi (₹ 0.99 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(1) Grants in Aid General under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 54.48 crore), (2) Grants for creation of Capital Assets under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 250.91 crore) (3) Grants in Aid Salaries under various Schemes/Institutions as per Annexure (₹ 30.93 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुबंध
(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष का विवरण	जीआईए (जी)	जीआईए (सीए)	जीआईए (एस)
मुख्य शीर्ष 2210			
1. भारतीय कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (डीबीएस)			
i. टेलीचिकित्सा (96.80 करोड़ रुपये)	96.80		
ii. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (86.00 करोड़ रुपये)	86.00		
iii. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (23.00 करोड़ रुपये)	23.00		
iv. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (13.00 करोड़ रुपये)	13.00		
v. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (11.40 करोड़ रुपये)	11.40		
vi. कोविड प्रबंधन पर प्रशिक्षण (16.00 रुपये)	16.00		
2. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान (1.05 करोड़ रुपये)	1.05		
3. चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कलकत्ता	1.00		
4. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलोर को अनुदान (35.93 करोड़ रुपये)	35.93		
5. अखिल भारतीय वॉक और श्रवण संस्थान (4.95 करोड़ रुपये)	4.95		
6. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (13.70 करोड़ रुपये)	13.70		
7. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा सेवाग्राम में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अनुदान (17.87 करोड़ रुपये)	17.87		
8. लाला राम स्वरूप टीबी और सम्बद्ध रोग संस्थान (5.75 करोड़ रुपये)	5.75		
9. संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक राष्ट्रीय आयोग (7.00 करोड़ रुपये)	7.00		
10. राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटियों (जीसी) को अनुदान (88.21 करोड़ रुपये)	88.21		
11. एनसीडीसी शाखाओं और स्वास्थ्य पहलों की स्थापना और सशक्तिकरण-पशुजन्य रोगों और अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की तैयारी और नियंत्रण के लिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय, वायरल हेपेटाइटिस, रोगाणुरोधी प्रतिरोध की निगरानी (7.50 करोड़ रुपये)	7.50		
12. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) (2.95 करोड़ रुपये)	2.95		
13. नेशनल ड्रग्स डीएड्डीकेशन कार्यक्रम (6.25 करोड़ रुपये) (एम्स, नई दिल्ली - 3.50 करोड़ रुपये, एम्स-डीटीसी, नई दिल्ली (2.75 करोड़ रुपये)	6.25		
14. ट्रॉमा सेंटर्स की क्षमता निर्माण के लिए सहायता (0.71 करोड़ रुपये)	0.71		
15. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसररचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)			
i. 12 केंद्रीय संस्थानों में 150 बेड के गहन देख-भाल अस्पताल ब्लॉकों को स्थापित करना		50.00	
16. वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को अनुदान (1.50 करोड़ रुपये)		1.50	
17. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (60.00 करोड़ रुपये)		60.00	
18. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान, बेंगलोर को अनुदान (50.00 करोड़ रुपये)		50.00	
19. लाला राम स्वरूप टीबी और सम्बद्ध रोग संस्थान (0.50 करोड़ रुपये)		0.50	
20. सम्बद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यावसायिक राष्ट्रीय आयोग (0.20 करोड़ रुपये)		0.20	
21. भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (26.95 करोड़ रुपये)		26.95	
22. पैस्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुन्नूर (रु. 25.00 करोड़)		25.00	
23. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) (1.00 करोड़ रुपये)		1.00	
24. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (0.02 करोड़ रुपये)		0.02	
25. नेशनल ड्रग्स डीएड्डीकेशन कार्यक्रम - डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली, ड्रग डीएड्डीकेशन केंद्र (0.16 करोड़ रुपये)		0.16	

मुख्य शीर्ष का विवरण	जीआईए (जी)	जीआईए (सीए)	जीआईए (एस)
26. भारतीय कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज (डीबीएस) -			
i अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (11.50 करोड़ रुपये)			11.50
ii स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (6.50 करोड़ रुपये)।			6.50
iii जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (5.70 करोड़ रुपये)			5.70
27. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (120.00 करोड़ रुपये)			120.00
28. राष्ट्रीय मानसिक चिकित्सा और स्नायु विज्ञान संस्थान को अनुदान, बेंगलोर (12.00 करोड़ रुपये)			12.00
29. अखिल भारतीय वाक एवं श्रवण संस्थान, मैसूर को अनुदान (6.79 करोड़ रुपये)			6.79
30. क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (20.00 करोड़ रुपये)			20.00
31. कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा सेवाग्राम में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए अनुदान (4.54 करोड़ रुपये)			4.54
32. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (700.00 करोड़ रु.)			700.00
33. लाला राम स्वरूप टीबी और सम्बद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (0.50 करोड़ रुपये)			0.50
34. राष्ट्रीय सम्बद्ध और स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायिक आयोग (1.00 करोड़ रु.)			1.00
35. भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (2.00 करोड़ रुपये)			2.00
36. राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश) (1.00 करोड़ रुपये)			1.00
37. नेशनल ड्रग्स डीएडिकेशन कार्यक्रम (9.26 करोड़ रु.) (एम्स, नई दिल्ली (6.10 करोड़ रुपये, निमहंस, बेंगलुरु - 2.00 करोड़ रुपये, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ (1.00 करोड़ रुपये), (डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली (0.16 करोड़ रुपये)			9.26
कुल	439.07	215.33	900.79
मुख्य शीर्ष 2211 - परिवार कल्याण			
1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली। (0.15 करोड़ रुपये)		0.15	
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली। (4.69 करोड़ रुपये)			4.69
3. जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई (3.00 करोड़ रुपये)			3.00
कुल	0.00	0.15	7.69
मुख्य शीर्ष 2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1. भारतीय कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारी पैकेज - केंद्रीय अस्पताल -			
i क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (7.40 करोड़ रुपये)	7.40		
2. जनसंख्या अनुसंधान केंद्र (0.15 करोड़ रुपये)	0.15		
3. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (30.93 करोड़ रुपये)	30.93		
4. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर (1.00 करोड़ रुपये)	1.00		
5. राज्य एड्स नियंत्रण समितियों (जीसी) को अनुदान (रु. 10.00 करोड़)	10.00		
6. ट्रॉमा सेंटरों के लिए क्षमता निर्माण के लिए सहायता (5.00 करोड़ रुपये)	5.00		
7. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (220.57 करोड़ रुपये)		220.57	
8. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (23.34 करोड़ रुपये)		23.34	
9. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर (7.00 करोड़ रुपये)		7.00	
10. पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग (13.00 करोड़ रुपये)			13.00
11. क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इम्फाल (18.03 करोड़ रुपये)			18.03
12. लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर (8.00 करोड़ रुपये)			8.00
कुल	54.48	250.91	39.03

ANNEXURE
(Rs. in Crores)

DETAILS OF MAJOR HEAD(S)	GIA (G)	GIA (CA)	GIA(S)
Major Head 2210			
1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (DBS)			
i. Telemedicine (Rs. 96.80 Crores)	96.80		
ii..Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Rs.86.00 Cr.)	86.00		
iii. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs.23.00 Cr.)	23.00		
iv. Post-Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs. 13.00Cr.)	13.00		
v. Regional Postgraduate Centre, Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry (Rs. 11.40Crore)	11.40		
vi. Training on COVID Management (Rs. 16.00 Crore)	16.00		
2. Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi (Rs. 1.05 Cr.)	1.05		
3. Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (Rs.1.00 Cr.)	1.00		
4. Grants to National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore (Rs.35.93Cr.)	35.93		
5. Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (Rs.4.95 Cr.)	4.95		
6. Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Rs.13.70 Cr.)	13.70		
7. Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (Rs. 17.87 Cr.)	17.87		
8. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (Rs.5.75 Cr.)	5.75		
9. National Commission for Allied & Health Care Professionals (Rs. 7.00 Cr.)	7.00		
10. Grants to State AIDS Control Societies (GC) (Rs. 88.21 Cr.)	88.21		
11. Establishment and Strengthening of NCDC Branches and Health Initiatives - Inter Sectoral Co-ordination for preparation and control of Zoonotic Diseases and Other neglected tropical diseases, surveillance of Viral Hepatitis, Anti-Microbial Resistance (Rs. 7.50 Cr.)	7.50		
12. National Institute of Biologicals, NOIDA (U.P) (Rs.2.95 Cr.)	2.95		
13. National Drugs Deaddiction Programme (Rs. 6.25 Cr.) (AIIMS, New Delhi-Rs.3.50 Cr., AIIMS-DTC, New Delhi (Rs. 2.75 Cr.)	6.25		
14. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (Rs. 0.71 Cr.)	0.71		
15. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM)			
i. Setting up of 150 bedded Critical Care Hospital Blocks in 12 Central Institutions		50.00	
16.. Grants to Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi (Rs. 1.50 Cr.)		1.50	
17. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs. 60.00 Cr.)		60.00	
18. Grants to National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore (Rs.50.00Cr.)		50.00	
19. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (Rs.0.50 Cr.)		0.50	
20. National Commission for Allied & Health Care Professions (Rs. 0.20 Cr.)		0.20	
21. Food Safety and Standards Authority of India (Rs. 26.95 Cr.)		26.95	
22. Grants to Pasteur Institute of India, Coonoor (Rs.25.00 Cr.)		25.00	
23. National Institute of Biologicals, NOIDA (U.P) (Rs.1.00Cr.)		1.00	
24 National Academy of Medical Sciences (Rs. 0.02 Cr.)		0.02	
25. National Drugs Deaddiction Programme - Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi, Drug Deaddiction Centre - Rs. 0.16 Cr.)		0.16	

DETAILS OF MAJOR HEAD(S)	GIA (G)	GIA (CA)	GIA(S)
26. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package (DBS) -			
i. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs.11.50 Cr.			11.50
ii Post-graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (Rs. 6.50 Cr.).			6.50
iii. Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Rs. 5.70 Cr.)			5.70
27. All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (Rs.120.00 Cr.			120.00
28. Grants to National Institute of Mental Health & Neuro Sciences, Bangalore (Rs.12.00Cr.)			12.00
29. Grants to All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (Rs.6.79 Cr.)			6.79
30. Regional Post Graduate Centre, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research, Puducherry (Rs.20.00 Cr.)			20.00
31. Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (Rs. 4.54 Cr.)			4.54
32..Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (Rs.700.00 Cr.)			700.00
33. Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (Rs.0.50 Cr.)			0.50
34. National Commission for Allied & Health Care Professions (Rs. 1.00 Cr.)			1.00
35. Food Safety and Standards Authority of India (Rs. 2.00 Cr.)			2.00
36. National Institute of Biologicals, NOIDA (U.P) (Rs.1.00Cr.)			1.00
37. National Drugs Deaddiction Programme (Rs. 9.26 Cr.) (AIIMS, New Delhi (Rs.6.10 Cr., NIMHANS, Bengaluru - Rs. 2.00 Cr., PGIMER, Chandigarh (Rs. 1.00 Cr.), (Dr. RML Hospital, New Delhi (Rs.0.16 Cr.)			9.26
Total	439.07	215.33	900.79
MAJOR HEAD 2211 - Family Welfare			
1. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi. (Rs.0.15 Cr.)		0.15	
2. National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi. (Rs.4.69Cr.)			4.69
3. International Institute for Population Sciences, Mumbai (Rs. 3.00 Cr.)			3.00
Total	0.00	0.15	7.69
MAJOR HEAD 2552 - North-Eastern Areas			
1. India COVID 19 Emergency Response and Health System Preparedness package - Central Hospitals -			
i. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs.7.40 Cr.)	7.40		
2. Population Research Centres (Rs. 0.15 Cr.)	0.15		
3. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (Rs.30.93 Cr)	30.93		
4. Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur (Rs. 1.00 Cr.)	1.00		
5. Grants to State AIDS Control Societies (GC) (Rs. 10.00 Cr.)	10.00		
6. Assistance for Capacity Building for Trauma Centres (Rs. 5.00 Cr.)	5.00		
7. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (Rs.220.57Cr)		220.57	
8. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs.23.34 Cr.)		23.34	
9. Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur (Rs. 7.00 Cr.)		7.00	
10. North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences, Shillong (Rs.13.00Cr)			13.00
11. Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (Rs.18.03 cr.)			18.03
12. Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health (LGBRIMH), Tezpur (Rs. 8.00 cr.)			8.00
Total	54.48	250.91	39.03

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 51 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2663.00	2663.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2663.00	2663.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	526.28	526.28
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	526.28	526.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3189.29	3189.29
राजस्व	Revenue	...	3189.29	3189.29
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (1) सामान्य सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपये); (2) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (115 करोड़ रुपये) और (3) अनुदान सहायता वेतन (रु. 0.01 करोड़) (4) अन्य प्रभार (5 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

For meeting additional expenditure under PM- Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PM-ABHIM) (1) Grant in Aid General (₹ 20 crore) (2) Grant for Creation of Capital Assets (₹ 115 crore) and (3) Grant in aid Salaries (₹ 0.01 crore) (4) Other Charges (₹ 5 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	927.85	927.85
पूंजी	Capital	...	67.42	67.42
जोड़	Total	...	995.27	995.27
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	110.05	110.05
जोड़	Total	...	110.06	110.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	185.70	185.70
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	185.72	185.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1291.05	1291.05
राजस्व	Revenue	...	1113.56	1113.56
पूंजी	Capital	...	177.49	177.49
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	185.70	(क) 185.70
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4860-Capital Outlay on Consumer Industries	...	0.01	(ख) 0.01
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	185.72	185.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (168.22 करोड़ ₹.) (ii) फेम इंडिया (भारत में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन) के तीव्र 'अग्रिकरण और विनिर्माण योजना' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (43.34 करोड़ ₹.), (iii) ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (3.50 करोड़ ₹.) और (iv) उन्नत रसायन विज्ञान सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ ₹.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें अतिरिक्त व्यय होगा (185.70 करोड़ ₹.)

- (ख) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता' योजना के अंतर्गत निवेश (18.59 करोड़ ₹.): हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) 'केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सहायता' योजना के अंतर्गत ऋण और उधार (31.63 करोड़ ₹.): हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General (₹ 168.22 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises', (ii) Grants-in-aid General (₹ 43.34 crore) under the scheme 'Scheme for Faster Adoption and manufacturing of (Hybrid and Electric Vehicle in India) FAME India', (iii) Grants-in-aid General (₹ 3.50 crore) under the scheme 'Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobiles and Auto Components' and (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Production Linked Incentive (PLI) Scheme for National programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage'.
- Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo (₹ 185.70 crore).
- (b) Investment (₹ 18.59 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Loan and Advances (₹ 31.63 crore) under the scheme 'Support to Central Public Sector Enterprises'.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 47

लोक उद्यम विभाग

DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	21.81	21.81
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	21.81	21.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5.19	5.19
पूँजी	Capital	...	150.00	150.00
जोड़	Total	...	155.19	155.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	177.00	177.00
राजस्व	Revenue	...	27.00	27.00
पूँजी	Capital	...	150.00	150.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	5.19	(का)	5.19
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4875-अन्य उद्योगों पर पूँजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	150.00	(खब)	150.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	155.19		155.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 5.19 करोड़ रुपये की स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (एसपीवी के स्टॉप शुल्क के लिए 3 करोड़ रुपये सहित), उपरोक्त खर्च में निवल नकद व्यय शामिल होगा;
- (ख) बंद करने पर विचारे जा रहे सीपीएसई के आस्ति मौद्रिकरण हेतु स्थापित विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) में निवेश हेतु। आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान मांगों में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional establishment related expenditure of ₹ 5.19 crore (including ₹ 3 crore for stamp duty of SPV), The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (b) investment in Special Purpose Vehicle (SPV), set up for asset monetisation of CPSEs which are being considered for closure. Taking into account, the savings available in the Demands for Grants of Department of Economic Affairs, this will not entail Cash Outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

0.03

...

0.03

7333.38

286.99

7620.37

0.02

70.66

70.68

7691.05

7333.40

357.65

7333.41

286.99

7620.40

0.02

70.66

70.68

7691.08

7333.43

357.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं

2056-जेल

जोड़ (राजस्व भाग)

पूँजी भाग

मुख्य शीर्ष

4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजी परिव्यय

जोड़ (पूरक)

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2052-Secretariat-General Services

2056-Jails

Total (Revenue Section)

CAPITAL SECTION

MAJOR HEAD

4250-Capital Outlay on other Social Services

Total (Supplementary)

...

...

...

0.01

0.01

0.02

70.66

70.68

(क)

(ख)

(ग)

0.01

0.01

0.02

70.66

70.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) शत्रु संपत्ति (0.25 करोड़ रु. के संरक्षक के तहत एक नया प्रमुख विज्ञापन और प्रचार खोलना

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ख) जेलों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पहल और जीआईए जनरल (0.25 करोड़ के तहत सुधारात्मक मामलों पर जागरूकता पैदा करना।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

(ग) कार्यालय भवन के लिए (26 करोड़ रु.) राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) आवासीय भवन (29.96 करोड़ रु.) प्रमुख कार्य एवं मोटर वाहन (22.73 करोड़ रु.)

अनुदान में एक ही खंड में उपलब्ध 8.03 करोड़ रु. की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक (70.66 करोड़ रु.) मांग गए हैं, इससे कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) Advertising and Publicity under Custodian of Enemy Property (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Information Technology (IT) initiatives in Prisons and awareness generation on correctional matters under GIA- General (₹ 0.25 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) National Disaster Response Force (NDRF) for Office Building (₹ 26 crore), Residential Building (₹ 29.96 Crore) under Major Work and Motor Vehicle (₹ 22.73 Crore).

Taking into account the savings of ₹ 8.03 crore available in the same Section of the Grant and savings of ₹ 70.66 crore available under Revenue Section of Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1961.04	1961.04
पूँजी	Capital	...	137.00	137.00
जोड़	Total	...	2098.04	2098.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2098.05	2098.05
राजस्व	Revenue	...	1961.05	1961.05
पूँजी	Capital	...	137.00	137.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013-मंत्रिपरिषद	2013-Council of Ministers	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अन्य शुल्क के अंतर्गत विशेष अतिरिक्त सत्र उड़ान प्रचालन (300.89 करोड़ ₹.)

अनुदान के उसी खण्ड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Special Extra Session Flight Operations under Other Charges (₹ 300.89 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.02	95424.05	95432.07
पूंजी	Capital	8.32	9721.72	9730.04
जोड़	Total	16.34	105145.77	105162.11
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	3.10	5445.31	5448.41
पूंजी	Capital	1.60	0.01	1.61
जोड़	Total	4.70	5445.32	5450.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	21.04	110591.12	110612.16
राजस्व	Revenue	11.12	100869.38	100880.50
पूंजी	Capital	9.92	9721.74	9731.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	3.10 (का)	5395.30 (खb)	5398.40
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	50.00 (गc)	50.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	3.10	5445.31	5448.41
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	1.60 (डेe)	0.01 (चf)	1.61
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	4.70	5445.32	5450.02

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (2 करोड़ रुपये), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (0.19 करोड़ रुपये) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) (0.91 करोड़ रुपये)।
अनुदान के पूंजी भाग (मतदान) में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद शामिल नहीं होगा;
- (ख) वेतन (4761.90 करोड़ रुपये), मजदूरी (10.85 करोड़ रुपये), पुरस्कार (0.23 करोड़ रुपये), चिकित्सा उपचार (142.27 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (651.95 करोड़ रुपये), विदेश यात्रा व्यय (0.01 रुपये) करोड़, कार्यालय व्यय (663.83 करोड़ रुपये), किराया, दर और कर (17.94 करोड़ रुपये), प्रकाशन (2.02 करोड़ रुपये), अन्य प्रशासनिक खर्च (15.42 करोड़ रुपये), आपूर्ति और सामग्री (6 करोड़ रुपये), हथियार और गोला बारूद (253.00 करोड़ रुपये), राशन की लागत (226.02 करोड़ रुपये), पीओएल (55.75 करोड़ रुपये), वस्त्र और टेंट (36.78 करोड़ रुपये), विज्ञापन और प्रचार (0.27 करोड़ रुपये), लघु कार्य (174.64 करोड़ रुपये), व्यावसायिक सेवाएं (2740.64 करोड़ रुपये), सहायता अनुदान (47.09 करोड़ रुपये), पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (432.54 करोड़ रुपये), गुप्त सेवा व्यय (2.50 करोड़ रुपये), अन्य शुल्क (520.57 करोड़ रुपये)।
अनुदान के पूंजी भाग में 495.30 करोड़ रुपये की राशि की उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी खंड के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय के लिए 4900 करोड़ रुपये का नकद परिव्यय होगा।।
- (ग) (i) जेलों का आधुनिकीकरण (50 करोड़ रुपये), (ii) तटीय सुरक्षा (13.05 करोड़

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) additional expenditure under the head Other Charges for Border Security Force(BSF)(₹ 2 crore), Indo-Tibetan Border Police(ITBP) (₹ 0.19 crore) and Special Protection Group(SPG) (₹ 0.91 crore). Taking into account the savings available in the Capital Section (Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) Salaries(₹ 4761.90 crore), Wages(₹ 10.85 crore), Rewards(₹ 0.23 crore), Medical Treatment(₹ 142.27 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 651.95 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 0.01 crore), Office Expenses (₹ 663.83 crore), Rent,Rate and Taxes (₹ 17.94 crore), Publications (₹ 2.02 crore), Other Administrative Expenses (₹ 15.42 crore), Supplies and Material (₹ 6 crore), Arms and Ammunition (₹ 253.00 crore), Cost of Ration(₹ 226.02 crore), POL(₹ 55.75 crore), Clothing and Tentage(₹ 36.78 crore), Advertising and Publicity(₹ 0.27 crore), Minor Works(₹ 174.64 crore), Professional Services (₹ 2740.64 crore), Grants-in-aid-General(₹ 47.09 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹ 432.54 crore), Secret Service Expenditure (₹ 2.50 crore), Other charges (₹ 520.57 crore).
Taking into account the surrender of savings available of amount ₹ 495.30 crore in the Capital Section of the Grant and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 4900 crore.
- (c) Grants in aid- General for (i) Modernisation of Prisons(₹ 50 crore),

	रुपये), राज्य पुलिस की तैनाती के लिए प्रतिपूर्ति ((38.40 करोड़ रुपये) और विदेशियों की निगरानी(6.30 करोड़ रुपये)।			(ii) Coastal Security(₹ 13.05 crore), Reimbursement for deployment of State Police(₹ 38.40 crore) and Surveillance Foreigners(₹ 6.30 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए यह 50 करोड़ रुपये का नकद परिव्यय होगा।			Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 50 crore.
(घ)	सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) (628 करोड़ रुपये) और जम्मू और कश्मीर के राहत और पुनर्वास (820 करोड़ रुपये)।	(d)		Grants in aid- General for Security Related Expenditure(SRE) Jammu & Kashmir(J&K) (₹ 628 crore) and Relief & Rehabilitation of J&K (₹ 820 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	प्रमुख कार्यों के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) (1.60 करोड़ रुपये)।	(e)		National Security Guard(NSG) under Major Works (₹ 1.60 crore).
	अनुदान के मतदान भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक तकनीकी पूरक मांगा जाता है। इसमें कोई नकद परिव्यय नहीं होगा।			Considering the savings available in voted section of the Grant, a technical supplementary is sought. This will not entail cash outgo.
(च)	(i) मोटर वाहन (104.13 करोड़ रुपये), (ii) मशीनरी और उपकरण (322.19 करोड़ रुपये) और (iii) प्रमुख कार्य (835.31 करोड़ रुपये)।	(f)		(i) Motor Vehicles (₹ 104.13 crore), (ii) Machinery & Equipment (₹ 322.19 crore) and (iii) Major Works (₹ 835.31 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 51
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	4721.23	4721.24
पूँजी	Capital	...	666.17	666.17
जोड़	Total	0.01	5387.40	5387.41
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	588.23	588.23
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	588.23	588.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5975.63	5975.64
राजस्व	Revenue	0.01	5309.46	5309.47
पूँजी	Capital	...	666.17	666.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	288.23	(का) 288.23
3225-दूरसंचार सेवाएं	3225-Telecommunication Services	...	300.00	(खb) 300.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	588.23	588.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अर्पित है:

(क) एचएसडी तेल की खरीद एचएसडी की लंबित देयताओं, पूरों और डीजी सेट्स आदि के रख रखाव हेतु सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (335.37 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 47.14 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए 288.23 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

(ख) सैटेलाइट हायरिंग चार्ज की (475.41 करोड़ रुपये) की अदायगी के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 175.41 करोड़ की बचत को ध्यान में रखते हुए 300 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards purchase of HSD oil, pending liability of HSD, Spares & service charges for maintenance of DG Sets, etc (₹ 335.37 crore).
Taking into account the savings of ₹ 47.14 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 288.23 crore.

(b) meeting additional expenditure towards reimbursement of hiring charges for satellite transponders (₹ 475.41 crore).
Taking into account the savings of ₹ 175.41 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 300 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव

DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	2798.76	2798.76
पूँजी	...	764.83	764.83
जोड़	...	3563.59	3563.59
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	2798.76	2798.76
Capital	...	764.83	764.83
Total	...	3563.59	3563.59
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	...	...
पूँजी	...	...	...
जोड़	...	...	...
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	...	...
Capital	...	...	...
Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.04	0.04
पूँजी	...	108.24	108.24
जोड़	...	108.28	108.28
जोड़ (मूल और पूरक)	...	3671.87	3671.87
राजस्व	...	2798.80	2798.80
पूँजी	...	873.07	873.07
Supplementary Estimate of the amount now required:			
Revenue	...	0.04	0.04
Capital	...	108.24	108.24
Total	...	108.28	108.28
Total (Original plus Supplementary)	...	3671.87	3671.87
Revenue	...	2798.80	2798.80
Capital	...	873.07	873.07
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2202-सामान्य शिक्षा	...	0.01 (का)	0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	...	0.01 (खb)	0.01
2217-शहरी विकास	...	0.01 (गc)	0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.04	0.04
पूँजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	...	0.01 (डेe)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	...	0.01 (चf)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	...	108.21 (छg)	108.21
5452-पर्यटन पर पूँजी परिव्यय	...	0.01 (जh)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	...	108.24	108.24
जोड़ (पूरक)	...	108.28	108.28
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2202-General Education	...	0.01 (का)	0.01
2210-Medical and Public Health	...	0.01 (खb)	0.01
2217-Urban Development	...	0.01 (गc)	0.01
2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (घd)	0.01
Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (डेe)	0.01
4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (चf)	0.01
5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	108.21 (छg)	108.21
5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01 (जh)	0.01
Total (Capital Section)	...	108.24	108.24
Total (Supplementary)	...	108.28	108.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आईआईटीवी, दीव (4.00 करोड़ रु.), श्री एपीजे अब्दुल कलाम कॉलेज, डीएनएच (3.00 करोड़ रु.) और सहायता प्राप्त स्कूलों (1.40 करोड़ रु.) के लिए 8.40 करोड़ रु. का सामान्य सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) चिकित्सा, प्रयोगशाला और शल्य चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 दवाएं (20.00 करोड़ रु.) आदि की खरीद के लिए 23.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए और राज्य स्वास्थ्य समाज संस्था की सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान (3.00 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) स्मार्ट सिटी दीव के लिए पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए (84.50 करोड़ रु.) अनुदान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए तथा योजना और विकास प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (15.50 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (घ) स्पर्श योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी भुगतान की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (0.06 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ङ) भूमि अधिग्रहण पुरस्कार (ट्रांसपोर्ट नगर, दीव) और सचिवालय भवन के नवीनीकरण प्रमुख कार्यों के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (7.79 करोड़ रु.)

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 8.40 crore towards Grants-in-Aid General for IITV, Diu (₹ 4.00 crore), Shri APJ Abdul Kalam College, DNH (₹ 3.00 crore) and Aided Schools (₹ 1.40 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 23.00 crore towards procurement of medical, laboratory and surgical instruments and CoVID-19 medicines, etc (₹ 20.00 crore) and Grant-in-Aid General for Support to State Health Society (₹ 3.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets for Smart City Diu (₹ 84.50 crore) and Grants-in-Aid General for Planning and Development Authority (₹ 15.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) meeting additional expenditure towards payment of subsidies to the SPARSH scheme beneficiaries (₹ 0.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (e) meeting additional expenditure towards Major Works for payment of Land acquisition Award (Transport Nagar, Diu) and Renovation of Secretariat Building (₹ 7.79 crore).

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	नमो मेडिकल कॉलेज, डीएनएच के लिए उपकरणों की खरीद के लिए प्रमुख कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (16.00 करोड़ रु.)	(f)			meeting additional expenditure towards Major Works for procurement of equipments for NAMO Medical College, DNH (₹ 16.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	विभिन्न एमडीआर और ओडीआर सड़कों को चौड़ा करने के लिए और रिंग रोड, डीएनएच आदि पर फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पुरस्कार के भुगतान की भूमि प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (350.00 करोड़ रु.)	(g)			meeting additional expenditure towards Major Works for payment of Land Acquisition Awards for acquiring land for widening of various MDR and ODR roads and construction of fly over bridges on Ring Road, DNH, etc (₹ 350.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 241.79 करोड़ रु. की बचतों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक कार्य विभाग की अनुदान के लिए मांग में उपलब्ध 108.21 करोड़ रु. की और बचत को ध्यान में रखते हुए, इन पूरक में अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।				Taking into account the savings of ₹ 241.79 crore available within the same section of the Grant and further savings of ₹ 108.21 crore available in the demand for Grants of Department of Economic Affairs, this supplementary will not entail additional cash outgo.
(ज)	दमन में देवका गार्डन के सुधार और सौंदर्यीकरण, भूनिर्माण और विकास, डोकमर्डी, डीएनएच के निर्माण के लिए प्रमुख कार्यों की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (30.00 करोड़ रु.)	(h)			meeting additional expenditure towards Major Works for improvement and beautification, landscaping and development of Devka Garden at Daman, construction of auditorium and underground parking at Dokmardi, DNH etc. (₹ 30.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 54

लद्दाख

LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)
(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2331.64	2331.64
पूंजी	Capital	...	3626.36	3626.36
जोड़	Total	...	5958.00	5958.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.11	0.11
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.11	0.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.05	0.05
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5958.16	5958.16
राजस्व	Revenue	...	2331.78	2331.78
पूंजी	Capital	...	3626.38	3626.38
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (कa)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01 (खb)	0.01
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01 (घd)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (डe)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.05	0.05
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	सामान्य सहायता अनुदान के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid General (₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान के लिए 1.95 करोड़ रु. और कर्मचारियों को वेतन और पेंशन हितलाभ के भुगतान के लिए वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत 1.14 करोड़ रु. के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 1.95 crore towards Grant-in-Aid General and ₹ 1.14 crore under Grant-in-Aid Salaries for payment of Salaries and Pensionary benefits to employees Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	होटल सब्सिडी योजना की लंबित देनदारियों के लिए सब्सिडी हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (1.66 करोड़ रु.)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting additional expenditure towards Subsidies for pending liability of Hotel Subsidy Scheme (₹ 1.66 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	लद्दाख पुलिस की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए मुख्य निर्माण कार्य के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (7.00 करोड़ रु.)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	meeting additional expenditure towards Major Works for creation of capital assets of Ladakh Police (₹ 7.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ड)	सड़क निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (6.78 करोड़ रु.) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	meeting additional expenditure towards Major Works for construction of roads (₹ 6.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	106.85	36885.14	36991.99
पूँजी	Capital	35.07	25723.95	25759.02
जोड़	Total	141.92	62609.09	62751.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	14102.01	14102.01
पूँजी	Capital	...	115.01	115.01
जोड़	Total	...	14217.02	14217.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	141.92	76826.13	76968.05
राजस्व	Revenue	106.85	50987.15	51094.00
पूँजी	Capital	35.07	25838.98	25874.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	0.01 (का)	0.01
2216-आवास	2216-Housing	...	7000.00 (खब)	7000.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	9.00 (गक)	9.00
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	50.00 (घद)	50.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	7000.00 (डे)	7000.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	43.00 (च)	43.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	14102.01	14102.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	65.00 (छग)	65.00
4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	50.00 (जह)	50.00
4217-शहरी विकास पर पूँजी परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01 (झा)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	115.01	115.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	14217.02	14217.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी), दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) को सेवा शुल्क संपत्ति कर का भुगतान और तथा दिल्ली जल बोर्ड को किराया, दर और कर (आरआरटी) के तहत पानी के शुल्क का भुगतान (130 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय समूह (एलआईजी) श्रेणी के लिए लक्षित क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के लिए (7556.30 करोड़ रुपये), (ii) एनडीएमसी, एसडीएमसी को सेवा शुल्क, संपत्ति कर और किराए, दरों और करों के तहत दिल्ली जल बोर्ड को जल शुल्क का भुगतान (336.99 करोड़ रुपये), (iii) लघु कार्य के तहत न्यू मोती बाग सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (जीपीआरए) कॉम्प्लेक्स के रखरखाव के भुगतान के लिए (3.76 करोड़ रुपये) और (iv) वेतन (2 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, कुल 7000 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ग) पूँजीगत आस्तिक के सृजन हेतु अनुदान के तहत प्रधान मंत्री आवास योजना-

The supplementary Grants are required for:

- (a) payment of service charges, property tax to New Delhi Municipal Council (NDMC), South Delhi Municipal Corporation (SDMC) & water charges to Delhi Jal Board under Rent, Rates & Taxes (RRT) (₹ 130 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting targeted Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) houses for Economically Weaker Section (EWS)/Lower Income Group (LIG) category under Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban (PMAY-U) (₹ 7556.30 crore), (ii) for payment of service charges, property tax to NDMC, SDMC & water charges to Delhi Jal Board under Rent, Rates & Taxes (₹ 336.99 crore), (iii) maintenance of New Moti Bagh, General Pool Residential Accommodation (GPRA) Complex under Minor Work (₹ 3.76 crore) and (iv) Salaries (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 7000 crore.
- (c) Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban (PMAY-U) under Grants for

	शहरी (पीएमएवाई-यू) (9.00 करोड़ रुपये)। उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।		Creation of Capital Assets(₹ 9.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo;
(घ)	'प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स' आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत संवितरण (80 करोड़ रुपये)।	(d)	meeting the requirement for Non Performing Asset(NPA) under Prime Minister's Street Vendors' Atmanirbhar Nidhi(PM SVANidhi) under 'Contribution'(₹ 80 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए कुल 50 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 50 crore.
(ङ)	सामान्य घटक, अनुसूचित जाति घटक और अनुसूचित जाति घटक के तहत पूंजीगत आस्ति सृजन हेतु अनुदान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत राज्यों को केंद्रीय सहायता जारी करना (7000 करोड़ रु.)।	(e)	release of central assistance to States under the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban(PMAY-U) under Grants for Creation of Capital Assets under General Component, Scheduled Castes Component and Scheduled Tribes Component (₹ 7000 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(च)	सामान्य घटक (37.50 करोड़ रु.), अनुसूचित जाति घटक (4 करोड़ रु.) और अनुसूचित जनजाति घटक (1.50 करोड़ रु.) के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन हेतु अनुदान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय सहायता जारी करना।	(f)	release of central assistance to Union Territory Governments with legislature under the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban(PMAY-U) under Grants for Creation of Capital Assets under General Component (₹ 37.50 crore), Scheduled Castes Component (₹ 4 crore) and Scheduled Tribes Component (₹ 1.50 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(छ)	(i) सेंट्रल विस्टा और परियोजना से जुड़े अन्य भवनों का काम (65 करोड़ रुपये) और (ii) मुख्य कार्य के तहत साल्ट लेक, कोलकाता में भूमि उपयोग में बदलाव और निर्माण के लिए धन जमा करना (35 करोड़ रुपये)।	(g)	(i) work of Central Vista and other buildings connected to the project (₹ 65 crore) and (ii)) deposition of charges for change of land use and construction at Salt Lake, Kolkata under Major Work (₹ 35 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध (35 करोड़ रु.) बचत आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान की मांग के पूंजीगत भाग में उपलब्ध 65 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account savings of ₹ 35 crore available under the same Section of Grant and savings of ₹ 65 crore available in the Demand for Grants of Department of Economic Affairs, this will not entail any additional cash outgo.
(ज)	(i) पूरे भारत में सामान्य पूल आवासीय व्यवस्था (जीपीआरए) भवनों के निर्माण कार्य, वाराणसी में हॉलिडे होम (100 करोड़ रुपये) और (ii) सेंट्रल विस्टा से संबंधित अन्य परियोजनाओं के चल रहे कार्य (50 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत (100 करोड़ रु.) र आर्थिक कार्य विभाग के अनुदान की मांग में उपलब्ध (50 करोड़ रु.) को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(h)	(i) ongoing works of General Pool Residential Accommodation (GPRA) buildings all over India, Holiday Home at Varanasi(₹ 100 crore) and (ii) other Central Vista related projects(₹ 50 crore). Taking into account savings of ₹ 100 crore available under the same Section of Grant and savings of ₹ 50 crore available in the Demand for Grants of Department of Economic Affairs, this will not entail any additional cash outgo.
(झ)	एमआरटीएस और मेट्रो परियोजनाओं के तहत चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना चरण- I की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निवेश (874.78 करोड़ रुपये)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(i)	Investment for Chennai Metro Rail Project Phase-I under MRTS & Metro Projects (₹ 874.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4058.61	4058.61
पूँजी	Capital	...	12.62	12.62
जोड़	Total	...	4071.23	4071.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	8.48	8.48
जोड़	Total	...	8.48	8.48
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4079.71	4079.71
राजस्व	Revenue	...	4058.61	4058.61
पूँजी	Capital	...	21.10	21.10
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4220-सूचना और प्रचार पर पूँजी परिव्यय	4220-Capital Outlay on Information and Publicity	...	8.48	8.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विकास संचार के अत्याधुनिक तापमान नियंत्रित भंडारण वाल्टों का निर्माण और प्रमुख कार्य के तहत फिल्म सामग्री (डीसीडीएफसी) योजना का प्रसार (8.48 करोड़ रु.) ।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

construction of state of art temperature controlled storage vaults of Development Communication and Dissemination of Filmic Content (DCDFC) Scheme under Major Works (₹ 8.48 crore).

Taking into account the savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8756.92	8756.92
पूँजी	Capital	...	344.77	344.77
जोड़	Total	...	9101.69	9101.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	50.00	50.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	50.00	50.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8786.15	8786.15
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	8786.17	8786.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	17937.86	17937.86
राजस्व	Revenue	...	17593.07	17593.07
पूँजी	Capital	...	344.79	344.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	35.61 (खब)	35.61
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	4300.00 (गक)	4300.00
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation	...	0.01 (घद)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	786.13 (डे)	786.13
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	3661.93 (च)	3661.93
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	2.46 (छग)	2.46
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	8786.15	8786.15
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	...	0.01 (जह)	0.01
4702-लघु सिंचाई पर पूँजी परिव्यय	4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.01 (झा)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	8786.17	8786.17

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सचिवालय आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार (2.43 करोड़ रुपये), लघु कार्य (1.40 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी के लिए) (0.80 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमके एसवाई-एआईबीपी स्कीम और कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) के तहत पूँजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (35.61 करोड़ रुपये)।
(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र जल और भूमि प्रबंधन संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये) और पूँजीगत आस्तियों (3.30 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 35.61 करोड़ रुपये का नकद खर्च होगा।
- (ग) (i) 'नदियों को आपस में जोड़ने' की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रु.) और पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (4290 करोड़ रुपये)।
(ii) 'पीएमकेएसवाई' के तहत नाबार्ड से ऋण चुकाने के लिए सामान्य सहायता

The supplementary Grants are required for:

- (a) Advertising & Publicity (₹ 2.43 crore), Minor Works (₹ 1.40 crore), Office Expenses (for Information Technology) (₹ 0.80 crore) under Secretariat Economic Services.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm (PMKSY - AIBP) and Command Area Development & Water Management (CADWM)' (₹ 35.61 crore).
(ii) Grants-in-Aid General (₹ 0.50 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 3.30 crore) for North Eastern Regional Institute of Water and Land Management.
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 35.61 crore.
- (c) (i) Grants-in-Aid General (₹ 10 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 4290 crore) under the scheme 'Interlinking of Rivers'.
(ii) Grants-in-Aid General for 'Servicing of Loans from NABARD

	अनुदान (157 करोड़ रुपये)।				under PMKSY' (₹ 157 crore).
(iii)	सामान्य सहायता अनुदान (56 करोड़ रुपये) और 'राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यक्रम' योजना के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (56 करोड़ रुपये)।	(iii)			Grants-in-Aid General (₹ 56 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 56 crore) under the scheme 'National Hydrology Programme'.
(iv)	सामान्य सहायता अनुदान (5.70 करोड़ रुपये) और 'राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान' की वेतन सहायता अनुदान (1.80 करोड़ रुपये)।	(iv)			Grants-in-Aid General (₹ 5.70 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 1.80 crores) for 'National Institute of Hydrology'.
(v)	चिकित्सा उपचार (0.02 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (0.38 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (0.90 करोड़ रुपये), अन्य प्रशासनिक व्यय (3.25 करोड़ रुपये), लघु कार्य (3.40 करोड़ रुपये) और पेशेवर सेवाएं ₹. 0.01 करोड़)।	(v)			Medical Treatment (₹ 0.02 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.38 crore), Office Expenses (₹ 0.90 Crore), Other Administrative Expenses (₹ 3.25 crore), Minor Works (₹ 3.40 crore) and Professional Services (₹ 0.01 crore) under National Water Academy.
(vi)	'अटल भुजल योजना' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के सृजन हेतु अनुदान (20 करोड़ रुपये)।	(vi)			Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Atal Bhujal Yojana' (₹ 20 crore).
(vii)	'अनुसंधान और विकास तथा राष्ट्रीय जल मिशन' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.69 करोड़ रुपये) तथा पूंजीगत आस्ति के लिए अनुदान (2 करोड़ रुपये)।	(vii)			Grants-in-Aid General (₹ 0.69 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2 crore) under the scheme 'Research and Development and Implementation of National Water Mission'.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 4300 करोड़ रुपये का नकद खर्च होगा।				Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 4300 crore.
(घ)	'राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान' हेतु अनुदान - चिकित्सा उपचार (0.11 करोड़ रुपये), घरेलू यात्रा व्यय (0.13 करोड़ रुपये), कार्यालय व्यय (1.60 करोड़ रुपये), प्रकाशन (0.03 करोड़ रुपये), पीओएल (0.08 करोड़ रुपये) और पेशेवर सेवाएं (1.05 रुपये) करोड़)।	(d)			Medical Treatment (₹ 0.11 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 0.13 crore), Office Expenses (₹ 1.60 crore), Publications (₹ 0.03 crore), POL (₹ 0.08 crore) and Professional Services (₹ 1.05 Crore) for 'Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute'.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	(i) 'राष्ट्रीय गंगा योजना' स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (800 करोड़ रुपये)।	(e)	(i)		Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'National Ganga Plan' (₹ 800 crore).
	(ii) 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना - अन्य घाटियां' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (14 करोड़ रुपये)।	(ii)			Grants-in-Aid General under the scheme 'National River Conservation Plan - Other Basins' (₹ 14 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 786.13 करोड़ रुपये का नकद खर्च होगा।				Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 786.13 crore.
(च)	(i) 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान भारत की आकस्मिकता निधि से अभिगम की प्रतिपूर्ति के लिए - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई - एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) (1359.11 करोड़ रुपये)।	(f)	(i)		Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm (PMKSY - AIBP) and Command Area Development & Water Management (CADWM) for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 1359.11 crore).
	(ii) 'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्कीम के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)' (2302.82 करोड़ रुपये)।	(ii)			Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm (PMKSY - AIBP) and under Command Area Development & Water Management (CADWM)' (₹ 2302.82 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए 3661.93 करोड़ रुपये नकद खर्च होंगे।				The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 3661.93 crore.
(छ)	'प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्कीम के तहत पूंजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम)' (2.46 करोड़ रुपये)।	(g)			Grants for Creation of Capital Assets under the scheme 'Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana - Accelerated Irrigation Benefit Programm (PMKSY - AIBP) and Command Area Development & Water Management (CADWM)' (₹ 2.46 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए 2.46 करोड़ रुपये नकद खर्च होंगे।				The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2.46 crore.
(ज)	राष्ट्रीय जल अकादमी के तहत मशीनरी और उपकरण (0.04 करोड़ रुपये)।	(h)			'Machinery & Equipments' under National Water Academy (₹ 0.04 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	केंद्रीय भूजल बोर्ड के तहत प्रमुख कार्य (12 करोड़ रुपये)।	(i)			'Major Works' under Central Ground Water Board (₹ 12 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	128024.45	128024.45
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	128024.45	128024.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	128024.46	128024.46
राजस्व	Revenue	...	128024.46	128024.46
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामान्य सहायता अनुदान (19,119.06 करोड़ रु.) और जल जीवन मिशन के तहत राजघाट नई दिल्ली में स्थापित राष्ट्रीय स्वच्छता केन्द्र के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना (12.82 करोड़ रु.)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing Grants-in-aid General (₹ 19,119.06 crore) to States and Union Territories and Grants for creation of capital assets (₹ 12.82 crore) for Rashtriya Swachhata Kendra established at Rajghat, New Delhi under 'Jal Jeevan Mission'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 63

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13269.37	13269.37
पूंजी	Capital	...	37.13	37.13
जोड़	Total	...	13306.50	13306.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	951.35	951.35
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	951.35	951.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	14257.85	14257.85
राजस्व	Revenue	...	14220.72	14220.72
पूंजी	Capital	...	37.13	37.13
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	856.82 (का)	856.82
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	94.53 (खब)	94.53
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	951.35	951.35
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(i) 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' (एबीआरवाई) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1693.13 करोड़ ₹.), (ii) 'असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डाटाबेस' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (17.13 करोड़ ₹.) और अन्य शुल्क (₹. 97.87 करोड़) और (iii) सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (25.00 करोड़ ₹.) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यर्पण (9.13 करोड़ ₹.) को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों का उपयोग कर लेने के पश्चात, इसमें नकद व्यय (847.69 करोड़ ₹.) होगा।	(a)	Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 1693.13 crore) under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY)', (ii) Grants-in-aid General (₹ 17.13 crore) and Other Charges (₹ 97.87 crore) under the scheme 'National Database for Unorganized Workers' and (iii) Grant-in-aid Salaries (₹ 25.00 crore) under the Scheme 'Central Board for Workers Education'. Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 9.13 crore), and after utilizing the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 847.69 crore).	
(ख)	(i) 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' (एबीआरवाई) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (186.00 करोड़ ₹.) और (ii) 'असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस' योजना के अंतर्गत अन्य शुल्क (15.00 करोड़ ₹.) का व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उक्त व्यय में नकद व्यय (94.53 करोड़ ₹.) होगा।	(b)	Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 186.00 crore) under the scheme 'Aatmanirbhar Bharat Rojgar Yojana (ABRY)' and (ii) Other Charges (₹ 15.00 crore) under the scheme 'National Database for Unorganized Workers'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 94.53 crore).	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)
(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1745.82	1745.82
पूंजी	Capital	...	1100.00	1100.00
जोड़	Total	...	2845.82	2845.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	23.25	23.25
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	23.25	23.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1512.00	1512.00
पूंजी	Capital	...	22.00	22.00
जोड़	Total	...	1534.00	1534.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4403.07	4403.07
राजस्व	Revenue	...	3281.07	3281.07
पूंजी	Capital	...	1122.00	1122.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	54.00 (क)	54.00
2015-चुनाव	2015-Elections	...	1458.00 (ख)	1458.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1512.00	1512.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	22.00 (ग)	22.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1534.00	1534.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:	
(क)	व्यवसायिक सेवा के लंबित बिलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.00 करोड़ रु.) (II) राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (45.00 करोड़ रु.) और (iii) बकाया संपत्ति कर (6.50 करोड़ रु.) और अतिरिक्त वेतन अनुदान (0.50 करोड़ रु.) के भुगतान के लिए भारतीय कानूनी संस्था को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a)	(i) meeting additional expenditure under Professional Services to clear pending bills (₹ 2.00 crore), (ii) providing additional Grants-in-Aid-General to National Legal Service Authority (₹ 45.00 crore) and (iii) providing to Indian Law Institute additional Grants-in-Aid-General for payment of outstanding property tax (₹ 6.50 crore) and additional Grants-in-Aid-Salary (₹ 0.50 crore) .
(ख)	उपरोक्त व्यय के लिए नकद निर्गम होगा; व्यवसायिक सेवा के लंबित भुगतान दायित्व और अन्य चुनाव संबंधित व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (14.58 करोड़ रु.)।	(b)	The above expenditure will entail a cash outgo. meeting additional expenditure under Professional Services for clearing pending liabilities and other election related expenditure (₹ 1458.00 crore).
(ग)	उपरोक्त व्यय के लिए नकद निर्गम होगा; आयकर अपील न्यायाधिकरण के लिए कार्यालय स्थान की खरीद के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (22.00 करोड़ रु.)। उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;	(c)	The above expenditure will entail a cash outgo. meeting expenditure for purchase of office space for Income Tax Appellate Tribunal (₹ 22.00 crore). The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	242.16	242.16
पूँजी	Capital	...	7.00	7.00
जोड़	Total	...	249.16	249.16
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	9.84	9.84
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	9.84	9.84
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	259.00	259.00
राजस्व	Revenue	...	252.00	252.00
पूँजी	Capital	...	7.00	7.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	9.84	9.84

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्थापना संबंधी व्यय (9.84 करोड़ रु.) और मतदाता जागरूकता पर व्यय (1.00 करोड़ रु.) की अतिरिक्त आवश्यकता का पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 1.00 करोड़ रु. बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें 9.84 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional establishment related expenditure (₹ 9.84 crore) and expenditure on Voter's Awareness (₹ 1.00 crore).
Taking into account the savings of ₹ 1.00 crore available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 9.84 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 66 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय
SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	334.96	...	334.96
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	334.96	...	334.96
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	15.90	...	15.90
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	15.90	...	15.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	350.86	...	350.86
राजस्व	Revenue	350.86	...	350.86
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	15.90	...	15.90

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (10.00 करोड़ रु.) और कार्यालय खर्च (5.90 करोड़ रु.) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Salaries (₹ 10.00 crore) and Office Expenses (₹ 5.90 crore).
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15329.65	15329.65
पूंजी	Capital	...	370.00	370.00
जोड़	Total	...	15699.65	15699.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	15699.69	15699.69
राजस्व	Revenue	...	15329.69	15329.69
पूंजी	Capital	...	370.00	370.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) क्रेडिट सहायता कार्यक्रम योजना के तहत सब्सिडी (0.01 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (i) खादी विकास योजना के तहत सब्सिडी (116.68 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तिक निर्माण के लिए अनुदान (1.75 करोड़ रुपये) (ii) 'एमएसएमई प्रदर्शन में वृद्धि और त्वरण -आरएमपी' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये), सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रु.) और पूंजीगत आस्तिक निर्माण के लिए अनुदान (0.01 करोड़ रुपये), (iii) 'प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपये) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (10.00 करोड़ रु.) (iv) 'खादी अनुदान' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (25.25 करोड़ रुपये), (v) 'महात्मा गांधी ग्रामीण और औद्योगीकरण संस्थान योजना' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (1.54 करोड़ रुपये), पूंजीगत आस्तिक निर्माण के लिए अनुदान (0.52 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.85 करोड़ रुपये), (vi) 'ग्रामोदय विकास योजना' के तहत सामान्य सहायता अनुदान (6.18 करोड़ रुपये) और (vii) 'क्रेडिट सहायता कार्यक्रम' के अंतर्गत सब्सिडी (0.03 करोड़ रुपये) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: Subsidies (₹ 0.01 crore) under the Scheme 'Credit Support Programme'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 116.68 crore) and Grant for Creation of Capital Assets (₹ 1.75 crore) under the scheme 'Khadi Vikas Yojana', (ii) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.01 crore), Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) and Grant for Creation of Capital Assets (₹ 0.01 crore) under the scheme 'Raising and Accelerating MSME Performance-RAMP', (iii) Grants-in-aid General (₹ 10.00 crore) and Grant for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Assistance to Training Institutions', (iv) Grants-in-aid General (₹ 25.25 crore) under the scheme 'Khadi Grant', (v) Grants-in-aid General (₹ 1.54 crore), Grant for Creation of Capital Assets (₹ 0.52 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.85 crore) under the scheme 'Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialisation', (vi) Grants-in-aid General (₹ 6.18 crore) under the Scheme 'Gramodyog Vikas Yojana' and (vii) Subsidies (₹ 0.03 crore) under the Scheme 'Credit Support programme'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1498.49	1498.49
पूंजी	Capital	...	68.33	68.33
जोड़	Total	...	1566.82	1566.82
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	25.00	25.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	25.00	25.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1591.82	1591.82
राजस्व	Revenue	...	1523.49	1523.49
पूंजी	Capital	...	68.33	68.33
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	25.00	25.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए; 'राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (43.45 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है (25.00 करोड़ रु.)।

The supplementary Grant is required for:

Meeting expenditure towards: Grants-in-aid General (₹ 43.45 crore) under the scheme 'National Mineral Exploration Trust'. Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 25.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)
(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4657.75	4657.75
पूंजी	Capital	...	153.02	153.02
जोड़	Total	...	4810.77	4810.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4810.79	4810.79
राजस्व	Revenue	...	4657.77	4657.77
पूंजी	Capital	...	153.02	153.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) शहरी वक्फ संपदा विकास योजना (एसडब्ल्यूएसवीवाई) के तहत पूंजीगत आस्तियों (40 करोड़ रुपये) के निर्माण के लिए अनुदान (ii) पारंपरिक कला/शिल्प विकास (यूएसटीटीएडी) में कौशल और प्रशिक्षण के उन्नयन के तहत सामान्य सहायता अनुदान (30 करोड़ रुपये) (iii) छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2 करोड़ रुपये)
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

(1) Grants for Creation of Capital Assets under Shahri Waqf Sampatti Vikas Yojna (SWSVY) (₹ 40 crore) and (2) Grants-in-Aid General under the scheme (i) Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD) (₹ 30 crore) and (ii) Scheme for containing population decline of small minority communities (₹ 2 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 70
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5743.00	5743.00
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	5753.00	5753.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	100.00	100.00
जोड़	Total	...	100.00	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5853.00	5853.00
राजस्व	Revenue	...	5743.00	5743.00
पूंजी	Capital	...	110.00	110.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजी परिव्यय	4810-Capital Outlay on New and Renewable Energy	...	100.00	100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कार्यालय भवन के अन्तर्गत "अटल अक्षय ऊर्जा भवन" के निर्माण के लिए व्यय हेतु (₹.100.00 करोड़)।
अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। इससे नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 100 crore for construction of "Atal Akshay Urja Bhawan" under Office Buildings.
Taking into account the savings available in the Revenue Section of Grant, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 73

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	30.28	1829.93	1860.21
पूंजी	Capital	11.65	186.71	198.36
जोड़	Total	41.93	2016.64	2058.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41.93	2016.68	2058.61
राजस्व	Revenue	30.28	1829.97	1860.25
पूंजी	Capital	11.65	186.71	198.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(कa)	0.01
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	...	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) अन्य प्रशासनिक व्यय (ओएई) के अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ई-गवर्नेंस (1.20 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) सामान्य सहायता अनुदान (8.91 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (3.99 करोड़ रुपये) के अंतर्गत सिविल सेवाओं और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) का विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) । अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Central Bureau of Investigation(CBI)-e-Governance under Other Administrative Expenses(OAE) (₹ 1.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Special Purpose Vehicle (SPV) of National Programme for Civil Services and Capacity Building (NPCSCB) under Grants in Aid-General (₹ 8.91 crore) and Grants in Aid Salaries (₹ 3.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 75
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	15866.78	15866.78
पूंजी	Capital	...	427.00	427.00
जोड़	Total	...	16293.78	16293.78
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	350.00	350.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	350.00	350.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16643.79	16643.79
राजस्व	Revenue	...	16216.79	16216.79
पूंजी	Capital	...	427.00	427.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	350.00	350.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	(-350.00)	(-350.00)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण परियोजना प्रबंधन की लागत की प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने हेतु 208 करोड़ रुपये उपलब्ध करने हेतु।
- केरोसिन हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर दावों के निपटान हेतु 17.00 करोड़ रुपये।
- राजीव गांधी पेट्रोलियम और प्रौद्योगिकी संस्थान (आरजीपीआईटी), असम में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए (68 करोड़ रुपये) और ऊर्जा कौशल केंद्र, बेंगलूर हेतु (50 करोड़ रुपये) का अनुदान प्रदान करना।
- केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से 'इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड' (आईजीजीएल) से संबंधित 350 करोड़ रुपये के व्यय को पूरा करने हेतु।
- सरकारी माल के आयात के लिए भारतीय 'शिपिंग कम्पनियों' हेतु 'शिपिंग सब्सिडी' के तहत 35 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना।

अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत उपलब्ध बचत और 'इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड' (आईजीजीएल) के अंतर्गत केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से उपयोग निधि को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- providing ₹ 208 crore for clearing committed liabilities towards cost of project management on Direct Benefits Transfer for LPG(DBTL);
 - ₹ 17.00 crore to settle claims on Direct Benefits Transfer for Kerosene;
 - Providing Grants for creation of Capital Assets to Rajiv Gandhi Institute of Petroleum and Technology (RGPIIT), Assam (₹ 68 crore) and Centre of Excellence for Energy, Bangalore (₹ 50 crore);
 - for meeting expenditure to the tune of ₹ 350 crore related to 'Indradhanush Gas Grid Limited' (IGGL) to be met from Central Road & Infrastructure Fund.
 - providing additional funds of ₹ 35 crore under 'Shipping Subsidy' for Indian shipping companies towards import of government cargo.
- Taking into account the saving available under same section of the Grant and utilisation of funds from Central Road & Infrastructure Fund under 'Indradhanush Gas Grid Limited' (IGGL), it will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1061.99	1061.99
पूंजी	Capital	...	0.78	0.78
जोड़	Total	...	1062.77	1062.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	8.01	8.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8.01	8.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1070.78	1070.78
राजस्व	Revenue	...	1070.00	1070.00
पूंजी	Capital	...	0.78	0.78
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	8.01	8.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित अतिरिक्त निधि को पूरा करने के लिए: (i) सचिवालय के तहत स्थापना संबंधी व्यय (3.01 करोड़ रु.) और व्यवसायिक सेवाओं के तहत सलाहकारों/युवा पेशेवरों और परामर्श सेवाओं के परिश्रमिक के भुगतान के लिए व्यवसायिक सेवाएं के व्यय को पूरा करने के लिए (5 करोड़ रु.)।

उपरोक्त व्यय में 8.01 करोड़ रु. का नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional funds towards (i) Establishment related expenditure under Secretariat (₹ 3.01 crore) and (ii) Professional Services for payments of remuneration of Consultants/Young Professionals and Consultancy Services under Professional Services. (₹ 5 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 8.01 crore;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1859.35	1859.35
पूंजी	Capital	...	353.00	353.00
जोड़	Total	...	2212.35	2212.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2212.37	2212.37
राजस्व	Revenue	...	1859.37	1859.37
पूंजी	Capital	...	353.00	353.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3052-नौवहन	3052-Shipping	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) ओशनसैट-3 हेतु अंतरिक्ष विभाग को लीज रेंटल उपलब्ध कराने के लिए (30.65 करोड़ रु.)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

- (I) providing lease rental to Department of Space for Oceansat-3 (₹ 30.65 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	17727.03	17727.03
पूंजी	Capital	...	3180.77	3180.77
जोड़	Total	...	20907.80	20907.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	70.01	70.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	70.01	70.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	20977.81	20977.81
राजस्व	Revenue	...	17797.04	17797.04
पूंजी	Capital	...	3180.77	3180.77

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	70.00 (खb)	70.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	70.01	70.01

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-)70.00	(-)70.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	"अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन का सुदृढीकरण" योजना के तहत व्यावसायिक सेवाओं (60 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (940 करोड़ रुपये) के लिए 1000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना।	(a)	(i)	providing additional funds of ₹ 1000 crore for Professional Services (₹ 60 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 940 crore) under the scheme "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim.
	(ii)	"अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में ट्रांसमिशन का सुदृढीकरण" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (30 करोड़ रुपये) और पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (60 करोड़ रुपये) के लिए 90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना।		(ii)	providing additional funds of ₹ 90 crore for Grants in aid General (₹ 30 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 60 crore) under the scheme 'Power System Improvement in North Eastern States excluding Arunachal Pradesh and Sikkim'.
		अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	"सुधार से जुड़ी संवितरण योजना (999.99 करोड़ रु.) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु निधि उपलब्ध कराना।	(b)	(i)	Providing funds for Grants for creation of Capital Assets under "Reforms Linked Distribution Scheme (₹ 999.99 crore);
	(ii)	राष्ट्रीय विद्युत निधि (800.00 करोड़ रुपये) के तहत सहायता के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करना		(ii)	Providing additional funds for subsidies under National Electricity Fund (₹ 800.00 crore);
	(iii)	जम्मू और कश्मीर पीएमडीपी 2015 योजना (161.46 करोड़ रुपये) के तहत पाकुल दुल परियोजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के अनुदान के आवर्धन के लिए धनराशि प्रदान करना।		(iii)	Providing additional funds for augmentation of Grants of Creation of Capital Assets under Pakul Dul Project under the J&K PMDP 2015 scheme (₹ 161.46 crore);

- (iv) एपीटीईएल योजना के तहत किराया दर तथा कर (0.42 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना।
- (v) केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान वृद्धि हेतु निधि प्रदान करना (70 करोड़ रुपये)। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग में वृद्धि सीईआरसी फंड से पूरी की जाएगी।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए और सीईआरसी निधि में 70 करोड़ की प्राप्तियों का मिलान करते हुए, कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (iv) Providing additional funds for Rent Rates and Taxes (₹ 0.42 crore) under the scheme Appellate Tribunal for Electricity (APTEL);
- (v) Providing additional funds for augmenting Grants for creation of Capital Assets (₹ 70 crore) under the scheme Central Electricity Regulatory Commission (CERC). The augmentation in Central Electricity Regulatory Commission will be met from CERC Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, and matching receipts of ₹ 70 crore in CERC Fund, it will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(See page 101 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.21	445.29	446.50
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	1.21	445.29	446.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.21	445.30	446.51
राजस्व	Revenue	1.21	445.30	446.51
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	2011-Parliament/State/Union Territory Legislatures	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

₹ 0.09 करोड़ की सब्सिडी के लिए व्यय की पूर्ति
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक
मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Subsidies (₹ 0.09 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the
Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 83 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	304.17	...	304.17
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	304.17	...	304.17
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	9.00	...	9.00
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	9.00	...	9.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	313.17	...	313.17
राजस्व	Revenue	313.17	...	313.17
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	9.00	...	9.00

यह पूरक अनुदान विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन, भत्तों सहित प्रशासनिक व्यय के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना
उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय करना होगा

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional establishment expenditure.
The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104-105 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)
(See page 104-105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65
पूंजी	Capital	92.08	304836.88	304928.96
जोड़	Total	558.08	580823.53	581381.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	20000.00	20000.00
जोड़	Total	...	20000.00	20000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	558.08	600823.54	601381.62
राजस्व	Revenue	466.00	275986.65	276452.65
पूंजी	Capital	92.08	324836.89	324928.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	20000.00	20000.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	(-)10000.00	(-)10000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(i) सकल बजटीय सहायता से राष्ट्रीय रेल संरक्षा निधि में अतिरिक्त अंतरण के लिए ₹ 10000 करोड़;</p> <p>(ii) ट्रैफिक सुविधाओं पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए - यार्ड रीमॉडेलिंग और अन्य (500 करोड़ रुपये), रेलपथ नवीनीकरण (7500 करोड़ रुपये), ब्रिज कार्य (1,200 करोड़ रुपये), सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्य (250 करोड़ रुपये), टीआरडी कार्यों सहित अन्य विद्युतीय कार्य (150 करोड़ रुपये), ग्राहक सुविधाएं (200 करोड़ रुपये), अन्य विशिष्ट कार्य (100 करोड़ रुपये), और प्रशिक्षण/एचआरडी (100 करोड़ रुपये);</p> <p>(iii) पश्चिम मध्य रेलवे के 7 मार्गों पर फ्रेट डेंस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹ 548.96 करोड़;</p> <p>(iv) भारतीय रेलवे पर स्टेशनों के प्रमुख उन्नयन के लिए ₹ 12,000 करोड़;</p> <p>(v) एलपीजी गैस आधारित पारंपरिक आईसीएफ डिजाइन गैर-एसी यानों (10 अदद) को फ्लेमलेस (विद्युत चालित) पेंट्री कारों में बदलने के लिए ₹ 5.74 करोड़;</p> <p>(vi) ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के सोननगर-गोमोह भाग पर उपयोगिता स्थांतरण के लिए ₹ 410.18 करोड़;</p> | <p>(i) ₹ 10000 crore towards additional transfers to Rashtriya Rail Sanraksha Kosh from Gross Budgetary Support;</p> <p>(ii) meeting additional expenditure on Traffic Facilities-Yard remodelling and others (₹ 500 crore), Track Renewals (₹ 7,500 crore), Bridge Works (₹ 1,200 crore), Signalling and Telecommunication works (₹ 250 crore), Other electrical works including TRD works (₹ 150 crore), Customer amenities (₹ 200 crore), Other Specified Works (₹ 100 crore) and Training/HRD (₹ 100 crore);</p> <p>(iii) ₹ 548.96 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on 7 routes on West Central Railway;</p> <p>(iv) ₹ 12,000 crore towards major upgradation of stations on Indian Railways;</p> <p>(v) ₹ 5.74 crore towards conversion of LPG Gas based conventional ICF design non-AC pantry cars (10 Nos.) into flameless (electrical operated) pantry cars;</p> <p>(vi) ₹ 410.18 crore towards utility shifting on Sonnagar-Gomoh section of Eastern Dedicated Freight Corridor ;</p> |
|---|--|

(vii)	गतितुला चौकियों में इलेक्ट्रॉनिक के कैलिब्रेशन के लिए 93 परीक्षण वैगन के लिए ₹ 110.67 करोड़;	(vii)	₹ 110.67 crore towards 93 test wagon sets for calibration of electronic in motion weighbridges;
(viii)	रेल भवन में अन्य संबद्ध कार्यों के साथ मौजूदा केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग संयंत्र के प्रतिस्थापन/संवर्धन के लिए ₹ 31.49 करोड़;	(viii)	₹ 31.49 crore towards replacement/augmentation of existing centralised air conditioning plant with other allied works at Rail Bhawan;
(ix)	पूर्व मध्य रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹726.62 करोड़;	(ix)	₹ 726.62 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on East Central Railway;
(x)	उत्तर रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹287.64 करोड़;	(x)	₹ 287.64 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on Northern Railway;
(xi)	पश्चिम मध्य रेलवे के 2 मार्गों पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹ 714.40 करोड़;	(xi)	₹ 714.40 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on 2 routes on West Central Railway;
(xii)	ट्रेन सेट के 100 अदद की लागत के लिए ₹ 1,1000 करोड़;	(xii)	₹ 11,000 crore towards cost of 100 Nos of Train Sets;
(xiii)	मध्य और पूर्वी तट रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹ 794.30 करोड़;	(xiii)	₹ 794.30 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on Central & East Coast Railways;
(xiv)	उत्तर पश्चिम रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹ 670.22 करोड़;	(xiv)	₹ 670.22 crore towards automatic block signalling on freight dense high utilisation network on North Western Railway;
(xv)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹575.28 करोड़;	(xv)	₹ 575.28 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on South East Central Railway;
(xvi)	दक्षिण पूर्व रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹ 836.60 करोड़;	(xvi)	₹ 836.60 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on South Eastern Railway;
(xvii)	पूर्वी तट रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹940 करोड़;	(xvii)	₹ 940 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on East Coast Railway;
(xviii)	पश्चिम रेलवे पर फ्रेट डेस हाई यूटिलाइजेशन नेटवर्क पर स्वचालित ब्लॉक संकेतों के लिए ₹ 900.52 करोड़; तथा	(xviii)	₹ 900.52 crore for automatic block signalling on freight dense high utilisation network on Western Railway; and
(xix)	पूर्वी तट रेलवे पर वाल्टेयर प्रभाग के तटीय बेल्ट के ऊपर भूमिगत केबल के साथ ऊपरी लाइनों के प्रतिस्थापन के लिए ₹ 23.31 करोड़।	(xix)	₹ 23.31 crore towards Replacement of overhead lines with underground cable over coastal belt of Waltair Division on East Coast Railway.
आर्थिक कार्य विभाग और अतिरिक्त वसूली की अनुदान मांगों में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the savings available in Demands for Grants of Department of Economic Affairs and additional recoveries, this supplementary will not entail cash outgo.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)
(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19668.06	19668.06
पूँजी	Capital	10.00	207840.29	207850.29
जोड़	Total	10.00	227508.35	227518.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	100.02	100.02
पूँजी	Capital	...	19273.90	19273.90
जोड़	Total	...	19373.92	19373.92
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	246882.28	246892.28
राजस्व	Revenue	...	19768.08	19768.08
पूँजी	Capital	10.00	227114.20	227124.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(का) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	100.00	(खब) 100.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	100.02	100.02
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूँजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	930.00	(घद) 930.00
5054-सड़क और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	18343.90	(डे) 18343.90
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	19273.90	19273.90
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	19373.92	19373.92
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है। Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)50.00	(-)50.00
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)9288.45	(-)9288.45
	Total (Supplementary)	...	-9338.45	-9338.45

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सड़क के रखरखाव हेतु 'लघु निर्माण कार्य' (92.43 करोड़ रुपये) और केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के लिए अंतर लेखा अंतरण (92.43 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

(a) 'Minor Works' (₹ 92.43 crore), for maintenance of road and 'Inter Account Transfer to Central Road & Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 92.43 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) (i) केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के लिए अंतर लेखा अंतरण (53.18 करोड़ रुपये)। (ii) रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अण्डर ब्रिज के लिए सीआरआईएफ से राज्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (53.18 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत तथा सीआरआईएफ से पूरी की जाने वाली 50 करोड़ रुपये के व्यय को ध्यान में रखते हुए इसमें 50 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (ग) (i) सीआरआईएफ से वित्तपोषित रेलवे ओवर ब्रिज/रेलवे अण्डर ब्रिज के लिए जम्मू और कश्मीर हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (2.40 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) (i) राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) से पूरी की जाने वाली पूर्वोक्त क्षेत्र के लिए सड़क विंग के अंतर्गत सड़क विकास निर्माण कार्य हेतु 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त निधि (895 करोड़ रुपये)। (ii) एनआईएफ से पूरी की जाने वाली पूर्वोक्त क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम हेतु 'मुख्य निर्माण कार्य' के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (35 करोड़ रुपये)।
- ₹ 930 करोड़ के उक्त व्यय को आर्थिक कार्य विभाग के मांग अनुदान में उपबंध समकक्ष बचत से मिलान किया जाएगा अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) (i) सीआरआईएफ को 'अंतर लेखा अंतरण' (9288.45 करोड़ रुपये)। (ii) भारत माला परियोजना के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में निवेश पर अतिरिक्त व्यय (4710.00 करोड़ रुपये)। (iii) एशियाई विकास बैंक के लिए विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (ईएपी) के अंतर्गत 'मुख्य निर्माण कार्य' पर अतिरिक्त व्यय (170 करोड़ रुपये), ईएपी जापान अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एजेंसी (800 करोड़ रुपये), विश्व बैंक (50 करोड़ रुपये) के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (iv) सीआरआईएफ से सामान्य वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभिक कार्य के अंतर्गत 'मुख्य निर्माण कार्य' पर अतिरिक्त व्यय (3427 करोड़ रुपये)। (v) विदेशी सहायता प्राप्त योजना - एशियाई विकास बैंक - समकक्ष निधि के लिए मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय (38 करोड़ रुपये), (vi) विदेशी सहायता योजना - विश्व बैंक - समकक्ष निधि के लिए मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (50 करोड़ रुपये) (vii) सीआरआईएफ से वित्तपोषित अंडमान और निकोबार में सड़क हेतु 'मुख्य निर्माण कार्य' पर अतिरिक्त व्यय (0.05 करोड़ रुपये) (viii) सीआरआईएफ से लद्दाख में 'मुख्य निर्माण कार्य' पर अतिरिक्त व्यय (4.61 करोड़ रुपये) (ix) सीआरआईएफ से वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग प्रारंभिक कार्य - जनजातिय उपयोग के अंतर्गत 'मुख्य निर्माण कार्य' पर अतिरिक्त व्यय (400 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 9050.55 करोड़ रुपए के व्यय को आर्थिक कार्य विभाग के मांग अनुदान में उपबल्ल समकक्ष बचत से मिलान किया जाएगा, अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 4.90 करोड़ रुपए की बचत के मद्देनजर 930 करोड़ रुपए की व्यय को एनआईएफ से पूरी की जाएगी तथा 8358.45 करोड़ रुपए सीआरआईएफ से पूरी का जाएगी। अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (b) (i) 'Inter Account Transfer' to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) (₹ 53.18 crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets to States from CRIF for Rail Over Bridge/Rail Under Bridge (₹ 53.18 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, and the expenditure of ₹ 50 crore will be met from CRIF, this will entail a net cash outgo of ₹ 50 crore.
- (c) (i) Grants for Creation of Capital Assets to Jammu and Kashmir for Rail Over Bridge/Rail Under Bridge financed from CRIF (₹ 2.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) (i) additional fund under 'Major Works' for Road Development Works under Road Wing for NER to be met from National Investment Fund (NIF) (₹ 895 crore). (ii) additional expenditure under 'Major Works' for Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas to be met from NIF (₹ 35 crore).
The above expenditure of ₹ 930 crore will be matched by equivalent savings available in the Demand for Grants of the Department of Economic Affairs, hence will not entail any cash outgo.
- (e) (i) 'Inter Account Transfer' to CRIF (₹ 9288.45 crore). (ii) additional expenditure on 'Investment' in National Highways Authority of India (NHAI) for Bharatmala Pariyojana (₹ 4710.00 crore). (iii) 'additional expenditure on 'Major Works' under Externally Aided Projects (EAP) for Asian Development Bank (₹ 170 cr.), Additional expenditure on Major Works under EAP - Japan International Cooperation Agency (₹ 800 crore) and World Bank (₹ 50 crore) (iv) additional expenditure on 'Major Works' under the National Highways Original Works - General financed from CRIF (₹ 3427 crore). (v) additional expenditure on Major Works for Externally Aided Schemes - Asian Development Bank-Counter part fund (₹ 38 crore), (vi) additional expenditure on 'Major Works' for Externally Aided Schemes - World Bank-Counter part fund (₹ 50 crore) (vii) additional expenditure on 'Major Works' for Roads in Andaman and Nicobar financed from CRIF (₹ 0.05 crore) (viii) additional expenditure on 'Major Works' in Ladakh from CRIF (₹ 4.61 crore) (ix) additional expenditure on 'Major Works' under National Highways Original Works - Tribal Area Sub-Plan financed from CRIF (₹ 400 crore).
Taking into account the savings available within the same section of the Grant, the expenditure of ₹ 9050.55 crore will be matched by equivalent savings available in the Demand for Grants of the Department of Economic Affairs, the savings of ₹ 4.90 crore available in the Revenue Section of the Grant and the expenditure of ₹ 930 crore will be met from NIF and ₹ 8358.45 crore will be met from CRIF, hence will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

ग्रामीण विकास विभाग

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)
(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	234019.08	234019.08
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	234019.08	234019.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	47039.00	47039.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	47039.00	47039.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	281058.10	281058.10
राजस्व	Revenue	...	281058.10	281058.10
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	45038.99 (खब)	45038.99
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	2000.00 (गक)	2000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	47039.00	47039.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2505-ग्रामीण रोजगार	2505-Rural Employment	...	(-)23000.00	(-)23000.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)2000.00	(-)2000.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)25000.00	(-)25000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि मांगा जाता है: चूंकि व्यय को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाएगा अतः अनुदान के राजस्व भाग में 2,961.01 करोड़ रुपये की बचत का उपयोग करने के पश्चात इसमें 22,038.99 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।
- (i) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (एनईजीएफ) में निधि अंतरण (25,000 करोड़ रुपये)
- (ii) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि (एनईजीएफ) से पूरी की जाने वाली पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए (23,000 करोड़ रुपये)
- (ग) मनरेगा के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में 2000.00 करोड़ रुपये प्रदान करना। इस समकक्ष धनराशि को राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि से पूरा किया जाना है। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) providing additional amount of ₹ 18 crore for Information Technology. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additionality is sought under 'Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) in view of: After utilising savings of ₹ 2,961.01 crore in Revenue Section of the grant, it will entail cash out go of ₹ 22,038.99 crore, since expenditure would be met from National Employment Guarantee Fund.
- (i) transfer of funds to National Employment Guarantee Fund (NEGF) (₹ 25,000 crore).
- (ii) Providing Grants for Creation of Capital Assets (₹ 23,000 crore) to be met from National Employment Guarantee Fund (NEGF).
- (c) providing ₹ 2,000 crore as Grants for Creation of Capital Assets under MGNREGS. The equivalent amount is to be met from the National Employment Guarantee Fund. This will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)
(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2170.42	2170.42
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2170.42	2170.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	27.14	0.02	27.16
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	27.14	0.02	27.16
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	27.14	2170.45	2197.59
राजस्व	Revenue	27.14	2170.45	2197.59
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-Special Programmes for Rural Development	27.14 (का)	...	27.14
2506-भू सुधार	2506-Land Reforms	...	0.01 (खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	27.14	0.02	27.16

यह पूरक अनुदानेविनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) उच्च न्यायालय, दिल्ली के आदेशानुसार 27.14 करोड़ रुपये का भुगतान करने की व्यवस्था करना। अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" योजना के तहत राज्यों को सामान्य सहायता अनुदान के लिए 90 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

(ग) "डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम" योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र को सामान्य सहायता अनुदान के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) arranging payments of ₹ 27.14 crore as per orders of High Court, Delhi. Taking into account the savings available in Revenue (Voted) section of the Grant, this will not entail cash outgo.

(b) providing additional funds of ₹ 90 crore towards Grants-in-aid-General to States under the scheme 'Digital India Land Records Modernization Programme'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) providing additional funds of ₹ 10 crore towards Grants-in-aid-General to North Eastern Region under the scheme "Digital India Land Records Modernization Programme". Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5949.57	5949.59
पूँजी	Capital	...	122.00	122.00
जोड़	Total	0.02	6071.57	6071.59
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6071.59	6071.61
राजस्व	Revenue	0.02	5949.59	5949.61
पूँजी	Capital	...	122.00	122.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) वैज्ञानिक स्वायत्तशासी संस्थाओं/व्यावसायिक निकायों को सहायता के अंतर्गत 'सामान्य सहायता अनुदान के तहत ₹ 35.00 करोड़ और वेतन सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये) और (ii) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड के लिए सामान्य सहायता अनुदान (24.50 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 35 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 15 crore) for Assistance to Scientific Autonomous Institutions/Professional Bodies and (ii) Grants-in-aid General (₹ 24.50 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 0.50 crore) for Technology Development Board. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

I. ORIGINAL GRANT:

राजस्व	Revenue	...	5202.12	5202.12
पूँजी	Capital	...	22.15	22.15
जोड़	Total	...	5224.27	5224.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	73.45	73.45
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	73.45	73.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5297.72	5297.72
राजस्व	Revenue	...	5275.57	5275.57
पूँजी	Capital	...	22.15	22.15

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

REVENUE SECTION

मुख्य शीर्ष

MAJOR HEAD

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	73.45	73.45
------------------------------	--------------------------------	-----	-------	-------

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय को पूरा करने के लिए-वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के तहत राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं- (150.45 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 73.45 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards 'Grants-in-aid General' - National Laboratories under Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) (₹ 150.45 crore)
Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 73.45 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10197.62	10197.62
पूँजी	Capital	...	370.00	370.00
जोड़	Total	...	10567.62	10567.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	99.49	99.49
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	99.49	99.49
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10667.14	10667.14
राजस्व	Revenue	...	10297.14	10297.14
पूँजी	Capital	...	370.00	370.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(क) 0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	99.48	(ख) 99.48
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	99.49	99.49

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	(-)99.48	(-)99.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (1) निम्नलिखित योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वर्गीकरण (i) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पश्चात छात्रवृत्ति (1715.48 करोड़ रुपये) तथा (ii) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (6 करोड़ रुपये) और (2) प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.54 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) (1) ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास (5 करोड़ रुपये) और (2) अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीआईएवाई) (99.48 करोड़ रुपये) के तहत सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत तथा वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि से मिलने वाले 99.48 करोड़ रुपये को ध्यान में रखते हुए, कोई अतिरिक्त नकद परिव्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (1) Scholarship/Stipend under the scheme (i) Post Matric Scholarship for SC Students (₹ 1715.48 crore) and (ii) National Overseas Scholarship for SCs (₹ 6 crore) and (2) Grants in Aid General under the scheme Pradhan Mantri Dakshata Aur Kushalta Sampann Hitgrahi (PM DAKSH) Yojana (₹ 0.54 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in Aid General under the scheme (i) Comprehensive Rehabilitation for Welfare of Transgender Persons (₹ 5 crore) and (ii) Atal Vayo Abhyuday Yojana (AVYAY) (₹ 99.48 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant and ₹ 99.48 crore met from Senior Citizens Welfare Fund, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1171.76	1171.76
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1171.77	1171.77
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1171.78	1171.78
राजस्व	Revenue	...	1171.77	1171.77
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम योजना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (10 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grant in Aid General under the scheme Artificial Limbs Manufacturing Corporation (₹ 10 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	5719.86	5720.46
पूँजी	Capital	0.40	8228.23	8228.63
जोड़	Total	1.00	13948.09	13949.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	13948.13	13949.13
राजस्व	Revenue	0.60	5719.88	5720.48
पूँजी	Capital	0.40	8228.25	8228.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01 (का)	0.01
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) प्रौद्योगिकी प्रदर्शन अंतरिक्षयान (टी.डी.एस.-01) (8 करोड़); (ii) जीसैट 30/31 प्रमोचन सेवाओं के लिए विदेश यात्रा खर्च (2 करोड़); (iii) सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला (15 करोड़); उत्तर-पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (2 करोड़) एवं भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (5 करोड़); तथा सेमी कंडक्टर प्रयोगशाला के पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (32 करोड़) के लिए अनुदान।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।

(ख) (iv) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए नासा इसरो संश्लेषी द्वारक रेडार (9 करोड़), उच्च विभेदन उपग्रह समूह (4 करोड़), जी.एस.एल.वी. मार्क III सतत कार्यक्रम (चरण-1) (5 करोड़), आपदा प्रबंधन सहायता (6 करोड़); (ii) चंद्रयान-III के प्रमुख कार्य (1.50 करोड़) एवं इसरो केंद्रों के सामान्य सिविल कार्य (143.00 करोड़); ओशनसैट-3 एवं 3ए. (35.00 करोड़); रीसैट-1बी. (31 करोड़); रिसोर्ससैट-3एस. एवं 3एस.ए. (11 करोड़), के अन्य पूँजीगत व्यय, उच्च विभेदन उपग्रह समूह (28 करोड़), जीसैट-20 उपग्रह (26 करोड़); जीसैट 30/31/32 उपग्रह (60 करोड़), एवं प्रमोचन सेवाएं/जीसैट-12आर. सहित जीसैट भावी मिशन (15 करोड़); तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड में किए गए निवेश (200 करोड़) के लिए मशीनरी तथा उपकरण के लिए।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त एक सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards (i) Technology Demonstration Spacecraft (TDS-01) (₹ 8 crore) (ii) Foreign Travel Expenses at GSAT 30/31 Launch Services (₹ 2 crore) (iii) Grants-in-aid General for Semi-Conductor Laboratory (₹ 15 crore), North-Eastern Space Applications Centre (₹ 2 crore) and Physical Research Laboratory (₹ 5 crore) and (iv) Grants for Creation of Capital Assets for Semi-Conductor Laboratory (₹ 32 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure towards (i) Machinery & Equipments for NASA ISRO Synthetic Aperture Radar (₹ 9 crore), High Resolution Satellite Constellation (₹ 4 crore), GSLV Mk-III Continuation Programme (Phase-1) (₹ 5 crore), Disaster Management Support (₹ 6 crore) (ii) Major Works of Chandrayaan-III (₹ 1.50 crore) and General Civil Works at ISRO centres (₹ 143 crore), and (iii) Other Capital expenditure for Oceansat 3 & 3A (₹ 35 crore), RISAT-1B (₹ 31 Crore), Resourcesat-3S & 3SA (₹ 11 crore), High Resolution Satellite Constellation (₹ 28 crore), GSAT 20 Satellite (₹ 26 crore), GSAT 30/31/32 Satellite (₹ 60 crore) & GSAT Future Missions including Launch Services/GSAT 12R (₹ 15 crore) and Investment in NewSpace India Limited (₹ 200 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1396.09	1396.09
पूँजी	Capital	...	13.04	13.04
जोड़	Total	...	1409.13	1409.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1172.50	1172.50
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1172.50	1172.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1152.58	1152.58
पूँजी	Capital	...	2.79	2.79
जोड़	Total	...	1155.37	1155.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3737.00	3737.00
राजस्व	Revenue	...	3721.17	3721.17
पूँजी	Capital	...	15.83	15.83
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	2553-MPs Local Area Development Scheme	...	1152.58	(का) 1152.58
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	2.79	(खb) 2.79
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1155.37	1155.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एमपीएलएडीएस स्कीम के तहत पूँजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के लिए (₹ 1580 करोड़ और एमपीएलएडीएस के मूल्यांकन हेतु ₹ 3.50 करोड़ के व्यय को पूरा करने के लिए अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें 1152.58 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ख) क्षमता विकास योजना के अंतर्गत 'प्रमुख कार्यों' के तहत व्यय को पूरा करने के लिए। उपरोक्त व्यय के लिए 2.79 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा;

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme MPLADS (₹ 1580 crore) and ₹ 3.50 crore for evaluation of the MPLADS. Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 1152.58 crore.
- (b) 'meeting expenditure towards 'Major Works' under Capacity Development Scheme. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2.79 crore;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 देखिये)

(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	39.25	39.25
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	39.25	39.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3.75	3.75
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	3.75	3.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	43.00	43.00
राजस्व	Revenue	...	43.00	43.00
पूँजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	3.75	3.75

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'सचिवालय' के अंतर्गत स्थापना व्यय (3.75 करोड़ रुपये)
उक्त व्यय में नकद व्यय होगा;

The supplementary Grant is required for:

Establishment expenditure (₹ 3.75 crore) under 'Secretariat'.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)
(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3591.61	3591.61
पूंजी	Capital	...	40.03	40.03
जोड़	Total	...	3631.64	3631.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	66.21	66.21
जोड़	Total	...	66.23	66.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	7807.18	7807.18
पूंजी	Capital	...	10.48	10.48
जोड़	Total	...	7817.66	7817.66
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	11515.53	11515.53
राजस्व	Revenue	...	11398.81	11398.81
पूंजी	Capital	...	116.72	116.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(क) 0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(ख) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	7807.16	(ग) 7807.16
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	7807.18	7807.18
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	10.48	(घ) 10.48
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	7817.66	7817.66

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्न हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 'अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रु.) (ii) 'पूर्वोत्तर में जियोटेक्स्टाइल के उपयोग हेतु योजना' के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (2.30 करोड़ रु.)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) निम्न हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (i) 'अन्य हथकरघा योजनाएं' के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (3.50 करोड़ रु.) (ii) 'राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम' योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (20.00 करोड़ रु.), (iii) 'अंबेडकर हस्तशिल्प विकास योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रु.) (iv) 'हथकरघा कलस्टर विकास कार्यक्रम' 'हथकरघा मेगा कलस्टर' योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (8.00 करोड़ रु.) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (2.00 करोड़ रु.), (v) व्यापक पॉवरलूम कलस्टर विकास कार्यक्रम पावरलूम मेगा कलस्टर योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1.00 करोड़ रु.) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (10.00 करोड़ रु.) (vi) एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता के अनुदान (3.00 करोड़ रु.) और पूंजीगत आस्तियों का सृजन (5.50 करोड़ रुपए)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) निम्नलिखित हेतु व्यय को पूरा करना: (i) मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की खरीद योजना के अंतर्गत सब्सिडी (8303.88 करोड़ रु.) (ii) 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान' (निफ्ट) योजना के अंतर्गत

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) under the scheme 'Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana' and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.30 crore) under the scheme 'Scheme for Usage of Geotextiles in North East'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Meeting expenditure towards: (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 3.50 crore) under the scheme 'Other Handloom Schemes' (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 20.00 crore) under the scheme 'National Handloom Development Programme', (iii) Grants-in-aid General (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Ambedkar Hastshilp Vikas Yojana' (iv) Grants-in-aid General (₹ 8.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 2.00 crore) under the scheme 'Handloom Cluster Development Program-Handloom Mega Cluster', (v) Grants-in-aid General (₹ 1.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Comprehensive Powerloom Cluster Development Program-Powerloom Mega Cluster' and (vi) Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹ 5.50 crore) under the scheme 'Integrated Wool Development Programme'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Meeting expenditure towards: (i) Subsidies (₹ 8303.88 crore) under the scheme 'Procurement of Cotton by Cotton Corporation under Price Support Scheme' (ii) Grants for Creation of Capital Assets

पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (5.00 करोड़ रु.) (iii) 'मेगा इटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना' योजना के तहत पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (0.50 करोड़ रु.) (iv) 'टेक्सटाइल के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना' के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़ रु.) (v) 'पीएयू के लिए सहायता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (35.27 करोड़ रु.)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए इसमें (7807.16 करोड़ रु.) का नकद व्यय होगा

(घ) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए 'पॉवर टैक्स इंडिया' योजना के तहत प्रमुख कार्यों (0.48 करोड़ रु.) और 'अवसंरचना और तकनीकी विकास परियोजना' के तहत प्रमुख कार्यों को पूरा करने के लिए (10.00 करोड़ रु.)

इसमें नकद व्यय होगा;

(₹ 5.00 crore) under the scheme 'National Institute of Fashion Technology (NIFT)' (iii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Setting up of Mega Integrated Textiles Park', (iv) Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under the scheme 'Production Linked Incentives (PLI) Scheme for Textiles' and (v) Grants-in-aid General (₹ 35.27 crore) under the scheme 'Support to PSU's'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 7807.16 crore).

Meeting expenditure towards: Major Works (₹ 0.48 crore) under the scheme 'Powertex India' and Major Works (₹ 10.00 crore) under the scheme 'Infrastructure & Technology Development Project Scheme'.

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2032.04	2032.04
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2032.04	2032.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2032.05	2032.05
राजस्व	Revenue	...	2032.05	2032.05
पूँजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

नई शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना "कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना" (एलजीएससीएटीएसएस) के कार्यान्वयन के लिए ₹ 0.50 करोड़ योगदान के लिए अतिरिक्त निधि।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

additional funds for Contributions (₹ 0.50 crore) towards implementation of newly launched Central Sector Scheme 'Loan Guarantee Scheme for the Covid affected Tourism Service Sector' (LGSCATSS).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4708.33	2816.52	7524.85
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	4708.33	2816.54	7524.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूँजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4708.33	2816.56	7524.89
राजस्व	Revenue	4708.33	2816.54	7524.87
पूँजी	Capital	...	0.02	0.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01	(का) 0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (4.15 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।
- (ख) (1) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) विदेश में अध्ययन के लिए एसटी छात्र को छात्रवृत्ति (1.95 करोड़ रु.) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और लॉजिस्टिक्स विकास (36 करोड़ रु.) (2) 'एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय -ईएमआरएस' योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (550 करोड़ रु.) (3) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छित संगठनों को सहायता (0.15 करोड़ रु.) और (4) विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संस्थापना व्यय (9.89 करोड़ रुपये)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Meeting additional establishment expenditure under various heads (₹ 4.15 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (1) Grant in Aid-General under the Scheme (i) Scholarship to the ST Student for studies abroad (₹ 1.95 crore) and (ii) Marketing and Logistics Development for Promoting Tribal Products from North Eastern Region (₹ 36 crore), (2) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Ekalavya Model Residential School-EMRS (₹ 550 crore), (3) Aid to Voluntary Organisations working for the Welfare of Scheduled Tribes (₹ 0.15 crore) and (4) Establishment expenditure of National Commission for Scheduled Tribes under various heads (₹ 9.89 crore)
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2021-2022 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 101

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 122 और वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 122 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2021-2022 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2021-2022)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2549.41	2549.41
पूँजी	Capital	...	46.73	46.73
जोड़	Total	...	2596.14	2596.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	43.72	43.72
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	43.73	43.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	160.87	160.87
पूँजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	160.88	160.88
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2800.75	2800.75
राजस्व	Revenue	...	2754.00	2754.00
पूँजी	Capital	...	46.75	46.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	130.18 (का)	130.18
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	30.69 (खb)	30.69
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	160.87	160.87
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	160.88	160.88

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (1) स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 27.50 करोड़), (ii) युवा और किशोर विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 2.59 करोड़), (iii) राष्ट्रीय सेवा योजना (54.71 करोड़ ₹.) (iv) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 59.85 करोड़), (v) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 0.50 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 6.20 करोड़) (2) योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (i) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 11 करोड़), (ii) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (₹ 2 करोड़), (iii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 17 करोड़), (iv) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक संस्थान शिक्षा (₹ 3 करोड़), (v) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 0.50 करोड़) और (vi) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (₹ 0.30 करोड़) (3) योजनाओं के तहत पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला (₹ 6 करोड़) और (ii) खेलो इंडिया (सामान्य घटक (₹ 142.28 करोड़), एससी घटक (₹ 30 करोड़) और एसटी घटक (₹ 17 करोड़) (4) योजना के तहत अन्य शुल्क (i) राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (₹ 0.41 करोड़), (ii) राष्ट्रीय सेवा योजना (₹ 3 करोड़), (iii) राष्ट्रमंडल खेल (₹ 70 करोड़) और (iv) पुरस्कार (₹ 4 करोड़) (5) वेतन के तहत योजना राष्ट्रीय सेवा योजना (₹ 0.15 करोड़) (6) योजना के तहत कार्यालय व्यय राष्ट्रीय सेवा योजना (₹ 2.14 करोड़) और (7) युवा छात्रावास योजना के तहत लघु कार्य (₹ 0.75 करोड़)।

The supplementary Grants are required for:

(a) (1) Grant in Aid General under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 27.50 crore), (ii) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 2.59 crore), (iii) National Service Scheme (₹ 54.71 crore), (iv) Sports Authority of India (₹ 59.85 crore), (v) National Dope Test Laboratory (₹ 0.50 crore) and (vi) National Anti-Doping Agency (₹ 6.20 crore) (2) Grant in Aid Salary under the scheme (i) Nehru Yuva Kendra Sangathan (₹ 11 crore), (ii) Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development (₹ 2 crore), (iii) Sports Authority of India (₹ 17 crore), (iv) Laxmibai National Institute of Physical Education (₹ 3 crore), (v) National Dope Test Laboratory (₹ 0.50 crore) and (vi) National Anti-Doping Agency (₹ 0.30 crore) (3) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) National Dope Test Laboratory (₹ 6 crore) and (ii) Khelo India (General Component (₹ 142.28 crore), SC Component (₹ 30 crore) and ST Component (₹ 17 crore) (4) Other Charges under the scheme (i) National Programme for Youth and Adolescent Development (₹ 0.41 crore), (ii) National Service Scheme (₹ 3 crore), (iii) Commonwealth Games (₹ 70 crore) and (iv) Award (₹ 4 crore) (5) Salary under the scheme National Service Scheme (₹ 0.15 crore) (6) Office Expenses under the scheme National Service Scheme (₹ 2.14 crore) and (7) Minor Works under the scheme Youth Hostel (₹ 0.75 crore).

अनुदान के राजस्व/पूँजी अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण और 0.01 करोड़ रुपये के तकनीकी पूरक को ध्यान में रखते हुए इसमें 130.17 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and a technical supplementary of ₹ 0.01 crore, this will entail a cash outgo of ₹ 130.17 crore.

(ख)	(1) राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (6 करोड़ रुपये) (2) भारतीय खेल प्राधिकरण योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹ 6.8 करोड़) और (3) योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 3 करोड़), (ii) खेलो इंडिया (21.7 करोड़ रुपये) (iii) राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय (₹16.28 करोड़) शामिल हैं।	(b)	(1) Grant in Aid General under the scheme National Service Scheme (₹ 6 crore), (2) Grant in Aid Salary under the scheme Sports Authority of India (₹ 6.8 crore) and (3) Grants for Creation of Capital Assets under the schemes (i) Sports Authority of India (₹ 3 crore), (ii) Khelo India (₹ 21.7 crore) and (iii) National Sports University (₹16.28 crore)
	अनुदान के राजस्व/पूंजी अनुभाग में उपलब्ध बचतों के समर्पण और 0.50 करोड़ रुपये के तकनीकी पूरक को ध्यान में रखते हुए, इसमें 30.19 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant and a technical supplementary of ₹ 0.50 crore, the above will entail a cash outgo of ₹ 30.19 crore.
(ग)	युवा छात्रावास स्कीम के तहत मुख्य निर्माण कार्य (₹0.01 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।	(c)	Major Works under the scheme Youth Hostel (₹ 0.01 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.